भारतमें कृषि-सुधार

[अर्थात् भारतमें किसानोंकी आर्थिक-
दशाको शीघ्र सुधारनेकी एक
व्यावहारिक योजना]

(संशोधित और परि

लेखक—
पंडित दयाशङ्कर दुबे, एम० ए०, एल० एल० बी०
अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रकाशक—
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,
ज्ञानवापी, बनारस ।

चतुर्थ संस्करण] १९४८ [मूल्य २।)

प्रकाशक—
श्री बैजनाथ केडिया
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी
ज्ञानवापी, बनारस

शाखाएँ—
२०३ हरिसनरोड, कलकत्ता
बाँकीपुर, पटना
दरीबाकलाँ, दिल्ली

मुद्रक—
कृष्ण गोपाल केडिया
वणिक प्रेस,
साक्षीविनायक, बनारस

समर्पण

वेदशास्त्र सम्पन्न, परमपूज्य पिताजी

श्रीयुत् पंडित बलरामजी देवेश्वरजी दुबे

की पवित्र स्मृतिमें

सादर समर्पित

दयाशंकर दुबे

चित्र व नक्शा-सूची

चित्र नम्बर

——

भूमिका

भारतीय किसानोंकी दशा आजकल बहुत ही शोचनीय हो गई है। अधिकांश किसानोंको कठिन परिश्रम करनेपर भी रूखा-सूखा भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। इनकी संख्या भारतकी जन-संख्याके करीब ७२ फी सैकड़ा है। ये राष्ट्रके प्रधान अङ्ग हैं। बिना इनकी दशा सुधारे देशकी दशा सुधरना असम्भव है। भारतीय किसान बहुत गरीब हैं। इनकी कठिनाइयाँ विशेषतः आर्थिक हैं। इसलिये मैंने अपनी क्षुद्र बुद्धिके अनुसार इस पुस्तकमें यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि उनकी सब असुविधाएं एक साथ कैसे दूर की जा सकती हैं और उनकी आर्थिक-दशा प्रान्तीय-सरकार, शिक्षित-जनता और किसानोंके सम्मिलित प्रयत्नोंसे २०-२५ वर्षके अन्दर ही कैसे सुधर सकती है।

जबसे मैंने अर्थ शास्त्रका अध्ययन आरम्भ किया तबसे ही मेरा

ध्यान किसानोंकी गिरी हुई दशाकी तरफ आकर्षित हुआ। मैंने पहिले भारतीय किसानोंके सम्बन्धकी पुस्तकें पढ़ीं और ग्रामोंमें जा जाकर उनकी दशा अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न किया। इसके बाद मैंने यह जाननेकी कोशिश की कि संसारके अन्य सभ्य देशोंमें कृषि-सुधार किस प्रकार हो रहा है। कई महीनोंतक मैं यह सोचता रहा कि भारतीय किसानोंकी आर्थिक दशा किस प्रकार शीघ्र सुधारी जा सकती है। इतनेमें ही मुझे प्रयाग विश्वविद्यालयके अर्थ शास्त्र विभागमें इस विषयका खास तौरसे अध्ययन करनेका मौका मिला। मैंने कृषि-सुधारकी एक योजना अंग्रेजीमें तैयार की जो कि कृषि-उन्नतिका मार्ग (The Way to Agricultural Progress) के नामसे कलकत्तेकी थेकर स्पिङ्क एण्ड कम्पनी (Messrs Thacker, Spink & Co) द्वारा प्रकाशित की गई। इसी योजनाका हिन्दी परिवर्द्धित संस्करण मैंने 'प्रभा' में लेखमालाके रूपमें प्रकाशनार्थ भेजा और इस सम्बन्धमें मेरे अन्य लेख 'सरस्वती' 'मर्यादा' साहित्य' और 'श्रीशारदा' में समय समयपर प्रकाशित हुए। इन्हीं सब लेखोंका समयानुकूल उचित परिवर्तन कर मैंने उन्हें इस पुस्तकमें दे दिया है। मैं उपर्युक्त पत्र पत्रिकाओंके सम्पादकोंका उनकी कृपाके लिये बड़ा ऋणी हूँ। जिन हिन्दी और अंग्रेजी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओंसे मैंने इस पुस्तकके लिखने में सहायता ली है उनकी सूची परिशिष्ट (४) में दे दी गई है। उनके लेखक और सम्पादकोंका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे मेरे मित्र श्रीयुत पंडित लक्ष्मीप्रसादजी पाण्डेयसे बड़ी सहायता मिली है। इसलिये मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इस पुस्तकके प्रकाशक भी इसे सचित्र और सजधजके साथ निकालनेके लिये मेरे धन्यवादके पात्र हैं।

यदि इस पुस्तक द्वारा मैं उन पवित्र एवं महान् आत्माओंको जो कि भारतवासियों की व खासकर भारतके किसानों की दशा सुधारनेका दत्तचित्त होकर तन, मन, धनसे प्रयत्न कर रहे हैं, किंचित्मात्र भी सहायता पहुँचा सका तो मैं अपने परिश्रमको सर्वथा सफल समझूंगा।

प्रयाग
आषाढ़ शुक्ल पौर्णिमा,
सं० १९७९, ९-७-२२

दयाशङ्कर दुबे

द्वितीय संस्करणकी भूमिका

इस पुस्तकका प्रथम संस्करण सन् १९२२ में प्रकाशित हुआ। हिंदी-साहित्य सम्मेलनके हिन्दी-विश्वविद्यालयने कृषि-विशारद परीक्षाकी और मध्यमा-परीक्षाके कृषि शास्त्र विषयकी पाठ्यपुस्तकोंकी सूचीमें इसे स्थान देनेकी कृपा की। इससे इस पुस्तकके प्रचारमें कुछ सहायता मिली। १८ वर्ष बाद अब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। सन् १९२६ में शाही कृषि-कमीशनकी नियुक्ति हुई और उसकी सिफारिशोंके अनुसार कुछ कार्य भी हो रहा है। अब प्रत्येक प्रांतमें ग्राम-सुधार विभागकी स्थापना हो गई है और प्रांतीय सरकारें इस महत्व-पूर्ण विषयके सम्बन्धमें पहिलेसे अधिक ध्यान देने लगी हैं। तिसपर भी अभी बहुत काम बाकी है।

प्रथम संस्करणमें आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करके इस संस्करणमें वर्तमान समयतककी कृषि सुधार सम्बन्धी सब आवश्यक बातोंका समावेश करनेका प्रयत्न किया गया है। आशा है, हिन्दी-प्रेमी सज्जन इस संस्करणका भी उचित आदर करेंगे।

इस संस्करणके तैयार करनेमें श्रीयुत श्रीधर मिश्र बी० काम० से मुझे बहुत सहायता मिली है। इस सहायताके लिये मैं श्रीमिश्रजीको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीदुबेनिवास,
दारागंज (प्रयाग)
महाशिवरात्री, सं० १९९६
७।३।४०

दयाशंकर दुबे
अर्थशास्त्र-अध्यापक,
प्रयाग विश्वविद्यालय;
सभापति, भारतवर्षीय हिन्दी
अर्थशास्त्र परिषद

भारतमें कृषि-सुधार

पण्डित दयाशंकर दुबे एम० ए०

विषय-सूची

पहला अध्याय—रोटीका प्रश्न

दूसरा अध्याय—अनाजकी कमी दूर कैसे हो?

तीसरा अध्याय—किसानोंकी आर्थिक दशा

आठवां अध्याय—पानीकी कमी दूर करना

नवां अध्याय—किसानोंको ऋणमुक्त करना

दसवां अध्याय—बीचके दलालोंकी संख्या कम करना

ग्यारहवां अध्याय—किसानोंकी शेष असुविधाओंका दूर करना

भारतमें कृषि-सुधार

पहला अध्याय

रोटीका प्रश्न

[भारतमें अनाजकी आवश्यकताका परिमाण, अनाजकी पूर्ति, अनाजकी कमी, आधा पेट भोजन पानेवालोंकी संख्या]

जीवनका मुख्य आधार अन्न है। पेटकी भलीभाँति पूजा किये बिना कोई भी मनुष्य अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। यदि कुछ दिनों तक अन्न न मिले तो मृत्युका सामना करना पड़ता है। दुर्भिक्षके समयमें अन्नके अभावसे बहुतेरे मनुष्य अपने प्राणोंका बलिदान देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु मामूली समयमें भी यदि किसी मनुष्यको, कुछ दिनोंतक लगातार आधा पेट खानेको मिले तो धीरे धीरे उसकी शक्तियोंका ह्रास होने लगेगा और एक न एक रोगका शिकार बनकर अन्तमें उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा। प्राचीनकालमें भारतवासियोंको अन्नका कष्ट नहीं था। अंग्रेजोंके समयमें ही उनकी आर्थिक दशा खराब हो गई। सन् १८७० में डाक्टर दादाभाई नौरोजीने अपनी पुस्तक "Poverty and Unbritish Rule in India, पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया" में

यह अच्छी तरहसे सिद्ध करके दिखा दिया था कि उस समय अधिकांश भारतवासियोंको भरपेट भोजन मुश्किलसे मिल सकता था। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता सर विलियम हण्टरने स्वीकार किया है कि भारतमें ४ करोड़ मनुष्योंको, जन्मभर, आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता है। सन् १९०१ में विलियम डिगवी साहबने भी, अपनी पुस्तक "Prosperous British India, प्रास्परस ब्रिटिश इण्डिया" में डाक्टर दादाभाई नौरोजीके उक्त कथनका बहुत अच्छी तरह समर्थन किया है। १९०१ की और इस समयकी दशामें अवश्य ही बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। परन्तु खेदकी बात है कि डिगवी साहबके बाद, अभीतक, किसीने आधे पेट भोजन पानेवाले मनुष्योंकी संख्याका पता लगानेका निष्पक्षभावसे प्रयत्न नहीं किया। अब भी देशके कई नेताओंका मत है कि हमारे करोड़ों देशवासियोंको आधे पेट खाकर ही जन्म बिताना पड़ता है और ऐसे मनुष्योंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती जाती है, परन्तु दूसरे पक्षवाले इसका बड़े जोरोंके साथ खण्डन करते हैं। इसलिये इस प्रश्नको हल करनेकी आवश्यकता और भी बढ़ गई है। देशमें अनाजकी वार्षिक मांग और उसकी वार्षिक पूर्तिका अन्दाज किये बिना आधे पेट भोजन पानेवालोंकी संख्याका हिसाब लगाना सम्भव नहीं। इसलिये हम इन्हीं दो बातोंका अन्दाजा लगानेका प्रयत्न करते हैं। इसमें हम उन्हीं अंकों (Statistics) से काम लेंगे जो सरकारी रिपोर्टोंमें दिए हुए हैं।

भारतवर्षमें वहुतसे देशी राज्य भी सम्मिलित हैं। परन्तु सरकारी रिपोर्टोंमें उनके सम्बन्धमें सब प्रकारके ब्यौरे नहीं रहते। इसलिए

केवल ब्रिटिश भारतके सम्बन्धमें ही इन बातोंकी जांच करना ठीक होगा। अनाजकी उपज वर्षापर बहुत कुछ आश्रित रहती है और प्रति वर्ष वर्षा एक सी नहीं होती। किसी वर्ष अधिक होती है, किसी वर्ष कम, और अनाज भी जिस वर्ष उत्पन्न होता है उसी वर्ष सबका सब खा नहीं लिया जाता। इसलिए यदि एक ही वर्षका हिसाब लगाया जायगा तो उससे प्रश्नका सन्तोषदायक उत्तर न मिल सकेगा। अतएव हमने सन् १९११-१२ से १९३५-३६ तक २५ वर्षोंतक अनाजकी माँग और पूर्तिका हिसाब लगाना उचित समझा है। इसमें भले बुरे सब प्रकारके वर्ष आ जायँगे और उनका औसत लगानेपर विश्वास-जनक परिणाम निकलेगा। उन २५ वर्षोंमें, कृषिकी दृष्टिसे, सन् १९११-१२, १२-१३, १४-१५; १५-१६, १७-१८, २१-२२, २३-२४, २४-२५, २५-२६, २६-२७, २८-२९, २९-३०, ३०-३१, ३३-३४ और ३४-३५ अर्थात् १५ वर्ष साधारण वर्ष थे। १९१६-१७, १९-२०, २२-२३, ३१-३२, और ३२-३३ अर्थात् ५ वर्ष अच्छे वर्ष थे, १९१३-१४, १८-१९, २०-२१, २७-२८ और ३५-३६ खराब वर्ष थे।

परिशिष्ट १ में देशके अनाजकी वार्षिक माँगका अन्दाजा लगाने-का प्रयत्न किया गया है।

इस परिशिष्टसे मालूम होता है कि सन् १९११-१२ से १९३५-३६ तक २५ वर्षोंमें सब भारतवासियोंको अपना स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिए अनाजकी आवश्यकता, तथा बैल, गाय वगैरहके लिए अन्नकी

आवश्यकता और बीजके रूपमें अनाजकी आवश्यकता अर्थात् देशकी अनाजकी वार्षिक माँग नीचे लिखे अनुसार थीः—

कोष्ठक नं० (१)

(करोड़ मन)

सन्	मनुष्योंके लिए	जानवरोंके लिए	बीजके लिए	मीज़ान
१९११—१२	१३५.७	३८.४	५.८	१७९.९
१९१२—१३	१३५.९	३७.५	५.६	१७९.१
१९१३—१४	१३६.१	३८.२	५.४	१७९.७
१९१४—१५	१३६.३	३९.५	६.१	१८१.९
१९१५—१६	१३६.५	३९.८	६,०	१८२.३
१९१६—१७	१३६.७	३९.९	६.२	१८२.८
१९१७—१८	१३६.९	३९.६	६.२	१८२.७
१९१८—१९	१३७.१	३९.६	५.३	१८२.०
१९१९—२०	१३७.३	३९.३	६.०	१८२.६
१९२०—२१	१३७.५	३९.४	५.५	१८२.४
१९२१—२२	१३८.१	३९.४	४.९	१८२.४
१९२२—२३	१३८.७	३९.४	६.१	१८४.२
१९२३—२४	१३९.३	३९.४	५.९	१८४.६
१९२४—२५	१३९.९	४०.९	६.१	१८६.९
१९२५—२६	१४०.५	४०.९	६.४	१८७.८

सन्	मनुष्योंके लिए	जानवरोंके लिए	बीजके लिए	मीजान
१९२६—२७	१४१.१	४०.६	६.०	१८८.०
१९२७—२८	१४१.७	४०.६	५.९	१८८.५
१९२८—२९	१४२.३	४०.६	६.४	१८९.६
१९२९—३०	१४२.९	४१.६	५.९	१९०.४
१९३०—३१	१४३.५	४१.६	६.१	१९१.२
१९३१—३२	१४४.१	४१.६	६.२	१९१.९
१९३२—३३	१४४.७	४१.६	६.१	१९२.४
१९३३—३४	१४५.३	४१.६	६.३	१९३.२
१९३४—३५	१४५.९	४१.६	६.१	१९३.६
१९३५—३६	१४६.५	४१.६	६.१	१९४.२

परिशिष्ट १ में देशकी अनाजकी पूर्तिका हिसाब लगानेका भी प्रयत्न किया गया है। वह नीचे लिखे अनुसार थी:—

कोष्ठक नं० (२)

(करोड़ मनमें)

सन्	उपज	अन्य देशों को निर्यात	पूर्ति
१९११—१२	१६६.९	१३.९	१५३.०
१९१२—१३	१५५.३	१५.०	१४०.३
१९१३—१४	१४५.५	११.३	१३४.२
१९१४—१५	१५४.५	६.९	१४७.५

सन्	उपज	अन्य देशोंको निर्यात	पूर्ति
१९१५—१६	१६४.७	६.५	१५८.२
१९१६—१७	१७०.३	७.९	१६२.४
१९१७—१८	१६६.७	१२.३	१५४.४
१९१८—१९	१२१.७	८.७	११३.०
१९१९—२०	१६७.१	१.९	१६५.२
१९२०—२१	१३०.२	४.१	१२६.१
१९२१—२२	१६५.०	४.५	१६०.५
१९२२—२३	१६४.९	७.१	१५७.८
१९२३—२४	१४५.९	९.३	१३६.६
१९२४—२५	१४८.९	८.९	१४०.०
१९२५—२६	१४४.६	८.४	१३६.२
१९२६—२७	१४६.५	६.६	१३९.९
१९२७—२८	१३६.३	७.६	१२८.७
१९२८—२९	१४६.३	६.३	१४०.०
१९२९—३०	१५१.३	६.८	१४६.५
१९३०—३१	१५५.१	७.१	१४८.०
१९३१—३२	१५८.०	७.१	१५०.९
१९३२—३३	१५१.७	५.६	१४६.१
१९३३—३४	१५०.०	५.१	१४४.९
१९३४—३५	१४८.८	४.८	१४४.०
१९३५—३६	१४२.०	४.१	१३७.८

भारतमें अनाजकी माँग और पूर्तिके अंक एकही कोष्ठक में दिखानेपर यह आसानीसे मालूम हो जाता है कि प्रति वर्ष भारत में अनाज की कमी रही और वह नीचे के अनुसार है।

कोष्ठक नं० (३)

(करोड़ मनमें)

सन्	अनाजकी माँग	अनाजकी पूर्ति	अनाजकी कमी
१९११–१२	१७९.९	१५३.०	२६.९
१९१२–१३	१७९.१	१४०.३	३८.८
१९१३–१४	१७९.७	१३४.२	४५.५
१९१४–१५	१८१.९	१४७.५	३४.४
१९१५–१६	१८२.३	१५८.२	२४.१
१९१६–१७	१८२.८	१६२.४	२०.४
१९१७–१८	१८२.७	१५४.४	२८.३
१९१८–१९	१८२.०	११३.०	६९.०
१९१९–२०	१८२.६	१६५.२	१७.४
१९२०–२१	१८२.४	१२६.१	५६.३
१९२१–२२	१८२.४	१६०.५	२१.९
१९२२–२३	१८४.२	१५७.८	१६.४
१९२३–२४	१८४.६	१३६.६	४८.०
१९२४–२५	१८६.९	१४०.०	४६.९
१९२५–२६	१८७.८	१३६.२	५१.६

सन्	अनाजकी माँग	अनाजकी पूर्ति	अनाजकी कमी
१९२६-२७	१८८.०	१३६.६	४८.१
१९२७-२८	१८८.५	१२८.७	५९.८
१९२८-२९	१८९.६	१४०.०	४९.६
१९२९-३०	१९०.४	१४६.५	४३.९
१९३०-३१	१९१.२	१४८.०	४३.२
१९३१-३२	१९१.९	१५०.९	४१.०
१९३२-३३	१९२.४	१४६.१	४६.३
१९३३-३४	१९३.२	१४४.९	४८.३
१९३४-३५	१९३.६	१४४.०	४९.६
१९३५-३६	१९४.२	१३७.८	५६.४

परिशिष्ट (१) से हमें मालूम है कि एक जवान पुरुषको कमसे कम १४ छटाँक अन्न अपने स्वास्थ्यको ठीक रखनेके लिये आवश्यक है। इसलिये वह वर्ष भरमें $\frac{१४\times३६५}{१६\times४०}$ = $\frac{७३\times७}{१६\times४}$ मन अनाज खायगा। यदि प्रतिवर्षकी न्यूनताकी संख्या में इस $\frac{७३\times७}{१६\times४}$ संख्याका भाग दें तो यह मालूम होगा कि उस न्यूनताके कारण कितने युवा मनुष्योंको, वर्षभर, किसी प्रकारका अन्न प्राप्त किये बिना ही रहना पड़ा होगा। इस हिसाबसे सन् १९११-१२ में वर्षभर जिन मनुष्योंको अन्न प्राप्त नहीं हुआ उनकी संख्या ३२८ लाख होगी। परन्तु लगातार वर्षभर भूखे रहकर जीवित रहनेवाले बहुत

ही कम मनुष्य पाये जा सकते हैं। प्रायः ऐसे ही मनुष्य बहुतायतसे पाये जाते हैं जो हमेशा आधा पेट ही खाकर जीवन धारण किये रहते हैं। इसलिये यदि हम सन् १९११-१२ के अन्न न प्राप्त करने-वाले युवा मनुष्योंकी संख्या [३२८ लाख] को दोसे गुणा कर दें तो हमें उस वर्षके आधा पेट भोजन पानेवालोंकी संख्या ज्ञात हो जायगी। वह ६५६ लाख है। इसी तरह अन्य वर्षों के लिये भी आधा पेट भोजन पानेवालोंको संख्या मालूम की जा सकती है। नीचेके कोष्टक में इन आधा पेट भोजन पानेवालोंकी संख्या बतलाई गई है, और यह भी दिखाया गया है कि जवान स्त्री पुरुषोंमें फी सैकड़ा कितने मनुष्य इस प्रकार आधा पेट अन्न खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे—

कोष्ठक नं० (४)

सन्	आधा पेट भोजन पानेवालोंकी संख्या	प्रति सैकड़ा—[ऐसे युवा मनुष्य]
१९११—१२	६५६ लाख	९४
१९१२—१३	६५२ ,,	७८
१९१३—१४	११२२ ,,	९२
१९१४—१५	८५२ ,,	७०
१९१५—१६	५८८ ,,	४८
१९१६—१७	४८६ ,,	४०
१९१७—१८	३८९ ,,	५७

सन्	आधा पेट भोजन पानेवालोंकी संख्या	प्रति सैकड़ा— [ऐसे युवा मनुष्य]
१९१८—१९	१७१२ लाख	६४
१९१९—२०	४२१ ,,	३६
१९२०—२१	६८१ ,,	४०
१९२१—२२	२७४ ,,	१६
१९२२—२३	२०५ ,,	१२
१९२३—२४	६०० ,,	३५
१९२४—२५	५८९ ,,	३५
१९२५—२६	६५० ,,	३९
१९२६—२७	६०० ,,	३५
१९२७—२८	७४९ ,,	४५
१९२८—२९	६२१ ,,	३५
१९२९—३०	५४९ ,,	३३
१९३०—३१	५४७ ,,	३३
१९३१—३२	५१३ ,,	३०
१९३२—३३	५१९ ,,	३०
१९३३—३४	६०१ ,,	३५
१९३४—३५	६२१ ,,	३६
१९३५—३६	६८१ ,,	४०
२५ वर्षोंका औसत	६६७ ,,	४०

इस कोष्टकके देखनेसे विदित होता है कि सन् १६१६ २० और सन् १६२२ २३ में, जो कृषिकी दृष्टिसे अच्छे वर्ष थे, आधा पेट भोजन पाने वालोंकी संख्या क्रमशः ४ करोड़के और २ करोड़के लगभग थी। यह संख्या १३–१४ में ११ करोड़ और १६१८-१६ में तो १७ करोड़ तक पहुँच गई थी। यह संख्या २ करोड़से कभी कम नहीं हुई। २५ वर्षोंमें से एक भी किसी वर्षमें अनाजकी पूर्ति अनाज के माँगके बराबर नहीं हुई। २५ वर्षोंका औसत लगानेसे मालूम होता है कि ४० प्रतिशत युवा मनुष्योंको अर्थात् करीब ७ करोड़ युवा व्यक्तियोंको हमेशा आधा पेट भोजन पाकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पाठक इससे अनुमान कर सकते हैं कि भारत में इस समय रोटीका प्रश्न कितने महत्वका है और देशकी आर्थिक दशा सुधारनेकी इस समय कितनी आवश्यकता है।

हम प्रायः यह कह दिया करते हैं कि भारतकी दशा अत्यन्त ही खराब है, लोग बहुत ही शक्तिहीन हैं, उनकी हालत दिनपर दिन गिरती जा रही है, कार्य करने वालोंकी कार्य-क्षमता दूसरे देशवालों-की अपेक्षा बहुत ही कम है। परन्तु क्या हमने कभी गम्भीरता पूर्वक यह भी सोचा है कि यह सब त्राहि-त्राहि जो हमारे देशके कोने-कोनेमें मची हुई है क्यों है? इसका एक मात्र उत्तर यही हो सकता है कि परिश्रम करनेपर भी पेट भर खानेको ही नहीं मिलता।

सात करोड़ युवा व्यक्तियोंको निरन्तर भूखा रहते देखकर ऐसा कौन सच्चा देश-हितैषी मनुष्य होगा जिसको दुःखके कारण आँसू न आ जाते हों?

परन्तु केवल आँसू गिरनेसे ही काम न चलेगा। प्रारब्धको दोष देकर हाथपर हाथ धरे अकर्मण्य बैठे रहनेसे ही क्या कोई मनुष्य या समाज अपनी उन्नति कर सकता है? इस समय हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि हम भारतकी करोड़ों मन अनाज की वार्षिक कमीकी पूर्ति करनेका तन, मन, धनसे प्रयत्न करें। इस भयंकर कमीको पूरा करनेके दो ही मुख्य साधन हैं—एक तो देशसे बाहर जानेवाले अनाजका परिमाण घटा देना और दूसरा, देशमें अनाजकी उपजको बढ़ाना। इन दोनों विषयोंपर हम अपने विचार अगले अध्यायोंमें प्रगट करेंगे।

———

दूसरा अध्याय

अनाजकी कमी दूर कैसे हो ?

[भारतमें अनाजकी कमीका नतीजा, संसारके मुख्य मुख्य देशों की मृत्यु संख्या और जीवन-कालकी औसत, उसके साथ भारतकी मृत्यु संख्या और जीवन-कालका मुकाबिला, गेहूँ और चावलकी निर्यात, निर्यातकी रोक और अनाजकी उपज बढ़ानेकी आवश्यकता ।]

सरकारी जेलखानोंमें भारतीय कैदियोंको जितनी खुराक दी जाती है वह उतनी ही होती है जितनीसे कैदियोंका स्वास्थ्य न बिगड़े । परन्तु हमारे देशके कमसे कम ४० प्रतिशत युवकों और युवतियोंको, कैदियोंको मिलनेवाली खुराकसे भी कम खुराकपर सारी उम्र बितानी पड़ती है । पिछले अध्यायमें प्रत्यक्ष हिसाब लगाकर, यह बात सिद्ध की जा चुकी है । क्या यह अत्यन्त आश्चर्य और शोककी बात नहीं है कि देशके प्रायः ७ करोड़ जवान स्त्री-पुरुषोंको, जी-तोड़ परिश्रम करनेपर भी उतना भोजन नहीं मिलता जितना कि सरकारी जेलोंमें कठिन कारावासकी सजा काटनेवाले दुराचारी कैदियोंको मिलता है । भोजनके सम्बन्धमें उन कैदियोंकी हालत जेलसे बाहर रहनेवाले निर्दोष लोगोंसे कहीं बेहतर है, यह दशा सचमुच बहुत शोचनीय है । भला जिन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता वे सुखकी कल्पना स्वप्नमें भी कैसे कर सकते हैं ? किसी भी मनुष्यको जब तक आधा पेट ही भोजन

मिलेगा तब तक वह सुखकी नींद सो कैसे सकता है? इस आधे पेट भोजन पानेका प्रभाव उनके स्वास्थ्यपर बहुत बुरा पड़ता है। पूरी पूरी खुराक न मिलनेसे लोग दुर्बल हो जाते हैं। तब, रोगोंके चकाबूमें फँसकर, शीघ्रही दुनियासे कूच कर देना उनके लिये कोई अचरजकी बात नहीं। भूखसे जर्जर इन दुर्बल भारतवासियोंपर मलेरिया, प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएञ्जा आदि रोग भी खूब हाथ साफ करते हैं। इस तरह लाखों मनुष्य प्रति वर्ष यमराजकी भेंट हो जाते हैं। इसी कारण इस देशकी मृत्यु-संख्या बढ़ती जाती है। गत दश वर्षोंका औसत लगाने-पर मालूम होता है वह सख्या २२·४ प्रति हजार प्रति वर्षतक पहुँच गई है। सन् १६१८ में यह संख्या ६०प्रति सहस्र तक पहुँच गई थी। भारतवासियोंके जीवन-कालकी औसत अवधि भी इसी कारण केवल २६·६ वर्ष है। कोष्ठक (५) में यूरोपके कुछ देशोंकी और अमरीकाकी सन् १६३६ की औसत वार्षिक मनुष्य-संख्या तथा जीवन-कालकी औसत अवधि दी जाती है। इससे यह भलीभाँति मालूम होता है कि भारतावासियोंकी मृत्यु संख्या कितनी अधिक है और उनके जीवन-की अवधि अन्य देशोंके मुकाबलेमें कितनी कम है।

कोष्ठक नं० ५

देश	वार्षिक मृत्यु-संख्या प्रति हजार १९३७-३८	जीवन-कालकी औसत अवधि	
		पुरुष	स्त्री
इङ्गलैण्ड	१२.४	६०.१८	६४.४
फ्रान्स	१५.०	५४.३०	५६.०१

देश	वार्षिक मृत्यु संख्या प्रति हजार १९३७-३८	जीवन कालकी औसत अवधि	
		पुरुष	स्त्री
जरमनी	११.७	५९.८६	६२.८१
जापान	१७.०	४४.८२	४६.५४
यूनाइटेड स्टेस्ट्स आफ अमेरिका	११.२	५६.३४	५८.५३
इटली	१४.२	५३.७६	५६.००
आस्ट्रेलिया	९.४	६३.४८	६७.१४
कानाडा	१०.२	५९.७०	५७.७४
डेनमार्क	१०.८	६२.००	६३.८०
भारत	२२.४	२६.९१	२६.५६

देशकी ऐसी शोक जनक तथा हृदय-वीदीर्ण करनेवाली अवस्थामें क्या हमारा कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है ? हमारी समझमें इन ७ करोड़ आध पेट भोजन पानेवालोंको पूरे परिणाममें भोजन दिलानेकी व्यवस्थाका प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ।

जब देशके करोड़ों व्यक्तियोंका जीवन कष्टमय प्रतीत होने लगता है और सर्वत्र दुःख ही दुःख दिखाई पड़ने लगता है तथा जब उन्हें कठिन परिश्रम करनेपर भी रूखा सूखा अन्न पेटभर खानेको नहीं मिलता तब यन्त्रणासे पीड़ित होकर यदि वे बुरेसे बुरा काम करनेको तैयार हो जायँ तो क्या आश्चर्य ! इसलिये देशवासियोंको और राष्ट्रीय सरकारको विशेषकर कांग्रेस सरकारोंको—अन्य सब कामोंसे पहले—

उनकी चिन्ता करनी होगी और जनताकी दशा सुधारनेका इस तरह प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे अत्याचार घटे और जनतामें उत्तरोत्तर सुखकी वृद्धि हो। इसका उपाय यह है कि देशमें अन्नके परिमाणकी इस कदर वृद्धि की जाय कि कमसे कम १५-२० वर्षों के बाद देश भर को काफी परिमाणमें भोजन मिलने लगे।

अब प्रश्न यह है कि अन्नके परिमाणकी वृद्धि हो किस तरह? उसके केवल दो ही साधन हैं। एक तो यह कि यहाँसे अन्य देशोंको जितना अनाज भेजा जाता है उसका परिमाण घटाया जाय, और दूसरा यह कि देशमें अनाजकी उपज बढ़ाई जाय। पहले हम इस देशसे बाहर जानेवाले अनाजके परिमाणको घटानेके विषयमें विचार करते हैं। गत २५ वर्षों में भारतसे बाहरी देशोंको अनाज भेजे जानेकी मात्रा कोष्टक नं० (२) में दे दी गई है।

हम यह भलीभाँति जानते हैं कि भारतसे चावल और गेहूँ की निर्यात ही अधिक परिमाणमें होती है। अन्य प्रकारका अनाज कम भेजा जाता है। इसलिए यदि हम बाहर भेजे जानेवाले अनाजका परिमाण कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिसमें इस देशसे बाहर गेहूँ और चावल कम भेजा जाय। अगले पृष्ठपर कोष्टकमें गेहूँ और चावलके निर्यातका परिमाण दिया गया है। उक्त कोष्टकसे यह मालूम होता है कि यूरोपीय महायुद्धके पहले इस देशसे बाहर अनाज बहुत अधिक परिमाणमें भेजा जाता था। महायुद्धके समय यह परिमाण बहुत कम हो गया था। और अब भी कम मात्रामें निर्यात किया जाता है। सन् १६३६-३७ में चावलका

निर्यात केवल .६४ करोड़ मन और गेहूँका निर्यात केवल .७७ करोड़ मन था। महायुद्धके समय जहाजोंका अभाव अथवा न्यूनता रहनेसे अनाजकी रफ्तनी अधिक परिमाणमें नहीं हो सकी, दूसरे भारत सरकारने विदेशको अनाज भेजनेका अधिकार अपने हाथमें ले लिया था, इससे भी रफ्तनीमें रोक टोक बनी रही, और यही कारण है कि देशसे अधिक माल बाहर नहीं भेजा जा सका। इसका परिणाम देशके लिये अच्छा ही हुआ। यदि भारत सरकार राली ब्रदर्सके सदृश कम्पनियोंको मनमाना अनाज देशसे बाहर ले जाने देती—अर्थात् अनाजकी रफ्तनीपर नियन्त्रण न रखती—तो वह बेहद मँहगा हो जाता जैसा कि १९२० और १९२१ में हो गया। इससे देशमें असन्तोष एवं दुःख और भी अधिक बढ़ जाता। हाँ, अन्नकी दर चढ़ जानेसे उन किसानोंको कुछ लाभ अवश्य होता जो केवल बेच देनेके लिये ही गेहूँ चावल बोते हैं परन्तु हमारी समझमें तो बीचके दलाल ही मुनाफेकी गहरी रकम हड़प कर जाते, और इस तरह देश घाटेमें ही रहता। इसलिये हमारी समझमें यदि इन व्यापारियोंको स्वतन्त्र रूपसे मनमाना गेहूँ चावल विदेश भेजने दिया जाय तो देशका हित नहीं, जबतक सारे देशवासियोंको काफी परिमाणमें भोजन नहीं मिलता तबतक देशसे गेहूँ चावल विदेश भेजनेकी बिलकुल मनाही कर देना ठीक होगा। यदि किसी कारण राष्ट्रीय सरकार ऐसा करनेमें असमर्थ हो तो कमसे कम वह व्यापारियोंको स्वतन्त्र रूपसे गेहूँ-चावल विदेश न भेजने दे, और जितना हो सके उतने कम परिमाणमें गेहूँ-चावल विदेशको जाने दे। अगले पृष्ठमें दिये गये कोष्ठमें यह

बतलाया गया है कि गत २५ वर्षोंमें कितना गेहूँ और चावल ब्रिटिश भारतमें उत्पन्न हुआ और उसमेंसे विदेशको कितना भेजा गया।

कोष्ठक नं० [६]—(करोड़ मनमें)

सन् ईसवी	गेहूँ उपज	गेहूँ जो विदेश भेजा गया	गेहूँ जो देशमें बचा	चावल उपज	चावल जो विदेश भेजा गया	चावल जो देशमें बचा
१९११-१२	२३.९	३.८	२०.१	९६.८	७.१	८९.७
१९१२-१३	२०.९	४.७	१६.२	८४.९	७.५	७७.४
१९१३-१४	१८.८	३.४	१५.४	८३.५	६.७	७६.८
१९१४-१५	२१.५	२.१	१९.४	७६.२	४.२	७२.०
१९१५-१६	१८.५	१.९	१६.६	८९.८	३.९	८५.९
१९१६-१७	२०.९	२.२	१८.७	९४.१	४.५	८९.६
१९१७-१८	२०.५	४.२	१६.३	९६.४	५.३	९१.१
१९१८-१९	१६.३	१.४	१४.९	६६.४	५.६	६०.८
१९१९-२०	२१.५	०.२	२१.३	९०.३	१.८	८८.१
१९२०-२१	१४.५	.८१	१३.६	७५.१	२.९९	७२.१
१९२१-२२	२३.८	.३८	२३.४	८७.९	३.८१	८४.१
१९२२-२३	२१.७	.७३	२१.०	८९.८	५.७९	८४.०
१९२३-२४	२०.६	१.८९	१८.७	७४.८	६.०१	६८.८
१९२४-२५	१८.९	.५२	१८.४	८२.४	६.२५	७६.१

सन् ईसवी	गेहूँ उपज	जो विदेश भेजा गया	जो देशमें बचा	चावल उपज	जो विदेश भेजा गया	जो देशमें बचा
१६२५–२६	१८.६	.७६	१७.८	८१.३	७.०४	७४.३
१६२६–२७	१८.६	.६४	१८.३	७६.७	५.६०	७४.१
१६२७–२८	१५.७	.६८	१४.७	७४.८	५.६५	६८.८
१६२८–२६	१८.२	.४६	१७.७	८५.१	५.०८	८०.०
१६२६–३०	२२.३	.१७	२२.१	८४.६	६.३३	७८.१
१६३०–३१	२०.८	.६६	२०.१	८६.८	६.२०	८०.६
१६३१–३२	२०.४	.१७	२०.२	८६.५	६.४४	८३.१
१६३२–३३	२०.८	.०७	२०.७	८२.४	५.१४	७७.३
१६३३–३४	२०.६	.०५	२०.५	८१.१	४.७३	७६.३
१६३४–३५	२०.१	.०७	२०.०	८०.८	४.३७	७६.४
१६३५–३६	२०.६	.०७	२०.५	७२.६	३.८३	६८.८
१६३६–३७	२१.७	.७७	२०.६	८६.८	.६४	८६.२
२५ वर्षों का औसत			१८.६			८१.६

२५ वर्षोंका चावलका वार्षिक औसत १३२ सेर प्रति मनुष्य अर्थात् ५॥। छटाँक प्रति मनुष्य प्रति दिन और गेहूँका वार्षिक औसत २८॥ सेर प्रति मनुष्य या सवा छटाँक प्रति मनुष्य प्रति दिन हिसाव लगानेसे मालूम होता है।

इस कोष्ठकसे यह पता लगता है कि गेहूँ और चावलकी उपज-

का कितना भाग प्रति वर्ष करोड़ों देशवासियोंके भूखे मरनेपर भी अन्य देशोंमें चला जाता है। इस कोष्ठकसे यह भी मालूम होता है कि देशमें कितना कम गेहूँ और चावल भारतवासियोंके उपयोगके लिये बचता है। २५ वर्षोंकी औसत लगानेसे यह विदित होता है कि भारतमें प्रति मनुष्यको केवल २८॥ सेर गेहूँ और १३२ सेर चावल प्रति वर्ष मिल सकता है। अथवा यों कहिये कि यदि गेहूँ और चावल देशवासियोंमें बराबर बराबर बाँट दिये जायँ तो प्रति मनुष्यको प्रति दिन सवा छटाँक गेहूँ और पौने छः छटाँक चावल मिलेंगे। पाठक इससे स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं कि गेहूँ और चावल का विदेश भेजना बन्द करनेकी और उनकी उपजको शीघ्र बढ़ानेकी कितनी अधिक आवश्यकता है।

अब जरा यूनाइटेड स्टेट्सके समान स्वतन्त्र राष्ट्रकी इस सम्बन्धकी दशापर विचार कीजिये। Statistical Abstract of United States नामक पुस्तकमें यह बतलाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्समें प्रति वर्ष कितना गेहूँ पैदा होता है, कितना बाहर भेजा जाता है और कितना देशमें खर्चके लिये बचता है। सन् १९११-१२ से सन् १९१५-१६ तक पाँच वर्षोंकी उस देशके गेहूँको खपतकी औसत लगानेसे मालूम होता है कि प्रति वर्ष प्रायः ६२ करोड़ बुशल (१ बुशल = ६० पौंड) या ४४। करोड़ मन गेहूँ देशके खर्चके लिये बचा। अर्थात् ६ करोड़ २० लाख मनुष्योंके खर्चके लिये अमरीकामें ४४। करोड़ मन गेहूँ देशमें प्रति वर्ष बचता है। यदि देशमें बचा हुआ सब गेहूँ सब मनुष्योंमें बराबर बराबर बाँट दिया जाय तो प्रत्येक

मनुष्यको प्रत्येक वर्षके खर्चके लिये १६२ सेर गेहूँ मिलेंगे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भारतमें प्रत्येक मनुष्यको २८॥ सेर गेहूँ और १३२ सेर चावल मिल सकता है। अमरीकाके लोग अधिकांश मांस-भोजी हैं और भारतके अधिकांश शाक भोजी। तिसपर भी अमरीकाके लोग १६२ सेर गेहूँ प्रति मनुष्य अपने देशमें वर्ष भरके खानेके लिये रख लेते हैं, परन्तु भारतमें प्रत्येक मनुष्यको केवल २८॥ सेर गेहूँ और १३२ सेर चावल वर्ष भरमें खानेको मिलता है। अर्थात् अमरीकाके लोग जितना गेहूँ उपयोगमें लाते हैं उसका केवल सातवाँ हिस्सा गेहूँ और दो तिहाई हिस्सा चावल भारतवासियों-को नसीब होता है चित्र नं० १ में यही बात दिखलाई गई है।

कुछ महाशयोंका मत है कि यदि सरकार अनाजकी रफ्तनीमें दस्तन्दाजी करेगी तो अनाजकी कीमत, जमीनकी अन्य उपजोंके मुकाबलेमें बहुत कम हो जायगी। इससे कृषक लोग अनाज बोनेकी अपेक्षा कपास, सन, तिल आदि बोना अधिक लाभदायक समझेंगे। इसलिये वही चीजें अधिक परिमाणमें बोई जायगी और गेहूँ-चावलकी खेती कुछ कम हो जायगी। इस कारण उनकी उपज भी पहलेसे कुछ कम होगी। अतएव गेहूँ और चावलकी कीमत फिर भी बढ़ जायगी, और अन्तमें इस नीतिसे देशको कुछ भी लाभ न होगा। परन्तु इस आक्षेपमें कुछ भी सार नहीं है। गेहूँ और चावलकी रफ्तनी करनेका अधिकार सरकारके अधीन हो जानेपर उन चीजोंकी दर अवश्य ही उतनी अधिक नहीं बढ़ती जितनी कि अन्य चीजोंकी बढ़ जाती है, परन्तु इससे ही गेहूँ और चावल पहलेसे कम भूमिमें नहीं बोये जाते।

चित्र नं० १
मांसभोजी अमरीका वासियोंकी
गेहूंकी प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत
१९२ सेर
शाकभोजी भारतवासियोंकी चावलकी
प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत
१३२ सेर
शाकभोजी भारतवासियोंकी गेहूंकी
प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत

चित्र नं० १

मांसभोजी अमरीका वासियोंकी
गेहूंकी प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत

शाकभोजी भारतवासियोंकी चावलकी
प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत

१३२
सेर

शाकभोजी भारतवासियोंकी गेहूंकी
प्रतिमनुष्य वार्षिक खपत

अनाज बाये जानेका ज्यादातर दारोमदार उसकी कीमतकी अपेक्षा वर्षापर और जमीनके विशेष गुणोंपर ही है। अनाजकी उपजका दारोमदार भी वर्षापर ही है। कुछ महाशयोंका यह भी मत है कि यदि गेहूँ-चावल रोक लिया जायगा तो मोटा (जौ, मटर आदि) अन्न अधिक परिमाणमें बिदेशमें जाने लगेगा। इससे गरीबोंको फिर भी अन्नके लाले पड़ने लगेंगे। हमारी समझमें इसकी वैसी सम्भावना नहीं प्रतीत होती। यदि सरकार सब प्रकारके अनाजकी रफ्तनी स्वतन्त्र रूपसे न होने दे तो बहुत अच्छा हो। परन्तु यदि सस्ता अन्न स्वतन्त्र रूपसे जाने भी दिया गया तो उसकी माँग विदेशोंमें बहुत कम होनेके कारण उसका परिमाण अधिक बढ़नेकी सम्भावना बहुत कम है। केवल गेहूँ और चावलकी ही माँग विदेशोंमें बहुत है और उनका स्वतन्त्र रूपसे इस देशसे न भेजा जाना ही आवश्यक है।

यदि सरकार इन विदेशी व्यापारियोंको स्वतन्त्र रूपसे अनाजका व्यापार करने देनेकी नीतिको देशके लिये हितकर समझे तो उसे देशसे बाहर भेजे जानेवाले गेहूँ और चावलपर १० या १५ प्रति सैकड़ेके हिसाबसे टैक्स लगा देना चाहिए। स्मरण रहे कि ऐसा कर लगानेसे देशको किसी प्रकारकी अधिक हानि होनेकी सम्भावना नहीं, प्रत्युत इस उपायसे भी देशसे बाहर जानेवाले अनाजका परिमाण कुछ कम हो जायगा और अनाजकी कमीको कुछ अंशमें दूर करनेमें सहायता मिलेगी।

परन्तु विदेशोंको भेजे जानेवाले अनाजके परिमाणको घटा देनेसे ही काम न चलेगा। यदि अनाजका विदेश भेजा जाना बिलकुल

ही बन्द कर दिया जाय तो भी कई करोड़ मन अनाजकी कमी बनी ही रहेगी।

अन्नकी रफ्तनीको घटानेके सिवा हमको देशमें अन्नकी उपज भी बढ़ानी होगी। हमारे देशकी जमीन कम उपजाऊ हो गई है। यहाँ एक एकड़ जमीनमें यदि दस मन अनाज उत्पन्न हो जाय तो वह साधारणतः अच्छी उपज समझी जाती है। कृषि-विभागके कर्मचारियोंने ऐसी ही जमीनपर नये प्रकारके यन्त्र, खाद और सिंचाई आदिका उपयोग करके सिद्ध कर दिया है कि उन्हीं खेतोंमें दुगुनी तिगुनी उपज उत्पन्न की जा सकती है। क्या ही अच्छा हो यदि हमारे सब किसान भाई नये नये यन्त्र, खाद और सिंचाईका उपयोग करके उपज को, अधिक नहीं तो दूना करनेमें ही समर्थ हो जायँ ? तब तो अवश्य ही सुखका साम्राज्य हो जाय और किसीको भी भूखों न मरना पड़े। हमारे देशवासी भी अपना पेट भरकर दूसरे देशोंको अन्न देनेमें समर्थ हो जायँ। परन्तु इन साधनोंका उपयोग करनेमें अगणित कठिनाइयाँ हैं। भारतीय किसान बहुत गरीब हैं। उनकी जमीन बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ोंमें भिन्न भिन्न स्थानोंमें, बँटी हुई है, इससे वे नये नये प्रकारकी खाद देकर, और नये नये यन्त्र लगाकर भी ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते। उनको सिंचाईका भी माकूल सुभीता नहीं है। उनके बैल बहुत कमजोर होनेके कारण नये प्रकारके वजनी हल खींचनेमें असमर्थ हैं। वे प्रायः लालची साहूकारोंके चंगुलमें फँसे रहकर मनमाना व्याज देते देते उजड़ गये हैं। जमींदारोंको लगान भी उन्हें बहुत देना पड़ता है। दूसरे रूपमें रिशवत भी उन्हें देनी पड़ती है।

सौ बातकी बात यह है कि वे अविद्या रूपी अन्धकारमें पड़े हुए हैं, जिसके कारण वे जहाँ जाते हैं वहीं धोखा खाते हैं और परिश्रमसे कमाये हुए मुनाफेका बहुत सा भाग व्यर्थ ही खो देते हैं। प्रश्न बहुत जटिल है। इस सम्बन्धमें हम अपने विचार अगले अध्यायोंमें प्रकट करेंगे।

तीसरा अध्याय

किसानोंकी आर्थिक दशा

[भारतवासियोंकी गरीबी और उनके रहन-सहनका बहुत नीचे दर्जेका होना; भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें बोने लायक पड़ती जमीन; किसानों की संख्या-वृद्धि; जमीनका छोटे-छोटे टुकड़ोंमें दूर-दूर बँटे हुए होना; पानीकी कमी; पूँजीकी कमी; दलालोंका मुनाफेको हड़प कर जाना; किसानोंमें शिक्षाका अभाव; जमींदार और किसानोंका सम्बन्ध; असुविधाओंका सारांश]

विगत महायुद्धने संसारके मनुष्योंकी आँखें खोल दी हैं। वे अब कृषिके महत्वको भलीभाँति समझने लगे हैं। इङ्गलैण्ड सरीखा औद्योगिक देश भी अब अपनी कृषिको बढ़ानेका जी तोड़कर प्रयत्न कर रहा है। परन्तु भारतवासी अब भी प्रगाढ़ निद्रामें पड़े हुए हैं। देशकी आर्थिक दशा इतनी गिरी हुई होनेपर भी हम लोग कृषि-सुधारकी ओर उचित रूपसे ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित Indian Journal of Economics में इस पुस्तकके लेखकने एक लेखमें हिसाब लगाकर यह सिद्ध किया है कि सरकारी जेलोंमें, कठिन कारावास की सजा पानेवाले दुराचारी कैदियोंको जितना भोजन मिलता है, उसका तीन चौथाई भोजन भी हमारे देशके १६ करोड़ युवाओंको प्रति वर्ष

चित्र नं० २

चित्र नं० ३

नहीं मिलता *। पहले अध्यायमें जो हमने भारतके अनाजकी माँग और पूर्त्तिका अन्दाजा लगानेका प्रयत्न किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि देशमें, सुकालमें भी, १६ करोड़ मन अनाजकी वार्षिक कमी बनी रहती है और अकालके समयमें तो इसकी संख्या ६८ करोड़ मन तक बढ़ जाती है। इस कमीके दुष्परिणामोंसे पाठक भलीभाँति परिचित हैं। दुर्भिक्षके समय देशभाइयोंकी दुर्दशा देखकर ऐसा कौन भारतवासी होगा जिसका हृदय विदीर्ण न हो जाता हो? इस सम्बन्ध में, दुर्भिक्षके समयके दो चित्र दिये जाते हैं, जिससे देशवासियोंकी दशा समझनेमें पाठकोंको सहायता मिलेगी। देखिये चित्र न०२ और ३।

जब तक हमारी यह दशा रहेगी, जब तक हम भूखों मरते रहेंगे, तब तक हमारी किसी भी प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती। अनाजकी कमी दूर करनेका प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक देश-हितैषी सज्जनका यह पहला कर्तव्य है कि वह उसे दूर करनेका प्रयत्न करे। अनाजकी कमी दूर करनेका एक साधन है देशसे अनाजकी रफ्तनीका बन्द करना। परन्तु देशसे अनाजकी रफ्तनीको रोक देनेसे ही हमारा काम न चलेगा। प्रत्युत देशमें हमें अन्नकी उपजका परिमाण भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे अध्यायमें हम यह स्पष्टतया बतला चुके हैं कि

---

* See Indian Journal of Economics Volume III, Parts I and II, an article by Pandit Daya Shankar Dubey entitled "A Study of the Indiau Food Problem."

अनाजकी कमी इतनी अधिक रहती है कि देशकी उपजको बिना बढ़ाये हमारी दशा सुधर ही नहीं सकती। हमारी जमीनकी उपज प्रायः १० मन प्रति एकड़के हिसाबसे होती है। वास्तवमें हमारी जमीन खराब नहीं हैं। इसलिए उपजके इस कदर कम होनेका उसे दोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कृषि विभागके कर्मचारियोंने नये प्रकारके यन्त्रों, खाद और सिंचाई आदिका उपयोग करके उसी जमीनसे दुगुनी तिगुनी उपज पैदा करनेमें सफलता प्राप्त की है। जब जमीन खराब नहीं है और उपज बढ़ाई जा सकती है तब फिर वह बढ़ाई क्यों नहीं जाती? इस प्रश्नपर हमको अच्छी तरहसे विचार करना चाहिये। क्योंकि हमारे देशका भविष्य बहुत कुछ इसी प्रश्नके हल होनेपर अवलम्बित है।

कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उनको आजकल क्या क्या असुविधायें है, क्योंकि बीमारीको भलीभांति बिना समझे दवाका उपयोग करनेसे सफलता नहीं हो सकती। इस अध्यायमें कृषकोंकी आर्थिक दशाका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। इसके बाद अन्य अध्यायोंमें यह बतलानेका प्रयत्न किया जायगा कि ये असुविधायें किस प्रकार दूर हो सकती हैं; राष्ट्रीय सरकार और शिक्षित जनताको उनके निवारणार्थ किस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए।

भारत-वासियोंकी गरीबीके सम्बन्धमें समाचारपत्रों और व्याख्यानों-में बहुत कुछ लिखा और सुना जाता है परन्तु हर एक जिलेमें कुछ गाँवोंकी अच्छी तरहसे जाँच कर इस बातको जाननेका प्रयत्न बहुत

कम लोगोंने किया है कि फी-सैकड़े कितने आदमियोंकी आमदनी और रहन-सहन ऊँचे दर्जेकी है, कितने आदमियोंकी आमदनी और रहन सहन मामूली दर्जेकी है और कितने आदमियोंका रहन सहन और आमदनी बहुत नीचे दर्जेकी है। इङ्गलैण्ड और अमेरिकामें रावेन्ट्री (Rowentree) और बूथ (Booth) जैसे विद्वानोंने अपने देशवासियोंकी दशाकी जाँचकर कई प्रामाणिक ग्रन्थ लिख डाले हैं। परन्तु भारतमें क्या सरकार और क्या जनता किसीने भी इस महत्वपूर्ण विषयपर अभीतक कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार प्रत्येक प्रान्तके कुछ गाँवोंकी आर्थिक दशाकी जाँच कराके भारतवासियोंकी सच्ची दशा समझनेका प्रयत्न करे और दूसरोंको उसके समझनेमें मदद दे तो इस दीन देशका बहुत कुछ कल्याण हो!

जो उत्साही नवयुवक बहुधा यह पूछा करते हैं कि हम देशके लिए क्या करें वे इस प्रश्नको अपने हाथमें लें। हां, इसके लिए अर्थशास्त्रके ज्ञानकी आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्नको वे हा अपने हाथमें ले सकते हैं जिन्होंने बी० ए० या एम० ए०में अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है या जो उतनी योग्यता रखते हैं। गाँवोंकी आर्थिक जाँच करनेके लिए प्रश्नावली (Villages questionare) डाक्टर स्लेटर (Dr. Slater) की पुस्तक (Some South Indian Villages) में मिल सकती है। बन्दोबस्तकी भिन्नताके कारण उसमें आवश्यक संशोधन कर लेनेपर वह भली भाँति काममें लाई जा सकती है।

प्रत्येक समाजमें गरीब, मामूली और धनवान सब प्रकारके आदमी

पाये जाते हैं। पर निम्नलिखित कारणोंसे मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश भारतमें बहुत ही गरीब और बहुत नीचे दर्जेके रहन-सहनवालोंकी संख्या बहुत ही अधिक है। सम्भवतः उनकी संख्या ८० फी सैकड़ा है। हमारे ऐसा समझनेका पहला कारण यह है कि सन् १९०१ में हिसाब लगाकर सरकारी ओरसे यह कहा गया था कि प्रत्येक भारतवासीकी औसत वार्षिक आमदनी ३०) रु० थी। शायद यह आमदनी अब रुपयेके हिसाबसे, कुछ बढ़ भी गई हो, परन्तु सब वस्तुओंकी कीमत पहलेसे दुगुनी-तिगुनी हो जानेके कारण उनकी दशा पहलेसे अच्छी नहीं हुई इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। नीचेके कोष्ठकमें संसारके मुख्य मुख्य देशोंके निवासियोंकी प्रति मनुष्य औसत वार्षिक आमदनी दी जाती है। यह लेखा सन् १९०१ का है। आमदनीके ये अङ्क यद्यपि पुराने हैं तो भी भारतवासियोंकी उस समयकी आमदनीके साथ उनसे तुलना करते ही भारतवासियोंकी भयङ्कर गरीबीका पता लगता है। चित्र (Diagram) नं० ४ में भी इन आदमियोंकी तुलना की गई है। उससे यह आसानीसे समझमें आ जायगा कि अन्य देशोंके मुकाबलेमें हम कितने अधिक गरीब हैं।

कोष्टक नं० ७

वार्षिक आमदनी प्रति मनुष्य

आस्ट्रेलिया	६७०)	रुपये
इंगलैंड	६३०)	,,
यूनाइटेड स्टेट्स	५८५)	,,

चित्र नं० ४

संसारके भिन्न भिन्न देशोंकी प्रतिमनुष्य
वार्षिक आमदनी (सन १९०१)

आस्ट्रेलिया	६७५) रु०
इङ्गलेण्ड	६३०) ,,
संयुक्तराष्ट्र अमरीका	५८५)
फ्रांस	४००) ,,
जर्मनी	३२०) ,,
भारतवर्ष	३०) ,,

रुपये
८००
७००
६००
५००
४००
३००
२००
१००

आस्ट्रेलिया
इङ्गलेण्ड
संयुक्त राष्ट्र अमरीका
फ्रांस
जर्मनी
भारतवर्ष

फ्रांस	४००)	रुपये
जर्मनी	३३०)	,,
भारत	३०)	,,

भारतमें बहुत ही गरीब और नीचे दर्जेके रहन-सहन वालोंकी संख्या ८० फी सदी समझनेका दूसरा कारण यह है कि सन् १९०७ से १९१७ तक गाँवोंमें प्रति वर्ष प्रति सहस्र ३१.२ के हिसाबसे आदमी मरे। सन् १९१८ में यह संख्या ६० तक पहुँच गई थी। भारत वासियोंकी औसत आयु २७ वर्षसे भी कम है। जब कि इङ्गलैण्डके लोगोंकी ६० वर्षकी और न्यूजीलैण्डके लोगोंकी ६५ वर्षकी है। इन बातोंसे स्पष्ट है कि हमारे देशमें अधिकांश मनुष्योंका रहन-सहन बहुत ही नीचे दर्जेका है।

हम पीछे कह चुके हैं कि ब्रिटिश भारतमें ७ करोड़ मनुष्योंको भरपेट रूखा सूखा भोजन भी नहीं मिलता, इस कारण वे अशक्त हो जाते हैं और प्लेग, मलेरिया, महामारी, इनफ्ल्यूएन्ज़ा इत्यादि बीमारियोंके शिकार होते हैं। जिनको भरपेट खानेको नहीं मिलता, जो अत्यन्त ही गरीब हैं और जिनका रहन सहन बहुत ही नीचे दर्जेका है उनसे कृषि-सुधारकी क्या आशा की जा सकती है? इससे हमें यह मालूम हुआ कि कृषि-सुधारमें सबसे बड़ी पहली असुविधा अधिकांश कृषकोंकी दरिद्रता और उनके रहन-सहनका बहुत नीचे दर्जेका होना है।

उत्पत्तिका पहला और प्रधान साधन जमीन है। सरकार द्वारा

प्रकाशित Agricultural Statistics of India Vol. I से यह मालूम होता है कि ब्रिटिश भारतमें कुल ७० करोड़ एकड़ जमीन है जिसमेंसे करीब ९ करोड़ एकड़ जमीनमें जङ्गल है और १६ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकारकी खेती नहीं हो सकती। बाकी बची हुई जमीनमेंसे सन् १९३६-३७ में २३ करोड़ एकड़ जमीनमें खेती हुई थी और करीब १५ करोड़ एकड़ जमीन यानी सम्पूर्ण भारतकी एक चौथाईसे कुछ अधिक जमीन खेतीके लायक होनेपर भी बेकार पड़ी रही। इस १५ करोड़ एकड़ जमीनमेंसे प्रायः ५ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी थी जो एक या दो सालके लिये पड़ती छोड़ दी गई थी। कोष्ठक नं० ७ में यह बतलाया गया है कि भारतके सब प्रान्तोंका क्षेत्रफल क्या है, कितनी जमीनमें खेती की जाती है, खेती लायक कितनी जमीन बिना जोती बोई पड़ी है और प्रान्तके क्षेत्रफलसे ऐसी जमीन फी सैकड़ा कितनी है। इस कोष्टकसे यह मालूम होता है कि ब्रह्मा, पञ्जाब, आसाम, मध्यप्रदेश, सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें बिना जोती लेकिन बोने लायक जमीन (Cultivble waste) का रकबा, प्रान्तके क्षेत्रफलके चतुर्थांशसे अधिक है। राजपूताना और मध्यभारतमें भी ऐसी पड़ती जमीन बहुत है। इसलिए इन्हीं प्रान्तोंके सम्बन्धमें हम नीचे विचार करते हैं।

सिन्ध और राजपूतानेमें वर्षा बहुत कम होती है, इसके सिवा वहाँकी जमीन रेतीली और ऊसर है, इसलिये इन प्रान्तोंके सम्बन्धमें ऊपर बतलाई हुई जमीन खेतीके काममें तबतक नहीं आ सकती जब तक कि वहाँपर आबपाशीका पूरा प्रबन्ध न किया जाय। आसाम,

बरमा, और मध्यभारतमें मलेरिया, काला-ज्वर इत्यादि रोगोंके कारण और जाने-आनेके लिए सड़कें, रेल इत्यादिका सुभीता न होनेके कारण अन्य प्रान्तोंके निवासी वहाँ जाकर पड़ी हुई जमीनको जोतनेमें हिचकिचाते हैं। जब तक ये असुविधाएँ दूर न की जावेंगी तब तक वहाँकी पड़ती जमीनका खेतीके उपयोगमें आना सम्भव नहीं दीखता। केवल पञ्जाब और मध्यप्रदेश ही ऐसे प्रान्त हैं जहाँ थोड़ी बहुत पड़ती जमीन फिलहाल काश्तकारीके उपयोगमें लाई जा सकती है, परन्तु भारतकी कुछ जमीनके रकबे और मनुष्य-संख्याके ख्यालसे यह जमीन बहुत कम है और हम यह कह सकते हैं कि जब तक ऊपर बताई गई असुविधाएँ दूर नहीं होतीं तब तक भारतमें ऐसी पड़ती जमीन बहुत कम है जो कि काश्तकारीके उपयोगमें एक दम लाई जा सकती हो।

दूसरी बात यह है कि भारतमें काश्तकारोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है। सन् १९०१ में उस वर्षकी मनुष्य-गणनाके अनुसार किसानोंकी संख्या १५। करोड़ थी और सन् १९११ में वह १७ करोड़ तक बढ़ गई थी। सन् १९१९ में यह संख्या १९ करोड़ तक पहुँच गई थी और सन् १९३१ की मनुष्यगणना के अनुसार यह संख्या अब २३ करोड़ है। हम ऊपर बता चुके हैं कि भारतमें केवल २३ करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती है। इससे यह मालूम होता है कि प्रत्येक काश्तकारको एक एकड़ जमीनसे अधिक नहीं मिल सकती या १५ से ४० वर्ष तककी उमर वाले एक जवान काश्तकारको अपने कुटुम्ब और बालबच्चोंको पालनेके लिये ४ एकड़से अधिक जमीन नहीं मिल सकती। इसका फल यह होता है कि किसानको खेतीसे बहुत कम लाभ होता है और उसकी दशा दिनपर दिन खराब होती जाती है।

कोष्टक नं० ७ (लाख एकड़)

प्रान्त	क्षेत्रफल	बोई हुई जमीनका रकबा सन् १९३६-३७	ऐसी बोनेलायक जमीन जो पड़ती जोती नहीं गई सन् १९३६-३७	पड़ती जमीन प्रात के क्षेत्रफलसे फी सैकड़े कितनी है ?
बङ्गाल	५२७	२४५	५९	११
मद्रास	८०१	३१७	१०८	१३
बम्बई	४८७	२८२	८	२
सिन्ध	३०२	४८	५७	१६
युक्तप्रान्त	७२५	३६२	१००	१४
बिहार और उड़ीसा	६४९	२६३	८७	१२
पञ्जाब	६४४	२७६	१४१	२२
ब्रह्मा	१६७५	१८२	६२०	३७
मध्यप्रांत और बरार	६३०	२४६	१४०	२२
आसाम	४३४	६६	१८८	४३
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत	८६	२३	२८	३४
अन्य प्रांत	३२	६	३	९
मीजान	६९६२	२३१९	१५१९	२२

पूनाके कृषि कालेजके भूतपूर्व प्रिंसपल डाक्टर हेराल्डमेन (D. Harold Mann) ने बम्बई प्रान्तके एक ग्रामकी जाँच करके यह पता लगाया था कि उस गाँवके ७२९ खेतोंमेंसे ४६३ खेत ऐसे थे जिनका रकबा एक एकड़से भी कम था। प्रयाग विश्वविद्यालय के श्री बुद्धि प्रकाश जैन एम० ए० ने संयुक्त प्रांतके कुछ ग्रामोंकी इसी प्रकार जाँच की थी। इस जाँचका परिणाम नीचे कोष्ठकमें दिया जाता है।

कोष्ठक ८

खेतोंके टुकड़े प्रति सैकड़ा

एकड़में	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	इलाहाबाद	बलिया
.१ से कम	.७	.७	२	१६.७
.१ से .२ तक	८.४	४.३	७.३	२६.०
.२—.५	३२.१	१३.४	३५.१	२९.९
.५— १	३२.६	२१.८	३५.९	२३.८
१ — २	२०.५	२७.८	१६.६	.६
२ — ५	५.०	२२.७	३.०	०
५ —१५	.६	६.६	.१	०
१५ से ऊपर	.१	१.६	०	०

इस कोष्ठकसे मालूम होता है कि प्रत्येक जिलेमें अधिकांश खेत एक एकड़से छोटे हैं। बलिया जिलाकी दशा बहुत ही शोचनीय है। वहाँके तीन ग्रामोंकी जाँचसे जो नतीजा निकाला गया है वह अगले पृष्ठपर दिया जाता है—

कोष्ठक नं० ९

एकड़	खेतोंके टुकड़े	खेतोंके टुकड़े प्रति सैकड़ा
.०४ से कम	८४	३.२
.०४ से .०८	२७१	१०.५
.०८ से .१	१५६	६.०
.१ से .२	६८१	२६.०
.२ से .४	७८५	२९.९
.४ से .६	३२८	१२.५
.६ से .८	१६३	६.३
.८ से १.४	१२९	५.०
१.४ से २.९	१४	.६

इस प्रकारकी शोचनीय दशा संयुक्तप्रांतहीमें नहीं किन्तु अन्य-प्रन्तोंमें भी है। उदाहरणार्थ पंजाब और बम्बई प्रान्तमें जहाँपर बहुत कुछ सुधार हुआ है खेतोंका क्षेत्रफल नीचे लिखे अनुसार है।

कोष्ठक नं० १०

खेतोंकी संख्या प्रति सैकड़ा

एकड़	पंजाब	बम्बई
५ से कम	४२.९	४८
५ से १०	२७.४	} ४०
१० से २०	२०.०	
२० से ऊपर	१०.५	१२

हमारे देशमें खेत छोटे ही नहीं हैं परन्तु दूर दूर भी बटे हुए हैं। अगर एक किसानके पास ७ खेत हैं तो सात ही स्थानोंपर हैं और उनमेंसे भी अगर एक गाँवके उत्तर दिशामें है तो दूसरा दक्षिणमें। इस सम्बन्धमें श्री बुद्धि प्रकाश जैनकी जाँचके अनुसार संयुक्तप्रान्तके तीन जिलोंके कुछ ग्रामोंकी दशा नीचे लिखे अनुसार हैं:—

कोष्टक नं० ११

जोतनेवाले काश्तकारोंकी संख्या

खेत संख्या	सहारनपुर	मुजफ्फर नगर	इलाहाबाद
१ से ४	५०	८८	९९
५ से १०	१६	४७	४५
१०से २५	१८	१६	१४
२५ से ऊपर	१७	०	०

इतना ही नहीं इन छोटे छोटे खेतोंके टुकड़ोंकी एक और बहुत ही मजेदार विशेषता यह है कि इनकी शकल बहुत ही अनोखी हैं। अगर कोई त्रिभुजाकार है तो कोई पंचभुजाकार है और कोई दश भुजाकार।

खेतोंके छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूर दूर पर बटे हुए होनेसे किसानोंको नीचे लिखे नुकसान होते हैं:—

(१) आने-जानेमें उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है।

(२) उन्हें वैज्ञानिक यन्त्र इत्यादिका उपयोग करनेमें बहुत असुविधा पड़ती है। वे उससे ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते।

(३) रखवाली करनेमें दिक्कत होती है।

(४) उन खेतोंमें जानेके लिए रास्ता बनानेमें और उनमें नहरसे पानी ले जानेमें बड़ी अड़चन पड़ती है।

(५) काश्तकारोंका पारस्परिक झगड़ा बढ़ता है।

(६) मेड़ और बागुड़ इत्यादि बनानेमें बहुतसी जमीन बेकार पड़ी रहती हैं। इन सब कारणोंसे काश्तकारको खेतीसे कुछ भी मुनाफा नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि काश्तकारोंकी दूसरी असुविधा जमीनका छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूरपर बटा हुआ होना है।

भारतवर्षमें खेतकी फसल वर्षापर बहुत कुछ अवलम्बित रहती है। और वर्षा सब जगह सदा एकसी नहीं होती। पाठक जरा पुस्तकके अन्तमेंमें दिए हुए नक़शेको देखें। उससे यह मालूम होगा कि देशके भिन्न भिन्न भागोंमें वर्षाकी वार्षिक औसत क्या है। उससे यह भी मालूम होगा कि देशके कौन कौनसे भागोंमें नहरों द्वारा आबपाशी की जाती है। राजपूताना, पञ्जाबका पश्चिमी हिस्सा, बलूचिस्तान और सिन्धमें वर्षभरमें केवल दश इञ्च ही पानी बरसता है, और गुजरात, दक्षिण भारत और मध्य भारतमें अधिकसे अधिक ३० इञ्च तक। नकशेके देखनेसे यह भली भाँति मालूम होगा कि इन्हीं देशोंमें नहरों द्वारा सिंचाईका कुछ भी इन्तजाम नहीं किया गया है। इसी कारण इन देशोंमें पानीकी कमी प्रायः हमेशा ही बनी रहती है और प्रायः दो चार वर्षोंमें वहाँपर अकाल भी पड़ता रहता है। भारतमें सिंचईके तीन जरिए हैं (१) नहर (२) तालाब (३) कुएँ। भारतमें सबसे प्राचीन नहर जमुना नहर है। श्री गंगा नदीसे जो नहरें ली गई हैं उनसे युक्त प्रान्तमें काफी सिंचाई होती है। हाल ही

में इस प्रान्तमें शारदा नहर बनाई गई है। पञ्जाबमें नहरोंका सबसे अधिक प्रचार है। वहाँ नहरें सतलज, रावी, चेनाब इत्यादि नदियोंसे ली गई हैं। सिन्ध प्रान्तमें सिन्धु नदीपर एक बड़ा बाँध बाँधा गया है। वहाँसे जो नहर निकली है उससे प्रति वर्ष लाखों एकड़ जमीन सींची जाती है। मद्रास प्रान्तमें कावेरी और तुङ्गभद्रा नदियोंसे नहरें निकली हैं, तालाबों तथा कुओं द्वारा मद्रास और युक्तप्रान्तमें अधिक सिंचाई होती है। युक्त प्रान्तमें पिछले कुछ वर्षोंसे पातालफोड़ी कुओं (Tube-Wells) की संख्या बढ़ रही है। गंगा नदीकी नहरसे जो बिजली उत्पन्न की जा रही है उसका प्रचार युक्त प्रान्तके पश्चिमी जिलोंके देहातोंमें हुआ है। वहाँपर बिजलीका उपयोग इन पाताल-फोड़ी कुओंसे पानी निकालनेमें क्रमशः बढ़ रहा है। अगले पृष्ठमें कोष्ठक नं० १२ में यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें उपर्युक्त तीन जरियों द्वारा कितनी जमीन सन् १९३६-३७ में सींची गई थी और उसमें यह बतलाया गया है कि बोई हुई जमीनका कितना हिस्सा प्रत्येक प्रान्तमें सींचा गया था।

कोष्ठक नं० १२ से यह मालूम होता है कि सन् १९३६--३७ में नहर, तालाब और कुँओंसे सब मिलाकर केवल ५ करोड़ एकड़ जमीनमें सिंचाई हुई थी जब कि उस वर्ष २३ करोड़ एकड़ जमीन बोई गई थी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतमें सिंचाई बढ़ानेकी अत्यधिक आवश्यकता है। हम यह माननेको तैयार हैं कि सरकारने अनेक नहरें खोलकर देशके कई वीरान भागोंको हरा भरा कर दिया है, परन्तु तिसपर भी अभी इस सम्बन्धमें बहुत कुछ करना

कोष्टक नं० १२ (लाख एकड़ में)

रकबा जिसमें सन् १९३६-३७ में आबपाशी की गई

प्रान्त	नहरोंसे	तालाबोंसे	कुओंसे	अन्यप्रकारसे	मीज़ान	कितना हिस्सा सन् ३६-३७ में सींचा गया।
बंगाल	४	९	१	४	१८	७
मद्रास	४०	३१	१४	३	८८	२८
बम्बई	४	१	७	—	१२	६
सिंध	३७	—	—	४	४१	८६
युक्तप्रांत	३३	१	४८	२२	१०४	२९
बिहार उड़ीसा	१७	१८	५	१६	५६	२१
पंजाब	११५	०	४१	१	१५६	५८
ब्रह्मा	१०	२	२	—	१४	८
मध्यप्रांत बरार	९	—	१	१	११	५
आसाम	३	—	—	३	६	९
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत	८	—	१	१	१०	४३
मीज़ान	२७६	६२	१२०	५५	५१६	२२

बाकी है और हम यह कह सकते हैं कि देशमें, बहुतसे भागोंमें, पानीकी कमीसे काश्तकारोंको बहुत असुविधा होती है ।

खेती एक ऐसा धन्धा है जिसमें रुपयोंकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है। कभी बैल खरीदनेको, कभी बाँध बाँधनेको और कभी कुँआ खोदनेको रुपयेकी जरूरत होती है। गरीबीके कारण किसानको रुपयोंके लिये हमेशा साहूकारोंका मुँह ताकना पड़ता है। वे साहूकार प्रायः बहुत ही अधिक ब्याजपर रुपये उधार देते हैं। इस कारण मूलधन वापिस देना तो दूर रहा, बेचारोंको ब्याज चुकानेमें ही अपनी परिश्रमसे कमाई हुई फसलका सब मुनाफा इनकी भेंट कर देना पड़ता है। यदि कोई काश्तकार इनके चंगुलमें एक बार भी पड़ जाय तो फिर उसका उससे बाहर निकलना अत्यन्त ही कठिन हो जाता है। सरकारका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और उसने कृषकोंको सुभीता देनेके कई प्रकारके प्रयत्न भी किये हैं। सन् १८८० से तकावी द्वारा कम ब्याजपर रुपये देना उसने शुरू किया है। परन्तु कई कारणोंसे इतना कम रुपया उधार दिया जाता है और वह इतनी सख्तीसे वसूल किया जाता है कि १०० में से एक काश्तकारको भी उससे पूर्ण लाभ नहीं होता। सन् १९०६ से कुछ सहकारी समितियाँ भी इस देशमें खुली हैं। उन्होंने गत २० वर्षोंमें जो उन्नति की है वह नीचे लिखे अनुसार है।

कोष्ठक नं० १३

सन् १९३६--३७ की दशा

काश्तकारी सम्बन्धी समितियाँ ९५,९८९	प्रत्येक १०००० काश्तकारोंके पीछे चार समिति।
सभासदोंकी संख्या ३१, ५४, ७११	एक हजार काश्तकारोंमें से केवल १३ सभासद के हिसाब से।
समितियोंकी पूँजी ३४, ५८, ७३, ०००)	प्रत्येक काश्तकारके पीछे बाईस आनेके हिसाबसे।

उपरोक्त वर्णनसे यह मालूम होता है कि साखकी सहकारी समितियोंकी अबतक कितनी कम उन्नति हुई है और उनकी वृद्धिकी अभी कितनी अधिक गुञ्जाइश है। हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि अभी ४ प्रति सैकड़ा काश्तकार ही इन समितियोंसे फायदा उठा सकते हैं। वर्तमान समयके सम्बन्धमें हम यह कह सकते हैं कि ये समितियाँ हमारे काश्तकारोंको साहूकारोंके चंगुलसे निकालनेमें बहुत कम समर्थ सिद्ध हुई हैं। इसलिए काश्तकारोंकी दूसरी बड़ी असुविधा उनका मामूली व्याजपर रुपयोंका उधार न मिलना है।

हमारे दुर्भाग्यसे भारतका गोधन भी दिनपर दिन कम होता जाता है। चरागाहोंकी कमीके कारण ढोरोंको बराबर घास नहीं मिलती। इस कारण वे दुर्बल होते जाते हैं। दूसरे प्रतिवर्ष लाखोंकी तादादमें गायों और बछड़ोंका वध किये जानेसे उनकी संख्या कम होती जाती है। इसके सिवा अन्य देशोंके जानवरोंकी रफ्तनी

अलग होती है। दुर्बल और कमजोर बैलोंसे अच्छी खेती होना सम्भव नहीं। बीजके सम्बन्धमें बहुतेरे किसान सावधानीसे काम नहीं लेते। उनको बोनेके समय जैसा सड़ा घुना बीज महाजन या मालगुजारसे मिल जाता है वैसा ही वे बो देते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही उनकी फसल भी होती है। और इसका परिणाम यह होता है कि उनकी फसल भी खराब पैदा होती है। खादके सम्बन्धमें भी वे बड़े लापरवाह रहते हैं। गरीबीके कारण कीमती खाद लेनेका तो उनमें सामर्थ्य है ही नहीं, परन्तु गोबर जैसी उत्तम खादको वे कडे (उपली) बनाकर जला डालते हैं। इससे उनका और साथ ही साथ देशका बड़ा नुकसान होता है। यदि उसी गोबरका खादके रूपमें उपयोग किया जाता तो देशकी बहुत उपज बढ़ जाती। नये यन्त्रों तथा औजारोंके सम्बन्धमें भी उनकी यही दशा है। एक तो गरीबीके कारण कई नई मशीनें और यन्त्रोंको अधिकांश भारतीय किसान खरीद नहीं सकते और दूसरे जिन यन्त्रोंको वे खरीद सकते हैं उनके सम्बन्धमें उनको यह विश्वास नहीं होता कि यदि वे उनका उपयोग करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ अवश्य होगा। यही कारण है कि अधिकांश किसान प्रायः उन्हीं औजारोंसे काम लेते हैं जिन्हें कि उनके बाप-दादे कई शताब्दियोंसे काममें ला रहे हैं। बहुत ही कम मनुष्योंने नये यन्त्रों और मशीनोंका उपयोग करना आरम्भ किया है। उचित यन्त्रोंके उपयोग न किये जानेसे भी देशको नुकसान होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि किसान लोग पुराने हल और अधमरे बैलोंसे सड़ा या खराब बीज केवल चार पाँच अंगुल गहरी

जमीन जोतकर बो देते हैं जिससे फसल बिलकुल खराब पैदा होती है और फी एकड़ उपज भी कम होती है। इसलिए कृषि-सुधारमें एक बड़ी असुविधा उत्पादक पूँजी—अर्थात् उत्तम बीज, बैल, खाद और औजारोंकी कमी भी है।

जब फसल पक जाती है तब काश्तकारोंको उसके बेचनेमें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उनको उसी समय अपना लगान चुकाना पड़ता है और अपने महाजनोंको ब्याज इत्यादि भी देना पड़ता है। इसलिये अक्सर उन्हें अपनी सारीकी सारी फसल उसी समय बेंच देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। सब काश्तकार जब अपनी फसलको बाजारमें एकही समय बेचनेको लाते हैं तब उसकी कीमत बहुत गिर जाती है। क्योंकि माँग और पूर्त्तिका सिद्धान्त ही यह है कि आवश्यकतासे अधिक माल बाजारमें पाया जाय तो उसकी कीमत गिर जाती है। यह मौका पाकर दलाल लोग उनका माल सस्ते भावमें खरीद लेते हैं। फिर कीमत बढ़नेपर वे बेचकर खासा फायदा उठाते हैं और मजा यह कि किसान लोग फसलके वक्त अपना जो अन्न सस्ते भावपर बेंच गये थे उसीको वे जरूरतके वक्त अक्सर डेवढ़े दूने मूल्यमें खानेके लिए खरीदते हैं। जो मुनाफा वास्तवमें काश्तकारोंको मिलना चाहिए था उसे दलाल लोग बीचमें हड़प कर जाते हैं। सन् १९१७-१८ के औद्योगिक कमीशनकी और सन् १९२६ के कृषि सम्बन्धी रायल कमीशनकी भी यही राय है कि भारतके बाजारोंमें दलालोंकी संख्या बहुत अधिक है कहीं कहीं तो माल तीन चार दलालोंके हाथसे निकलकर फिर खरीदारको मिलता

है। दलालोंकी संख्या बहुत अधिक होनेके कारण उनसे समाजको लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। इसलिये काश्तकारोंकी एक और असुविधा उनके मुनाफेका बहुत सा भाग दलालों द्वारा हड़प लिया जाना है।

इसके अतिरिक्त हमारे देशके कृषक-समाजमें निरक्षरताका साम्राज्य है। सन् १९३१ की मर्दुमशुमारीके अनुसार १०० मेंसे केवल ९ ही मनुष्य ऐसे थे जो अपने मित्रोंको जैसा तैसा पत्र लिख सकते और उनका उत्तर पढ़ सकते थे। ब्रिटिश भारतमें आजकल कुल ३४७ कालेज हैं जिनमें कुल ११९ हजार लड़के पढ़ते हैं। १४ हजार माध्यमिक स्कुलों (Secondary School) में २५ लाख विद्यार्थी हैं और १, ९७, २२७ प्राइमरी स्कूलोंमें लगभग १ करोड़ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। हमारी सरकारके इतने वर्षोंसे प्रयत्न करनेपर भी शिक्षा प्राप्त करनेकी अवस्थावाले ५ मेंसे ३ लड़कोंको अपढ़ ही रहना पड़ता है. और प्रत्येक छ गाँवोंमेंसे पाँच गाँव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। परन्तु निरक्षरताके कारण देशवासियोंका बहुत ही अधिक नुकसान हो रहा है। इसी निरक्षरताके कारण हमारे काश्तकारों को पग पगपर धोखा खाना पड़ता है। यदि ये अदालतमें जाते हैं तो वहाँपर कम वेतन पानेवाले कर्मचारी गण, और बाहर वकील, अर्जी-नवीस, दलाल एवं महाजन इनका खून चूसनेमें किसी भी प्रकारकी कोताही नहीं करते। इसी निरक्षरताके कारण वे पुलिसके अदना कर्मचारी तथा अन्य अफसरोंके अत्याचारोंके भी पात्र होते हैं। इसी निरक्षरताके कारण उनकी निजके परिश्रमसे कमाई हुई सम्पत्तिका बहुत सा भाग

एक विचित्र रूपसे, दूसरोंके हाथमें चला जाता है और उन बेचारोंको पेटभर रूखा सूखा अन्न तक नहीं मिलता। सन् १९१२ में सरकारने माननीय गोखलेका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी बिल नामंजूर कर दिया था परन्तु अब वैसे बिल प्रत्येक प्रान्तीय कौंसिलोंमें पास हो गये हैं, और शिक्षाका विषय जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियोंके हाथमें होनेके कारण उसके प्रचारमें उन्नति होनेकी आशा की जा सकती है। जिस मन्थर गतिसे आजकल काम चल रहा है उसको देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि अविद्या-अन्धकारको देशसे बाहर निकालनेमें हमें कितनी शताब्दियाँ लगेंगी।

भारत कृषि-प्रधान देश होनेपर भी यहाँपर कृषि विद्याकी तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ प्रत्येक जिलेमें एक कृषि कालेज होना था वहाँ बड़े बड़े प्रान्तोंमें भी ऐसे कालेज एक या दो ही दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि-सम्बन्धी स्कूलोंका तो अभावसा है। गाँवके प्राइमरी स्कूलोंमें इतनी सड़ियल शिक्षा दी जाती है कि काश्तकारोंके लड़के खेतीके भी काममें नहीं रहते। हम यह मानते हैं कि हमारे काश्तकारोंको परम्परासे खेती करनेके कारण उसका अच्छा इल्म हो गया है। डाक्टर वोयेलकर (Dr. Voelker) और अन्य कुछ महाशय तो यहाँतक कहते हैं कि भारतीय किसानोंको पश्चिमी देशोंसे सीखनेका कुछ भी आवश्यकता नहीं। परन्तु खेतीकी उपज बढ़ानेके लिए उच्च कोटिकी और नये प्रकारकी खेतीकी शिक्षाकी बहुत आवश्यकता है और उसका इस समय बिलकुल अभाव है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय कृषकोंकी

एक बड़ी असुविधा उनका अज्ञान और उच्च कोटिकी कृषि शिक्षाका अभाव है।

जमीन, पूँजी और मेहनतके योगसे जो धन उत्पन्न किया जाता है उसमेंसे यदि जमींदार-पूँजीवाले और मजदूरके बीच किसी एकको किसी भी कारणसे, अपने हकसे अधिक भाग मिल जाय तो उसने समाजका बहुत नुकसान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ थोड़े आदमी तो अपनी अच्छी आर्थिक दशाके कारण अधिक धनवान होते जाते हैं और देशके अधिकांश गरीब आदमी अधिक गरीब होते चले जाते हैं। भारतमें काश्तकारों और मजदूरोंको अपना भाग बराबर नहीं मिलता। जमींदार और पूँजीवाले उनका बहुत सा हिस्सा लेकर धनवान् होते चले जा रहे हैं। इससे मजदूरों और काश्तकारोंकी दशा बिगड़ती चली जा रही है जिसके कारण देशकी उपज भी कम होती जाती है। फलतः इससे देशको भी बहुत हानि पहुँच रही है। जहाँपर स्थायी बन्दोबस्त हो चुका है—जैसे बङ्गाल, बिहार, मद्रासका कुछ हिस्सा—और जहाँपर प्रायः ३० वर्षोंके बाद बन्दोबस्त हुआ करता है। (जैसे युक्तप्रान्त, पञ्जाब और मध्य प्रदेश) वहाँ मौरूसी काश्तकारोंकी दशा मामूली तौरसे ठीक मानी जा सकती है। उनसे जमींदार मनमाना लगान वसूल नहीं कर सकता, परन्तु गैर मौरूसी काश्तकारोंकी दशा इन सभी प्रान्तोंमें शोचनीय है। काश्तकारोंका हित चाहनेवाले जमींदार बहुत ही कम नजर आते हैं। बहुतसे जमींदार तो इन गैर मौरूसी काश्तकारोंसे कई प्रकारके मावजे (नजायज कर) इत्यादि भी वसूल करते हैं और

उनको खेतीमें सहायता देनेके बदले उनको कई प्रकारसे तकलीफ देते हैं। उनकी इस नीतिमें दूरदर्शिता नाम लेनेको भी नहीं है। वे यह नहीं समझते कि उनका सच्चा हित काश्तकारोंका भला करनेमें ही है। बहुत शीघ्र मिलनेवाले कुछ थोड़े फायदेके लिये वे अपनी भावी बड़ी आमदनीसे हाथ धो बैठते हैं और उनकी इस नीतिसे देश की उपज न बढ़नेके कारण देशको भी नुकसान पहुँचता है।

गैर मौरूसी काश्तकारोंके अतिरिक्त शिकमी दर शिकमी काश्तकारोंकी दशा तो सर्वत्र अत्यन्त शोचनीय है। इन बेचारोंके पास खुदकी ज़मीन न होनेके कारण उनको मनमाना लगान देना पड़ता है, जिससे वर्षभर कठिन परिश्रमके साथ खेती करनेपर भी रूखा सूखा खानेके लिये काफी परिमाणमें, अनाज उनके पास नहीं बचता। मद्रास प्रान्तमें बटाईपर जो खेत दिये जाते हैं उनके लिए जमींदार प्रायः सब जगह उनकी आधी उपज ले लेता है। कभी-कभी तो वह दो तिहाई और तीन चौथाई तक ले लेता है। पञ्जाब-केनाल कालोनियोंमें भी कहीं-कहीं सरकारी लगानसे अठगुना या दसगुना लगान काश्तकारोंसे वसूल किया जाता है। बम्बई और मध्य प्रदेशमें ऐसे सैकड़ों मामले देखनेमें आये हैं जिनमें कि शिकमी काश्तकारोंसे सरकारी लगानका चौगुना और पचगुना तक लगान लिया जाता है। पञ्जाब तथा युक्तप्रान्तमें भी बहुत कुछ ऐसी ही दशा है। इससे हम यह कह सकते हैं कि गैर मौरूसी और शिकमी दर-शिकमी काश्तकारों की दशा बहुत ही शोचनीय है और उनसे बहुत ही अधिक लगान लिया जाता है। कृषि-सुधारमें यह भी एक बड़ी असुविधा है।

भारतीय कृषकोंकी आर्थिक दशाका दिग्दर्शन करनेके बाद उनकी समस्त असुविधाओंको एक साथ नीचे दुहराकर हम इस अध्यायको यहीं समाप्त करते हैं। वे असुविधाएँ नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(१) उनकी गरीबी और उनके रहन-सहनका बहुत नीचे दर्जेका होना।

(२) उनकी जमीनका बहुत छोटे-छोटे टुकड़ोंमें दूर-दूर पर बँटा होना।

(३) देशके कई भागोंमें पानीकी कमी।

(४) कम ब्याजपर काफी परिमाणमें उनको रुपये उधार न मिलना।

(५) उत्तम बीज, बैल, खाद और औजारोंकी कमी।

(६) दलालों द्वारा उनके बहुतसे मुनाफेका हड़प किया जाना।

(७) भारतीय कृषिकोंका अज्ञान और नये प्रकारकी खेतीकी शिक्षाका अभाव।

(८) गैर मौरूसी और शिकमी दर-शिकमी काश्तकारोंसे बहुत अधिक लगानका वसूल किया जाना।

ये सब असुविधाएँ भारतीय कृषकोंको एक साथ ही उठानी पड़ती हैं। आगेके अध्यायोंमें हम इन असुविधाओंको एकके बाद एक लेकर यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि वे सब एक साथ किस तरह दूर की जा सकती हैं, जिससे अधिकसे अधिक २५ या ३० वर्षोंमें सब काश्तकारोंकी दशा सुधर जाय और वे अपने देशको उन्नतिके शिखर पर पहुँचानेमें अपना भाग ले सकें।

———

चौथा अध्याय

कृषि-सुधारके लिए प्रान्तीय सरकार, कृषक और शिक्षित जनताका कर्त्तव्य

[सुधारके लिए कृषकोंकी उत्सुकता; कृषि-सुधारके सम्बन्धमें प्रांतीय सरकारका ध्येय, कृषक-हितैषी विभागका सङ्गठन; शिक्षित जनताका सहयोग]

तीसरे अध्यायमें हम यह दिखा चुके हैं कि भारतीय कृषक बहुत गरीब हैं, उनका रहन-सहन बहुत नीचे दर्जेका है, उनकी जमीन छोटे-छोटे टुकड़ोंमें दूर-दूर पर बँटी हुई हैं, देशके कई भागोंमें जलकी कमी रहती है, कम व्याजपर काफी परिमाणमें रुपया न मिलनेके कारण कृषकगण अधिकाधिक कर्जदार होते जाते हैं, उनका बहुत सा मुनाफा दलाल लोग हड़प जाते हैं, उनमें शिक्षाका—खासकर उच्च कोटिकी कृषि-शिक्षाका—बहुत अभाव है और गैर मौरूसी तथा शिकमी दर शिकमी काश्तकारोंसे बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता है। उसी अध्यायमें हम यह भी दिखा चुके हैं कि ये सब असुविधाएँ काश्तकारोंको एक साथ उठानी पड़ती हैं। इस अध्यायमें इस प्रश्नपर विचार किया जाता है कि कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए प्रान्तीय सरकार, शिक्षित जनता और कृषकोंके क्या कर्त्तव्य हैं और इसके लिए उनको किस प्रकारसे

प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्धमें सबसे पहले यह बात विचारणीय है कि उपर्युक्त असुविधाएँ कृषकोंको एक साथ ही उठानी पड़ती हैं अतः उनको एक साथही दूर करनेका प्रयत्न किया जाना चाहिए अन्यथा सफलता न हो सकेगी। अभीतक जहाँ कहीं उनकी दशा सुधारनेका प्रयत्न किया गया है, वहाँपर केवल एक या दो असुविधाएँ दूर की जानेका प्रयत्न होनेके कारण कृषकोंकी दशा बहुत कुछ जैसी की तैसी ही रही। इसलिए कृषि और कृषकोंकी दशामें वास्तविक सुधार करनेके लिए उनको समस्त असुविधाओंको एक साथ ही दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु इन असुविधाओंको एक साथ हटाना कोई सरल कार्य नहीं है। कृषक, शिक्षित जनता और प्रान्तीय सरकार के सम्मिलित प्रयत्नसे ही यह कार्य पूर्ण हो सकता है।

सुधारनेकी नीतिपर विचार करनेसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि भारतीय कृषक अपनी दशा सुधारनेको कहाँतक तत्पर हैं। कुछ महाशयोंका कथन है कि "वे पुरानी लकीरके फकीर हैं, उनकी दशा कैसी ही खराब क्यों न हो वे उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं और यदि उनको अपनी दशा सुधारनेके तरीके बतलाये जाते हैं तो वे उनसे लाभ उठानेका प्रयत्न नहीं करते।" हमारी समझमें यह आक्षेप बहुत कुछ निर्मूल है। हो सकता है कि सुधारके तरीके बताये जानेपर वे उनसे लाभ उठानेका प्रयत्न न करते हों परन्तु इसमें गलती बतलाने वालोंकी ही है। कृषकगण प्रायः यह नहीं जानते कि उनकी आधुनिक दशामें नवीन तरीकोंसे काम लेनेपर उनको लाभ अवश्य होगा। परन्तु जब वे किसी भी नये तरीकेकी उपयोगिता एक बार अच्छी

देखना है कि प्रान्तीय सरकारोंको भारतीय कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। किसी भी प्रान्तीय सरकारने उनकी असुविधाओंको एक साथ हटानेका काफी प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न करना तो अलग रहा, उनकी असुविधाओं-को अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न नहीं किया। सरकारकी ओरसे जो कुछ कोशिश हुई भी वह बहुत ही थोड़ी और केवल एक या दो असुविधाओंको दूर करनेके लिए। इसलिए जनताको उससे बहुत ही कम लाभ हुआ और कृषकोंकी दशा दिनपर दिन खराब होती गई। हम जानते और मानते हैं कि सरकार काश्तकारोंको तकावी* देती है परन्तु उसका परिमाण इतना कम रहता है और वह इतनी सख्तीसे वसूल की जाती है कि उससे फी सैकड़ा एक काश्तकारको भी लाभ नहीं पहुँचता। निसन्देह सरकारने सहकारी-समितियोंके स्थापित करनेमें कुछ सहायता दी है परन्तु वे ३० वर्षोंके प्रयत्न करनेपर ५ फी सैकड़ा काश्तकारोंको भी साहूकारों और महाजनोंके चंगुलसे बचानेमें समर्थ नहीं हुईं। सरकारी कृषि-विभागसे भी काश्तकारोंको कृषि-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करनेमें सन्तोषजनक लाभ नहीं हुआ। कृषि शिक्षाके प्रचारके सम्बन्धमें तो सरकारने बहुत ही कम प्रयत्न किया है। जिन कृषकोंसे सरकारको प्रतिवर्ष प्रायः ३४ करोड़ रुपये मालगुजारी (Land Revenue) में परोक्ष रीतिसे, और कई करोड़ रुपया

---

* तकावी प्राप्त करनेके लिए किसानोंको पटवारीसे लेकर ऊपर तक कितने ही कलि-देवताओंका दक्षिणा अलग ही देनी पड़ती है। यह बात प्रायः सभीको मालूम है।

अपरोक्ष करोंके रूपमें मिलता है, उनके प्रति क्या उसका यही कर्त्तव्य बस है ? कृषकोंकी दशा दिनपर दिन खराब होती जाती है, परन्तु नए शासन विधानके अनुसार सन् १९३७ ई० से प्रान्तो में स्वराज्यकी स्थापना हो गई है और ग्राम सुधारके लिए नया विभाग स्थापित हो गया है। परन्तु इस विभागका कार्य सन्तोषप्रद नहीं है। सरकार दत्तचित्त होकर उनकी दशा सुधारनेका प्रयत्न नहीं करती सच बात तो यह है कि कृषि-सुधारके सम्बन्धमें सरकारकी कोई एक निर्धारित नीति ही नहीं। कृषि-विभाग, सहकारी विभाग, ग्राम सुधार विभाग और अन्य कई विभागोंसे वर्ष भरमें जो कुछ थोड़ा बहुत काम हो जाता है उसीसे सरकार सन्तुष्ट रहती है। परन्तु इतने कम प्रयत्नसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए उचित तो यह है कि प्रान्तीय सरकार अपना यह ध्येय निश्चित करे कि वह अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षोंमें कृषकोंकी सब असुविधाएँ दूर कर देगी जिससे देशमें एक भी काश्तकार दुखी न रह सके। यह ध्येय निश्चित करनेके बाद उसे उपर्युक्त सब असुविधाओंको एक साथ दूर करनेके लिए दत्तचित्त होकर प्रयत्न करना चाहिए।

सब असुविधाओंको एक साथ हटानेके लिए प्रांतीय सरकारका एक विशेष विभाग स्थापन करना चाहिए जिसका नाम कृषक-हितैषी विभाग (Agriculturist Benefit Department) रक्खा जा सकता है। इस विभागमें आधुनिक कृषि विभाग, आबपाशी (Irrigation) विभाग, सहकारी विभाग, सेटलमेंट विभाग, पशु-चिकित्सा (Veterinary) विभाग, ग्राम सुधार विभाग और

अन्य कृषक-हितकारी विभाग सम्मिलित कर दिये जाएँ। यह विभाग इस प्रकारसे प्रयत्न करे कि अधिकसे अधिक २०,२५ वर्षोंमें काश्तकारोंकी सब असुविधाएँ दूर हो जाएँ। यह विभाग प्रांतीय मन्त्रिमण्डलके किसी एक मन्त्रीको सौंपा जाय। कृषि-सुधारके सम्बन्धमें सब काम प्रांतीय सरकारको ही करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रान्तमें कृषकहितैषी विभाग प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके एक मन्त्रीके सिपुर्द रहेगा और प्रत्येक प्रान्तमें कृषक-हितैषी विभागका मुखिया एक डाइरेक्टर नियुक्त करना होगा। वह अपने काममें एक परामर्शदाता (Advisory) बोर्डसे सहायता लिया करेगा। इस परामर्शदाता (Advisory) बोर्डमें कमसे कम तीन चौथाई सदस्य कृषकों द्वारा चुने हुए हों। प्रत्येक जिले और बड़ी बड़ी तहसीलोंमें काश्तकारोंकी एक समिति स्थापित की जानी चाहिये जिसका काम यह हो कि वह कृषक हितैषी विभागके अफसरोंको सब कामोंमें सलाह दिया करें और जनतामें कृषि सम्बन्धी समस्त बातोंका प्रचार करनेके लिये उनको सहायता दिया करें। इन समितियोंके सब सभासद कृषकों द्वारा ही चुने जाएँ और प्रान्तीय परामर्शदाता बोर्डके तीन चौथाई सभासद इन्हीं जिला-कमेटियों द्वारा चुने जायें। प्रान्तीय सरकारके जिस मन्त्रीके अधीन कृषक-हितैषी-विभाग होगा उसको परामर्श देनेवाली समितिमें प्रान्तीय बोर्ड अपना एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। इन सभासदोंके जरिये कृषक अपनी पुकार प्रान्तीय सरकारतक आसानीसे पहुँचा सकेंगे।

परन्तु केवल इतनेसे ही काम न चलेगा। साथ ही साथ प्रान्तीय सरकारको यह भी देखना होगा कि उसके कर्मचारी देशके सच्चे

परन्तु साथही साथ यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षित जनताके सहयोगके बिना सरकार इस काममें अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। हम ऊपर बता चुके हैं कि अभीतक सरकारने कृषकोंकी दशा सुधारनेके लिए भली-भाँति प्रयत्न ही नहीं किया। अतः कहना होगा कि वास्तवमें इन कामोंमें अबतक सरकारकी ओरसे असहयोग किया जा रहा था। स्वराज्य स्थापित हो जानेसे राष्ट्रका शासन जनताकी इच्छाओंके अनुसार होने लगा है और राष्ट्रीय सरकारसे जनताके पूर्ण सहयोगका युग आरम्भ हो गया है। जब राष्ट्रीय सरकार किसानोंकी दशा अधिकसे अधिक २५-३० वर्षोंमें सुधारनेका बीड़ा उठावेगी तो देशकी शिक्षित जनताका यह कर्तव्य होगा कि वह उससे सहयोग करके इस पवित्र कार्यमें उसकी सब प्रकारसे सहायता करे। आगेके अध्यायोंमें हम यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि कृषकोंकी प्रत्येक असुविधा दूर करनेके लिए शिक्षित जनता प्रान्तीय सरकारको किस प्रकार सहायता दे सकती है।

भारतीय कृषक राष्ट्रके प्रधान अङ्ग हैं, अतः उनकी दशा सुधारे बिना देशकी दशा सुधरना असम्भव है। निसन्देह कार्य अत्यन्त कठिन है, परन्तु यदि देशका शिक्षित समुदाय दत्तचित्त होकर इस कार्यको अपने हाथमें ले तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कृषकोंकी दशाका सुधारनेमें १५-२० वर्षोंसे अधिक समय नहीं लगेगा।

———

पांचवां अध्याय

किसान और जमींदार

[किसानोंसे नाजायज करोंका और नजरानेका वसूल किया जाना, किसान-सभाकी स्थापना, काश्तकार सम्बन्धी कानूनमें परिवर्तन, जमींदार भाइयोंका कर्त्तव्य, शिकमी दर-शिकमी किसानोंकी दशा सुधारनेका उपाय]

पिछले अध्यायमें हम यह बतला चुके हैं कि भारतीय कृषकोंकी सब असुविधाओंको एक साथ दूर करनेके लिए प्रान्तीय सरकार और शिक्षित जनताको क्या करना चाहिए।

अब हम सब असुविधाओंपर पृथक् पृथक् विचार करते हैं और यथाक्रम यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि वे शीघ्र ही कैसे दूर की जा सकती हैं। कृषकोंकी पहली असुविधा उनकी गरीबी और बहुत नीचे दर्जेका उनका रहन सहन है। इस अध्यायमें हम इसीपर विचार करते, परन्तु किसान और जमींदारोंके पारस्परिक सम्बन्धका प्रश्न इतने महत्वका है और कृषकोंके रहन सहनसे उसका इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि हम इस अध्यायमें पहले उसीपर विचार करते हैं।

हम तीसरे अध्यायमें बतला चुके हैं कि पञ्जाब और युक्तप्रान्तमें गैर-मौरूसी काश्तकारों तथा और सब जगह शिकमी दर-शिकमी काश्तकारों (Subtenants) से जमींदार बहुत ही अधिक लगान और कई प्रकारके गैरकानूनी टैक्स वसूल करते हैं। इसका मुख्य

कारण यह है कि कृषिसे जीवन निर्वाह करनेवालोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। कृषकोंके अपढ़ होनेके कारण और देशमें उद्योग धन्धोंकी कमीके कारण उनको अपनी जीविका प्राप्त करनेका खेतीके सिवा अन्य कोई साधन ही नहीं दिखाई देता, इसलिए खेतोंकी माँग बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके सिवा जमीनका परिमाण किसी भी प्रकारसे नहीं बढ़ाया जा सकता। फल यह होता है कि एक एक खेतको पानेके लिए पचासों किसान लालायित रहते हैं और वे यहाँतक लगान देनेको तैयार हो जाते हैं कि बेचारोंको वर्ष भर कठिन परिश्रम करनेपर भी कई दिनोंतक आधा पेट भोजन पाकर ही रहना पड़ता है। उपजका बहुत अधिक अंश लगानके रूपमें निकल जाता है। उचित शिक्षाका प्रचार और उद्योगधन्धोंकी बढ़तीसे जमीनकी यह अत्यधिक बढ़ी हुई माँग बहुत कुछ कम हो सकती है। शिक्षा-प्रचारके सम्बन्धमें हम विस्तृत रूपसे छठे अध्यायमें विचार करेंगे। उद्योग-धन्धोंकी बढ़तीके सम्बन्धमें हम इस समय केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई घर-घरमें एक या गाँव पीछे दस-पाँच चरखे रखनेका प्रयत्न करें, खेती करनेसे जो समय बचे उसमें स्त्रियाँ रूई कातें और पुरुष कपड़े बुननेका प्रयत्न करें। इससे यह लाभ होगा कि वे स्त्री-पुरुष, जो इस समय अपने छोटे छोटे खेतोंमें बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, इस काममें लग जायँगे और अपने जीविका-निर्वाहका कुछ भाग अपने काते हुए सूत और बुने हुए कपड़ेसे पैदा कर लेंगे। साथ ही साथ खेती करनेवालोंकी संख्या कम होनेके कारण किसानोंकी पारस्परिक स्पर्धा कम हो जायगी इससे उनको खेत मिलनेमें भी कठिनता

न होगी और तब जमींदार उनसे मनमाना लगान भी वसूल न कर सकेगा।

इस अध्यायमें हम पहले मौरूसी और गैरमौरूसी काश्तकारोंकी असुविधाओंपर विचार करके फिर शिकमी दरशिकमी काश्तकारोंकी असुविधाओंके सम्बन्धमें विचार करेंगे। जिन प्रान्तोंमें रैयतवारी बन्दोबस्त होता है उनको छोड़कर देशके अन्य सब भागोंमें काश्तकारोंको जमींदारके विरुद्ध प्रायः ये मुख्य शिकायतें होती हैं:—

(१) जमींदारों द्वारा उनसे दशहरा और अन्य त्यौहारोंपर नजराना तथा साधारणतया हथियावन, घोड़ावन, मोटरावन, लटियावन इत्यादि नाजायज टैक्स वसूल किये जाते हैं।

(२) गैरमौरूसी काश्तकारोंसे बेदखलीके समय भी नजराने वसूल किये जाते हैं।

(३) किसानोंसे जमींदारों द्वारा रसद और बेगार ली जाती है।

(४) जमींदारके नौकर अत्याचार करते हैं और किसानोंकी शिकायतोंपर जमींदार ध्यान नहीं देता।

नजरानेकी प्रथा आजकलकी नहीं है। वह बहुत पुरानी है। पुराने जमानेमें जमीनकी इतनी माँग न थी। जमींदार और ताल्लुकेदार अपनी प्रजाके दुःख सुखको अपने दुःख-सुख समझते थे। वह समय परस्पर प्रेम और सहानुभूतिका था। किसान लोग भी जमींदार को उसके प्रेम और सहानुभूतिके बदले दशहरा इत्यादि त्यौहारोंपर या उसके यहाँ किसी रिश्तेदारकी शादी होनेपर भेंट दे दिया करते थे। परन्तु इस भेंटका देना या न देना किसानकी इच्छापर ही निर्भर

था। उसके देनेके लिये जमींदार-किसानको, आजकलकी तरह, वाध्य नहीं कर सकता था। हथियावन और घोड़ावन पहले भी प्रचलित थे। उस समय समाज की व्यवस्था डवाँडोल थी। छोटे-छोटे राजाओं तथा नव्वाबोंकी डकैतीसे किसानोंको और अपनेको सुरक्षित रखनेके लिए ताल्लुकेदार और जमींदार हाथी-घोड़े रखते थे। इसलिए किसान लोग भी जमींदारोंको यथा शक्ति रुपये पैसेकी मदद देते थे। परन्तु यह रकम 'कर' के रूपमें नहीं ली जाती थी। किसान अपना कर्तव्य समझकर अपने जान मालकी रक्षाके एवजमें यह सहायता देते थे। परन्तु अब जब कि किसानोंको ताल्लुकेदारके हाथी घोड़ेसे कुछ भी लाभ नहीं, किसानोंको इनको खरीदनेमें सहायता देनेके लिए वाध्य करना किसी भी प्रकार उचित नहीं। मोटरावनका रिवाज जबसे मोटर चली तबसे हुआ है। लटियावन वह कर है जो लाटसाहब या अन्य अफसरोंकी दावतके लिए किसानोंसे जबरन वसूल किया जाता है। ऐसे 'कर' देनेके लिए किसानोंको वाध्य करना अन्याय नहीं तो क्या है? नचावन वह कर है जो जमींदार महाशय नाच रङ्गके समय किसानोंसे वसूल करते हैं। इसी प्रकारके अन्य कई कर भी किसानोंसे सर्वत्र ही वसूल किये जाते हैं परन्तु अवधमें ऐसे अत्याचार बहुत होने लगे हैं। बेचारे किसानोंकी शिकायतोंपर न सरकार ध्यान देती है और न शिक्षित जनता ही।

जमींदार कई प्रकारके नाजायज कर किसानोंसे वसूल करते हैं—यह सरकारको कई वर्षोंसे अच्छी तरह मालूम है। भारत सरकारने सन् १९०२ में "Land Revenue Policy of the Govt. of India"

नामक पुस्तकमें स्वीकार किया है कि जमींदार कई प्रकारके गैरकानूनी टैक्स किसनोंसे लेते हैं और उनका परिणाम सरकार द्वारा लिये गये अबवाबोंसे कहीं अधिक रहता है। यह जान कर भी सरकार गत ३८ वर्षोंसे कानमें तेल डाली बैठी रही। खेदकी बात है कि उसने इस कुप्रथाको हटानेका, जैसा चाहिए वैसा, प्रयत्न नहीं किया।

इस सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकारका पहला कर्तव्य यह होगा कि वह सब गाँवोंमें यह घोषणा करवा दे कि ऐसे समस्त कर नाजायज हैं और किसानोंसे कोई जमींदार ऐसे टैक्स वसूल न करे, यदि वह इन करोंको वसूल करता हुआ पकड़ा जायगा तो दण्डका भागी होगा। साथ ही साथ किसानोंकी शिकायतें बराबर सुननेका और अत्याचारी जमींदारोंको उचित दण्ड देनेका प्रबन्ध भी उस सरकारको शीघ्रही करना होगा। किसानोंको भी यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि वे इस प्रकारका कोई भी टैक्स जमींदारोंको न देंगे। किसानोंको अपने अधिकार समझानेमें और उनसे उपरोक्त प्रतिज्ञा करानेमें शिक्षित जनता भी बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकती है।

युक्तप्रान्तमें गैरमौरूसी कास्तकारोंसे नजराना लिये जानेका मुख्य कारण यह है कि सरकारने जमींदारों और ताल्लुकेदारोंको अधिकार दे रक्खा है जिससे वे अपने गैरमौरूसी किसानोंको बेदखल कर सकते हैं।

अवधमें बेदखलीके समयमें जो किसान अधिक नजराना देता है उसीको उस खेतका पट्टा दे दिया जाता है। बेदखलीकी इस भयङ्कर मारसे अवधके हर एक जिले, गाँव और झोपड़ेमें हाहाकार मच गया

है। बेदखलीके भयके कारण ही वे पर्याप्त रुपया लगाकर अच्छी तरह-से खेती नहीं करते जैसा कि मौरूसीकाश्तकार करते हैं। इससे देशकी उपज भी नहीं बढ़ती और किसानोंकी दशा दिनपर दिन खराब होती जाती है। शायद पञ्जाबमें भी गैर मौरूसी काश्तकारोंसे बेदखलीके समय नजराना लिया जाता हो। हमारी समझमें इस कुप्रथाका तुरन्त बन्द किया जाना कृषि-सुधारके लिए बहुत ही आवश्यक है। जमींदारोंसे बेदखलीका अधिकार वापिस ले लेना इस कुप्रथाको बन्द करनेका एकमात्र साधन है। काश्तकार सम्बन्धी कानून (Tenancy Law) में परिवर्त्तन करके ऐसे सब गैरमौरूसी काश्तकारोंको—जो कि गत तीन वर्षोंसे खेती करते हों—अपने खेतोंपर मौरूसी हक दे देना बहुत ही आवश्यक है। मध्यप्रान्त में नये कानून द्वारा सब काश्तकारोंको ऐसा हक देनेका प्रयत्न किया गया है। युक्तप्रान्तमें नए कानून द्वारा अधिकांश गैर-मौरूसी काश्तकारोंको मौरूसी हक देनेका प्रयत्न किया गया है।

बेदखलीका कानून मन्सूख करानेके लिए किसानोंको भी भारी आन्दोलन करना चाहिये। जब तक कानून न बदला जाय तबतक उनको अपने आन्दोलन द्वारा सरकारको यह बतला देना चाहिए कि इस बेदखलीसे उन्हें अकथनीय दुःख है और जबतक उनको मौरूसी हक न दे दिये जायँगे तब तक वे सुखी न हो सकेंगे। किसान लोग अपनी संघ शक्तिका उपयोग करके बेदखलीको बहुत कुछ रोक सकते हैं। प्रत्येक गाँवमें किसान सभा स्थापित करके वे यह शपथ ले लें कि जमींदारको किसी भी प्रकारका नजराना न देंगे। यदि जमींदार

किसी किसानको नजराना न देनेपर बेदखल करे तो गाँवके सब किसानोंको ऐसा एका कर लेना चाहिये कि कोई दूसरा किसान उस जमीनको न जोते। यदि कोई उसको जोतनेको तैयार हो जावे तो गाँवके सब किसान उसको अपने समाजसे अलग कर दें। न उसका छुआ पानी पीवें, न मरने जीनेमें उससे किसी प्रकारका सम्बन्ध रक्खें। न उसका पानी भरें, न कोई और काम करें और न उसको अन्य किसी भी प्रकारकी सहायता दें। इसका फल यह होगा कि गाँवके अन्य किसान बेदखल की हुई जमीनको जोतना-बोना स्वीकार नहीं करेंगे और जमींदारको वह खेत पुराने किसानको, बिना नजराना लिये, देनेको बाध्य होना पड़ेगा। शिक्षित जनता—खासकर कालेजके विद्यार्थी—गाँवोंमें जाकर किसान सभा स्थापित करनेमें बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकते हैं।

किसानोंको यह भी शिकायत रहती है कि जमींदार और ताल्लुकेदार उनसे बेगार लेते हैं और कभी उनका माल जबरन कम कीमतपर ले लेते हैं। कहीं-कहींपर वाजिबुल अर्जमें भी जमींदारोंको रसद और बेगार लेनेका अधिकार दिया गया है। दूसरोंको गुलाम बनानेवाले ये अधिकार किस प्रकार न्याय युक्त समझे जाने लगे, इसका उत्तर वाजिबुल-अर्जके रचनेवाले अफसर ही दे सकते हैं। वर्त्तमान युगमें गुलामोंकी इस प्रथाका एक दिन भी जारी रखना अन्याय है। क्या किसानोंको गुलाम बनाये रखना ही जमींदार अपना कर्त्तव्य समझते हैं? प्रान्तीय सरकारको तुरन्त ही वाजिबुल अर्जमें परिवर्त्तन करके किसानोंको पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिये। किसानोंको

भी अपनी सभा स्थापित करके रसद और बेगार न देनेकी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। उनको चाहिये कि बिना पूरी मजदूरी लिये किसीका काम न करें और न बिना पूरे दाम पाये किसीको अपना माल दें। ऐसा करनेका उन्हें पूर्ण अधिकार है।

किसान ये सब काम बिना एकताके नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक गाँवमें एक किसान सभा शीघ्र ही स्थापित की जानी चाहिये। अन्य प्रान्तोंमें भी, जहाँ जहाँ जमींदार अत्याचार कर रहे हों वहाँ, किसानोंको ऐसा ही करना चाहिये। हर्षकी बात है कि युक्त प्रान्तमें किसान भाई अपने अधिकारोंको समझने लगे हैं और किसान सभा की स्थापना गाँवोंमें बहुत शीघ्रतासे हो रही है। शिक्षित जनता और विद्यार्थियोंका इस समय यह कर्तव्य है कि वे किसानोंको किसान सभा स्थापित करनेमें यथाशक्ति सहायता पहुँचावें। गाँवमें जाकर किसान सभा स्थापित करें और उनको निम्नलिखित किसान-प्रतिज्ञा अच्छी तरह समझावें तथा उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा लेनेके लिए उत्साहित करें। ये प्रतिज्ञाएँ श्रीयुत पं० गौरीशङ्कर मिश्र और पं० रामचन्द्र शर्माने अवधके किसानोंके लिए रची थीं। थोड़ा सा आवश्यक परिवर्त्तन करके वे देशके अन्य भागोंमें भी कामोंमें लाई जा सकती हैं।

किसान-प्रतिज्ञा *

(१) हम किसान सच बोलेंगे, झूठ न बोलेंगे और अपने दुःखकी बात सच-सच कहेंगे।

* ये प्रतिज्ञाएँ पं० गौरीशङ्कर मिश्र लिखित "किसानो! उठो!!" नामक पुस्तकसे ली गई हैं।

(२) कितना ही दुःख हो तो भी मार-पीट कभी न करेंगे। न किसीको गाली देंगे और न किसीको मारेंगे।

(३) गाँव गाँवमें किसान सभा बनावेंगे। इस सभामें जायँगे और किसीके रोकनेपर भी सभामें जाना बन्द न करेंगे।

(४) आपसमें झगड़ा नहीं करेंगे, सुमति रक्खेंगे। हर गाँव या दो चार गाँव मिलाकर पञ्चायत बनावेंगे और जब कभी आपसमें झगड़ा तकरार होगी तो उसे आपसमें ही तय कर लेंगे।

(५) अपने गाँवमें अगर कोई किसान खाने-पीनेसे तंग होगा या और किसी दुःखसे दुःखी होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। सब किसानोंके दुःख-सुखको हम अपना दुःख-सुख समझेंगे।

(६) हम हथियावन, घोड़ावन, मोटरावन, मुड़ावन, नचावन, लटियावन, वगैरह गैरकानूनी टैक्स न देंगे। पूरी मजूरी बिना लिये बेगार नहीं करेंगे। भूसा और अन्य सब चीजें बाजार भावपर बेचेंगे और रुपया लेकर ही देंगे।

(७) खेतका लगान ठीक समयपर चुकावेंगे, पर लगानकी रसीद जरूर लेंगे। रसीद न मिलेगी तो डाकसे लगान भेजेंगे, गाँववाले मिलकर एक साथ जमींदारके पास जाकर लगान देंगे।

(८) खेत भले ही निकल जाय "नजराना" न देंगे।

(९) बेदखलीका कानून मन्सूख करानेको सभा जरूर करेंगे और जब तक वह मन्सूख न होगा तब तक दम न लेंगे।

(१०) बेदखल खेतको पुराने किसानके सिवा और कोई न लेगा और यदि कोई दूसरा किसान उसे लेगा तो उसको सभासे हटा

देंगे। उसका छुआ पानी नहीं पीयेंगे। उसकी सलाम बन्दगी बन्द कर देंगे और उससे किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे।

(११) बेदखल खेत जोतनेके लिए ताल्लुकेदारसे माँगेंगे। अगर वह न दे तो भूखे मरेंगे परन्तु जबरदस्ती कभी न करेंगे। यदि वह हमारी सुध न लेगा तो उससे भी सम्बन्ध न रक्खेंगे।

(१२) अगर हमारा मालिक पड़ती जमीनपर ढार न चरने देगा तो हम न चरावेंगे। हमारे ढार मर जावें तो भी हम कानूनके खिलाफ काम न करेंगे।

(१३) रूई बोवेंगे। घर घरमें चरखा रक्खेंगे। सूत कातेंगे और अपनी तहसीलके जुलाहेसे कपड़ा बुना लेंगे।

(१४) अपने लड़कोंको पढ़ावेंगे। कपड़ा बुनना सिखावेंगे। ईश्वरमें विश्वास रक्खेंगे। सुबह और शाम ईश्वरसे अपना दुख मिटानेके लिए प्रार्थना करेंगे। साहस और धीरजसे तथा निडर होकर अपना दुःख दूर करनेकी कोशिश करेंगे।

कृषि-सुधारके लिए कास्तकार सम्बन्धी कानूनमें और भी परिवर्त्तन करनेकी आवश्यकता है। अन्य अध्यायोंमें बतलाया जायगा कि कुछ सुधार (Improvement) तो ऐसे हैं जो कि जमींदार या मालगुजार द्वारा बहुत सरलतासे किये जा सकते हैं। हमारे कानून ऐसे होने चाहिए जिससे जमींदारको सुधार करनेकी पूरी स्वतन्त्रता हो और उन सुधारों द्वारा उपजमें जो बढ़ती हो उसमें उसको पूरा भाग मिले। इसके साथ ही साथ किसानोंको भी अपनी हैसियतके

अनुसार सुधार करनेकी पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। इसलिए सब किसनोंको मौरुसी हक देते समय यह भी कानून बना देना चाहिए कि जमींदार या मालगुजार किसानोंका लगान सरकारी अदालतों द्वारा उसी समय बढ़ा सकें जब कि वह कुछ सुधार कर किसानोंको उपज बढ़ानेमें कुछ लाभ पहुँचावें अन्यथा नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि जमींदारके लिए अपनी आमदनी बढ़ानेका एकमात्र साधन किसानोंकी दशा सुधारना ही रह जायगा। वह किसानोंपर जबरदस्ती न कर सकेगा और न उसको कष्ट पहुँचाकर अपनी आमदनी ही बढ़ा सकेगा। जमींदार और किसानोंमें भी विरोध न रहेगा और जमींदार किसानोंका भला करनेमें ही अपना भला समझने लगेंगे। यदि कोई मालगुजार या जमींदार अपने किसानोंकी उपज बढ़ानेमें सहायता न करेगा तो उसकी वार्षिक आमदनी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी कि पहले थी।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य संख्याकी वृद्धिसे, नई सड़कोंके बनाये जानेसे, नई रेलकी लाइनोंके खुलनेसे तथा अन्य वस्तुओंके मूल्यके वृद्धिसे, विना मिहनत किये, उपजको कीमतमें जो बढ़ता (Unearned increment) होती है वह किस प्रकारसे सरकार, मालगुजार और कृषिकोंके बीचमें बाँटी जाय। आजकल तो सरकारी नीति यह है कि इस बढ़तीको वह अपने और जमींदारके बीचमें प्रायः आधी आधी बाँट लेती है। बेचारे किसानोंको इसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। जब बन्दोबस्त (Settlement) होता है तब किसानोंके लगानमें जो वृद्धि होती है उसका आधा भाग

जमींदार और मालगुजारोंको मिलता है। हमारी समझमें यह भाग मौरूसी किसानोंको मिलना चाहिये। वास्तवमें वे ही जमीनके मालिक हैं अतः इस वृद्धिपर उन्हींका अधिकार है। जमींदार और मालगुजार के प्रयत्नोंसे तो यह वृद्धि होती नहीं, इसलिए उसपर उनका कुछ भी अधिकार नहीं है। आजकलके मालगुजार तो सरकारी लगान वसूल करनेवाले सरकारी गुमाश्ते मात्र हैं, परन्तु तिसपर भी जमींदारों या मालगुजारोंको जो लगान आजकल मिलता है उसको घटाना न्याय-युक्त न होगा, परन्तु बहुतसे जमींदार या मालगुजार ऐसे होंगे जिन्होंने इसी आमदनीकी आशासे रुपये खर्च करके जमींदारी खरीदी होगी। परन्तु उनके बिना प्रयत्न किये मौरूसी काश्तकारोंकी उपजमें भविष्यमें जो बढ़ती होगी उसपर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है। इसलिए यह भी कानून बना दिया जाना आवश्यक है कि ऐसे प्रान्तोंमें, जहाँ कि अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settemlent) होता है वहाँपर बन्दोबस्तके समय मौरूसी काश्तकारोंका लगान जितना आजकल बढ़ाया जाता है उसका आधा ही बढ़ाया जावे और वह बढ़ा हुआ पूरा भाग मालगुजार सरकारको दिया करे। इसका परिणाम यह होगा कि मालगुजारोंको अपनी आमदनी बराबर मिलती जावेगी, प्रान्तीय सरकारको भी अपना भाग पूरा मिलता जावेगा और आज-कलकी तरह बन्दोबस्तके समय मौरूसी काश्तकारोंका लगान अधिक नहीं बढ़ा सकेगा तथा कमसे कम ३० वर्षतक उनको उतना ही लगान देना होगा। काश्तकार सम्बन्धी कानूनमें उपर्युक्त परिवर्तन होनेसे जमींदारोंके अत्याचार करनेके सब साधन उनके हाथसे निकल जावेंगे

और जमींदार और काश्तकार दोनोंको सुधार करके उपज बढ़ानेकी प्रबल इच्छा होगी।

हमारे जमींदार भाइयोंका भी इस सम्बन्धमें कुछ कर्त्तव्य है। उनके सामने इस समय अपनी आमदनी बढ़ानेके दो साधन हैं। (१) किसानोंसे रसद बेगार लेकर तथा जबरन नजराना या अन्य कई प्रकारके नाजायज टैक्स वसूल कर वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और (२) कास्तकारो को अपनी उपज बढ़ानेमें सहायता पहुँचा कर। आजकल पहले मार्गका अवलम्बन करनेवाले जमींदार तो बहुत हैं परन्तु किसानोंकी मदद कर अपनी आमदनी बढ़ानेवाले बहुत कम। हमारी समझमें पहले मार्गके अवलम्बन करनेवालोंमें दूरदर्शिताका बिलकुल अभाव है। वे हमेशाके लिये किसानोंपर अत्याचार नहीं कर सकते। अब किसान भी अपने अधिकारोंको कुछ कुछ समझने लगे हैं। ऐसे जमींदार अपने स्वार्थमें अन्धे हो बहुत ही शीघ्र मिलनेवाले कुछ थोड़े लाभके लिये अपनी सब भावी आमदनी से हाथ धो बैठनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस नीतिसे किसानोंकी दशा भी खराब होती जाती है और देशकी उपज न बढ़ सकनेके कारण देशका भी भारी नुकसान होता है। किसानोंको सहायता पहुँचाकर अपनी आमदनी बढ़ानेसे जमींदार और मालगुजार दोनोंको लाभ है। शायद शीघ्र ही उन्हें अधिक लाभ न हो परन्तु उससे उनकी भावी आमदनी बढ़नेकी सम्भावना है। किसान भी पहलेके समान अपने हितचिन्तक जमींदारों-को अपना तन मन धन अर्पण करनेके लिए तैयार रहेंगे। देशकी उपजमें भी बढ़ती होगी इससे देशको भी लाभ होगा। हमें पूर्ण आशा

है कि अनुकूल परिस्थितियोंमें हमारे जमींदार भाई पहले मार्गको छोड़कर अपनी आमदनी बढ़ानेके लिए किसानोंको उपज बढ़ानेमें सहायता देंगे। जमींदारोंको यह भी चाहिए कि वे अपने लड़कोंको कृषिकी उच्च शिक्षा दिलानेका प्रयत्न करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जमींदारीका सब काम स्वयं ही किया करें और किसानोंकी शिकायतोंपर उचित ध्यान दिया करें। कारिन्दोंके भरोसे सब काम छोड़ दिया जाय तो वे किसानोंपर बहुत अत्याचार करने लग जाते हैं। यदि जमींदार किसानोंकी शिकायतोंपर ध्यान नहीं देते और अपने कारिन्दोंपर उचितसे अधिक विश्वास करते हैं तो परिणाम यह होता है कि कारिन्दा किसानोंपर और भी अधिक अत्याचार करने लगता है। अन्य अध्यायोंमें हम यथासमय यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि जमींदार किसानोंको किस तरहसे उपज बढ़ानेमें सहायता पहुँचा सकते हैं।

हम पहले यह भी बतला चुके हैं कि शिकमी दर-शिकमी (Sub-tenants) किसानकी दशा सब प्रान्तोंमें खराब है। उनसे सर्वत्र बहुत ही अधिक लगान लिया जाता है। इसके रोकनेका एकमात्र उपाय यह है कि किसानोंको मौरूसी हक देते समय यह भी कानून बना दिया जावे कि शिकमी दर-शिकमी काश्तकारसे मालगुजारी किस्तकी दुगुनी रकमसे अधिक लगान लेना नाजायज समझा जायगा और विधवा स्त्री, बच्चों और असमर्थ किसानोंको छोड़कर यदि कोई दूसरा किसान अपना खेत किसी और किसानको तीन वर्षतक जोतनेको दें तो उस खेतपरसे उसका मौरूसी हक उठ जावेगा और जो

किसान उस खेतको तीसरे वर्ष जोतता होगा उसे एक वर्षका अधिक लगान देनेपर उस खेतका मौरूसी हक मिल जायगा। इसका यह परिणाम होगा कि खेत उन्हीं लोगोंके हाथमें रहेगा जो उसमें खेती करते होंगे और किसान भी तीन वर्षसे अधिक अपना खेत अधिक लगानपर या बटाईपर न दे सकेंगे।

अन्तमें हम कृषि-सुधारके लिए काश्तकार सम्बन्धी कानूनमें जो जो परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझते हैं उसको दुहराकर इस अध्यायको समाप्त करते हैं। वे परिवर्तन ये हैं:—

(१) सब गैर-मौरूसी काश्तकारोंको तुरन्त मौरूसी हक दे दिये जायँ।

(२) वाजिबुल-अर्जसे जमींदारका रसद और बेगार लेनेका अधिकार निकाल दिया जाय।

(३) बन्दोबस्तके समय मौरूसी किसानोंका जितना लगान पहले पहले बढ़ता था उसका आधा ही बढ़ाया जाय और उस बढ़तीका सब भाग सरकारको ही मिले। जमींदारको लगानसे आजकल जितनी आमदनी होती है उतनी ही रहने दी जाय।

(४) यदि जमींदार किसानोंको उपज बढ़ानेमें सहायता दे तो वह सरकारकी तदालत द्वारा किसानोंके लगानमें इजाफा कर सके।

(५) मौरूसी काश्तकारका शिकमी-दर-शिकमी काश्तकारसे मालगुजारी किस्तसे दूनी रकमसे अधिक लेना नाजायज समझा जाय

(६) यदि खेत तीन वर्ष तक किसी अन्य किसानको जोतनेको दिया जाय तो उसपरसे पुराने किसानका मौरूसी हक उठ जाय और नये किसानको एक सालका अधिक लगान देनेपर उसका मौरूसी हक मिल जाय ।

——

छठां अध्याय

किसानोंके रहन-सहनकी उन्नति और कृषि-विद्या प्रचार

[किसानोंके रहन-सहनके सम्बन्धमें विचार; अनियमित जन-संख्याकी वृद्धिकी रोक; कृषि-विद्या-प्रचारका उत्तम तरीका, प्रारम्भिक कृषि-शिक्षा कैसी हो ? यात्रामें सहायता]

पाठक यह भली भाँति जानते हैं कि भारतीय किसानोंकी पहली असुविधा उनकी गरीबी और बहुत नीचे दर्जेका उनका रहन-सहन है। पाठक यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि लालची और स्वार्थी जमींदार भारतीय किसानोंको किस प्रकार सताते हैं। देशके अभाग्यसे किसानोंका सच्चा हित चाहनेवाले जमींदार बहुत ही कम नजर आते हैं। पाँचवे अध्यायमें हमने यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि जमींदारोंके अत्याचारोंसे किसान कैसे बच सकते हैं और देश या किसानों के प्रति हमारे जमींदार भाइयोंका क्या कर्त्तव्य है। अब इस अध्याय में हम इस प्रश्नपर विचार करते हैं कि किसानोंका रहन-सहन किस तरहसे ऊँचा किया जा सकता है। कृषि-विद्या-प्रचारका इस प्रश्नसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः हम इस अध्यायमें उसपर भी विचार करते हैं।

भारतीय किसानोंके रहन-सहनके सम्बन्धमें सरकारी अफसरों और गैर-सरकारी विद्वानोंमें गहरा मत भेद है, यह सभी मानते हैं कि

उनका रहन-सहन बहुत नीचे दर्जेका है। परन्तु सरकारी अफसर उनकी ऊपरी और बाहरी दशाको देखकर यह कहते हैं कि उनका रहन-सहन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वे कहते हैं कि पहले गाँवोंमें जहाँ पर फूसके छप्पर और मिट्टीकी दीवालोंकी झोपड़ियाँ दिखाई देती थीं वहाँ अब कहीं-कहीं ईंटकी दीवालोंवाले पक्के मकान भी नजर आते हैं। मोटा कपड़ा पहननेके बदले कितने ही किसान अब विदेशी बारीक कपड़ा पहनने लगे हैं। मिट्टीके बर्तनोंके बदले अब वे तांबे पीतलके बरतनोंका उपयोग करने लगे हैं। देशमें प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपयोंका सोना-चाँदी आता है। इससे अफसर लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँके निवासियोंका रहन-सहन धीरे-धीरे ऊँचा हो रहा है। उनकी समझमें इस उत्तरोत्तर वृद्धिकी गति को थोड़ा सा और बढ़ा देनेसे ही भारतीय किसानोंकी दशा बहुत शीघ्र सुधर जायगी।

गैर-सरकारी विद्वानोंका यह कहना है कि देशवासियोंको अब वैसा खानेको नहीं मिलता जैसा कि उनको पहले मिलता था। उन्हें वर्ष भरमें कई दिनोंतक तो आधे पेट भोजनपर ही सन्तोष करना पड़ता है। पहले जमानेके दूध-घी आदि अन्य पौष्टिक पदार्थोंका मिलना अब उनके लिये स्वप्न हो गया है, अब तो त्योहारके दिन भी उनको प्रायः घी दूध नहीं मिलता। कुछ थोड़े से किसान अब पहलेसे अच्छे मकानोंमें भले ही रहते हों, और पहलेसे अच्छा कपड़ा भले ही पहनने लगे हों, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अब प्रायः सभी किसानों को पहले जैसा अच्छा भोजन नहीं मिलता। इसलिए यदि हम रहन-सहनके सम्बन्धमें भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि सब बातोंपर विचार

करें तो हमको यह मानना पड़ेगा कि किसानोंका रहन-सहन बहुत नीचे दर्जेका होनेपर भी दिनपर दिन और नीचे गिरता जाता है। इसलिए गैर-सरकारी विद्वानोंका यह कथन है कि किसानोंकी परिस्थितिमें भारी परिवर्त्तन किये बिना उनकी दशा सुधरना बहुत कठिन है। अब हमें यह देखना है कि इस समय कौन कौनसे परिवर्त्तनोंकी अत्यन्त आवश्यकता है।

अर्थ-शास्त्रका एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि किसी भी श्रमीकी आमदनी, चाहे वह किसान हो या मजदूर, उसके रहन-सहनपर बहुत कुछ अवलम्बित रहती है और आमदनीका प्रभाव भी रहन सहनपर बहुत अंशोंमें पड़ता है। आमदनी या रहन-सहन किसी एकमें भी घटा बढ़ी होनेपर दूसरेमें घटा बढ़ी होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु यदि किसी कारणसे आमदनी बढ़नेके साथ-साथ रहन-सहन न बढ़े तो उसका परिणाम प्रायः यह होता है कि श्रमी पहलेसे कम काम करने लग जाता है। इससे उसकी आमदनी फिर कम होकर पहलेके बराबर हो जाती है। इसको यों समझिए कि यदि किसी मजदूरकी मजदूरी आठ आनेसे बढ़ाकर बारह आने कर दी जाय और यदि उसका रहन-सहन न बढ़े तो वह पहले यदि सप्ताहमें छः रोज काम करता होगा तो अब चार रोज ही करेगा। दो रोज आलस्यमें बितावेगा। फलतः उसकी आमदनी पहलेके बराबर ही रहेगी। परन्तु यदि साथ ही साथ रहन-सहन ऊँचा करनेके साधन भी बढ़ा दिये जायँ तो वह वैसा नहीं करेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आमदनीकी बढ़तीके साथ ही साथ रहन-सहन भी ऊँचा हो। यदि

रहन-सहनकी उच्चता कुछ पहले आरम्भ हो जाय तो उससे आमदनी बढ़ानेमें बहुत सहायता मिलती है। श्रमी अपने बढ़े हुए रहन-सहनके अधिक खर्चके लिये अधिक परिश्रम करता है जिससे देशको भी लाभ होता है। परन्तु रहन-सहनका आमदनीसे एकदम बहुत अधिक बढ़ जाना भी खराब है। इससे या तो श्रमी कर्जदार हो जाता है या ईमानदारीसे काफी रुपया न मिलनेपर बेईमानी करने लग जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस तरह प्रयत्न करें जिससे भारतीय किसानोंके रहन-सहनकी वृद्धि शीघ्र ही आरम्भ हो जाय और उनकी आमदनी भी उसके साथ ही साथ बढ़ने लगे।

अनियमित रूपसे जन-संख्याके बढ़नेसे जनताके रहन सहनकी वृद्धि रुकती है। यदि किसी गरीब मनुष्यके यहाँ अधिक सन्तान उत्पन्न हों तो उसे अपना रहन-सहन बढ़ानेमें बड़ी कठिनता पड़ेगी। सम्भवत: उसे लाचार होकर अपना खर्च घटाना ही पड़ेगा। इस अनियमित जन-संख्याकी वृद्धिको रोकनेका एकमात्र उपाय यह है कि कम अवस्थाके विवाह बन्द कर दिये जायँ और विवाह होनेपर भी यथा सम्भव मनुष्य आत्मसंयम द्वारा इन्द्रिय निग्रह करें, यानी वे केवल उतनी ही सन्तान पैदा करनेका प्रयत्न करें जितनीका वे अच्छी तरह पालन-पोषण कर सकते हों और उचित शिक्षा भी दे सकते हों। इस नियमका पालन करके पाश्चात्य देशोंमें माल्थस साहबके अनुयायियोंने अपने रहन-सहनको बढ़ानेमें खासी सफलता प्राप्त की है। भारतीय किसान अविद्याके कारण इस आत्मसंयमके लाभोंको नहीं समझ सकते और जब तक उनमें विद्याका प्रचार नहीं

होता तब तक उनसे आत्म-संयम द्वारा अपने कुटुम्बको छोटा रखकर अपने रहन-सहनको बढ़ानेकी आशा नहीं की जा सकती। हाँ, बाल-विवाह जैसी कुरीतियोंका शीघ्र ही बन्द किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

भारतीय किसानोंके रहन-सहन और आमदनी बढ़ानेका सर्वोत्तम साधन उनमें कृषि विद्याका प्रचार करना है। कृषि विभागके अफसरोंके प्रयत्नोंसे, विशेष कर सन् १९२६ के शाही कृषि कमीशनकी सिफारिशके अनुसार स्थापित इम्पीरियल कृषि अनुसन्धान कौंसिलके प्रयत्नोंसे भारतीय कृषिके सम्बन्धमें, भारतीय जमीनों तथा उचित खादोंके उपयोग, उत्तम प्रकारके बीज, पौधोंके रोग और उनकी चिकित्सा, नये प्रकारके औजारोंके उपयोग और नये तरीकोंसे खेती करनेके सम्बन्धमें, कई उत्तम बातोंका ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है। परन्तु जनतामें इस ज्ञानका प्रचार होना अभी बाकी है। प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्धमें कृषि-विभाग द्वारा सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं कर रही है। कृषि-विभागके अफसर सरकारी फर्मोंपर या नुमाइशगाहोंमें नये प्रकारके औजारोंका उपयोग करनेके लाभ और नये प्रकारसे खेती करनेके तरीके बतलानेका प्रयत्न करते हैं सही, परन्तु वे उस समय किसानोंको यह समझानेकी कोशिश नहीं करते कि यदि वे उन तरीकोंका उपयोग अपने खेतोंमें करें तो उनको लाभ अवश्य होगा। कभी कभी तो वे किसानोंके प्रश्नोंका समुचित उत्तर तक नहीं देते और उनकी शङ्काओंका समाधान नहीं करते। इससे किसानोंको नये तरीकों की आर्थिक सफलतामें विश्वास नहीं होता। इसका फल यह होता है

कि वे उनका उपयोग करनेमें हिचकिचाते हैं और कृषि-विभागके अफसर प्रायः यह कहा करते हैं कि भारतीय किसान पुरानी लकीरके इतने फकीर हैं कि नये तरीकोंके बतानेपर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

हमारी समझमें जनतामें नये तरीकोंके प्रचार करनेका सबसे उत्तम उपाय यह है कि कृषि-विभागके जो अफसर कृषि हितैषी विभागकी मातहतीमें काम करें वे प्रत्येक गाँवमें किसी एक किसानको इस शर्तपर नये तरीकेसे खेती करनेके लिये राजी करें कि यदि वह अफसरकी निगरानीमें उसके बताए हुए तरीकोंसे खेती करे और उससे यदि कुछ नुकसान हो तो नुकसानकी पूरी रकम सरकार उसे दे देगी, और यह स्पष्ट है कि अफसरके बताए हुए तरीकोंसे खेती करनेमें नुकसानकी बहुत ही कम सम्भावना रहेगी। क्योंकि कृषि विभागके अफसर वे ही तरीके बतलावेंगे जो कि अनुभवसे लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इसलिए उपर्युक्त शर्तके अनुसार हानिके रुपये चुकानेमें सरकारका भी अधिक खर्च न होगा। परन्तु इसका प्रभाव गाँवके अन्य किसानोंपर बहुत अच्छा पड़ेगा। जब वे अपनी आँखोंसे किसी एक मामूली किसानको नये तरीकोंके उपयोगसे लाभ उठाते देखेंगे तो उनको उन तरीकोंकी आर्थिक सफलतामें पूरा विश्वास हो जायगा और वे भी उनका उपयोग करने लग जायँगे। इस तरहसे लाभकारी नये तरीकोंका उपयोग सर्वत्र होने लगेगा। प्रान्तीय सरकारको इस तरफ ध्यान देना होगा और कृषि-विभागमें ईमानदार भारतीय अफसरोंकी संख्या बढ़ाकर उनको यह कार्य सौंप देना होगा। यदि काम इस तरहसे आरम्भ किया जाय तो देशका बड़ा लाभ हो और सरकारके

सदुद्देश्योंमें किसानका विश्वास भी दृढ़ होता जाय। हमारे जमींदार भाई भी किसानोंको इस सम्बन्धमें बहुत सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि वे खुद अपने खेतोंमें नये तरीकोंका उपयोग करके अपने काश्तकारोंको उसका उपयोग करनेके लिए उत्साहित करें और उनको उसमें हर तरहका सुभीता कर दें तो नये तरीकोंका प्रचार देशमें बहुत बढ़ सकता है।

किसानोंका रहन-सहन ऊँचा करनेका दूसरा साधन प्रारम्भिक शालाओं द्वारा कृषि-विद्याका प्रचार करना है। प्रान्तीय सरकारने इस तरफ बहुत थोड़ा ध्यान दिया है। अभीतक सरकारी अफसरोंकी यह धारणा रही है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा गावोंमें दी ही नहीं जा सकती। गावोंमें शालाओंका बेतरह अभाव है। सात गाँवोंमें छ गाँव ऐसे हैं जहाँपर एक शाला तक नहीं। और जहाँ कहीं शालाएँ हैं वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह विद्यार्थियोंके किसी कामकी नहीं रहती। उससे विद्यार्थियोंकी अर्थोत्पादक शक्तिका बढ़ना तो अलग रहा, बल्कि उन शालाओंमें पढ़नेको जानेवाले लड़के खेतीके कामके भी नहीं रह जाते। वे हाथोंसे काम करना नीच काम समझने लग जाते हैं। उनको खेतीके सम्बन्धमें कुछ नहीं सिखाया जाता। गाँवोंकी शालाओंका उचित निरीक्षण नहीं होता। उनके शिक्षकोंको इतना कम वेतन दिया जाता है कि कोई भी आत्मगौरव रखनेवाला मनुष्य उस वेतनको स्वीकार नहीं करेगा। कहीं कहीं तो उनका वेतन अपढ़ मजदूरोंकी मजदूरीसे भी कम रहता है। फिर ये शिक्षक लड़कोंको इतनी निर्दयता से पीटते हैं कि वे पाठशालाओंमें जानेसे डरने लगते हैं। धार्मिक

और राष्ट्रीय भावोंको जागृत करनेवाली शिक्षाका तो बिलकुल ही अभाव है। ग्रामीण शिक्षाप्रणालीमें एक साथ इतने दोष आ गये हैं कि शीघ्र ही उसमें परिवर्त्तन किया जाना देशकी उन्नतिके लिए बहुत आवश्यक है। अब प्रान्तीय सरकारें प्रारम्भिक शिक्षाप्रणालीको सुधारनेका प्रयत्न कर रही हैं। इसके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने भी एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार कुछ स्थानोंमें कार्य आरम्भ हो गया है। हमारे दुर्भाग्यसे हमारी शिक्षित जनताने भी इस महत्वपूर्ण प्रश्नके सम्बन्धमें कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने कहीं कहीं हाई-स्कूल और कालेज खोलनेका तो प्रयत्न किया है परन्तु ऐसी प्रारम्भिक शालाएँ कितनी हैं जो कि शिक्षित जनता द्वारा खोली गई हैं? किसान भाइयोंके प्रति क्या हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? शिक्षित जनताकी इस उदासीनताके कारण ही किसानोंकी दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है।

हमारी सम्मतिमें ग्राम्य प्रारम्भिक पाठशालाएँ नीचे लिखे ढंगके अनुसार होनी चाहिए और उनमें नीचे लिखे विषय भी पढ़ाये जाने चाहिये।

(१) प्रत्येक ग्रामीण पाठशालामें वही शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि भविष्यमें विद्यार्थीके काम आवे।

(२) उसमें प्रायः कई वर्ग हों। किसानोंके लड़कोंको पाँचवें और छठे वर्गोंमें प्रयोगात्मक कृषिकी शिक्षा अवश्य दी जाय। उनमें उनको वे ही तरीके सिखाये जायँ जिनके उपयोगसे वे लाभ उठा सकें। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पाठशालामें एक छोटा खेत अवश्य

लगा होना चाहिए। जो खेती न करना चाहते हों उनको अन्य किसी पेशेकी शिक्षा उन वर्गोंमें दी जाय।

(३) उनकी पाठ्यपुस्तकोंमें उन्हीं विषयोंपर पाठ रहें जिनसे वे परिचित रहते हैं। गणितमें भी सवाल वे ही रहने चाहिए जिनको हल करनेकी उनको प्रायः हमेशा ही जरूरत पड़ती है। जैसे—लगान, ब्याज, मुनाफा सम्बन्धी प्रश्न।

(४) शिक्षाका माध्यम मातृभाषा ही हो और शिक्षा बिलकुल निःशुल्क दी जानी चाहिए। विद्यार्थियोंको पारितोषिक आदि देकर उत्साहित करते रहना भी आवश्यक है।

(५) विद्यार्थियोंकी शारीरिक शिक्षा और व्यायामपर शिक्षकोंको समुचित ध्यान देना चाहिए।

(६) पाठशालाओंमें छुट्टियाँ इस तरह से दी जाएँ कि जिससे लड़के बोनी और कटनीके समय अपने माता पिताके साथ काम कर सकें।

(७) शालाओंका निरीक्षण बराबर होना चाहिए और निरीक्षकगण ऐसे हों जिनको पढ़ानेका कई वर्षोंका अनुभव हो और जो पाठ्य विषयोंका अच्छा ज्ञान रखते हों।

(८) शिक्षकोंको उचित वेतन दिया जाय। उनको दण्ड-विधान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दण्डका उपयोग कभी कभी और सौम्य रीतिसे ही हो।

(९) सहकारी साख समितियों और अन्य प्रकारकी समितियोंके सम्बन्धमें भी उनको पाँचवें या छठे वर्गोंमें कुछ सिखाया जाय।

(१०) पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंको चरखा चलाना भी सिखाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि जब वे पढ़ना छोड़कर खेती करने लगेंगे तब वे कामसे बचे हुए समयका सदुपयोग कर सकेंगे।

(११) गैर सरकारी और राष्ट्रीयशालाओंमें धार्मिक शिक्षा देनेका भी उचित प्रबन्ध हो। शालामें जहाँतक हो सके, सर्वमान्य धार्मिक आचारों और विचारोंका परिपोषण होना चाहिए। हिन्दुओंके लिए रामायण और महाभारतसे चुनी हुई कहानियों द्वारा धार्मिक शिक्षा इन विद्यार्थियोंको बहुत सरलतासे दी जा सकती है।

(१२) गैर सरकारी और राष्ट्रीयशालाओंमें राष्टीय भावोंकी जागृति की जाय। राष्ट्रीय नेताओंके जीवनचरित्र भी पढ़ाये जाने चाहिये और देशका इतिहास इस तरहसे सिखलाना चाहिए जिससे विद्यार्थियोंका देश प्रेम बढ़े।

(१३) उनको यह भी बतलाया जाय कि उनके अधिकार क्या है और वे उनका किस तरहसे उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणके लिए उनको यह समझा देना चाहिये कि जमींदारोंको नजराना और अन्य प्रकारका नाजायज टैक्स लेनेका कुछ भी अधिकार नहीं है, तथा रसद और बेगार देनेसे इनकार करनेका प्रत्येक मनुष्यको पूरा अधिकार है। यदि इस सम्बन्धमें कुछ पाठ उनको पाठ्य पुस्तकोंमें रख दिये जायँ तो बड़ा लाभ हो।

इन पाठशालाओंकी सफलता शिक्षकोंपर बहुत कुछ अवलम्बित है। आजकलके बहुतसे ग्राम्य शिक्षक ऐसी शिक्षा देनेमें असमर्थ होंगे। इसलिए आजकल सबसे अधिक आवश्यक काम यह है कि

उपर्युक्त ग्राम्यशालाओंके लिए अध्यापक तैयार करनेको नार्मल स्कूल शीघ्र ही खोले जायँ। नार्मल स्कूलोंमें उन्हीं विषयोंके पढ़ानेका ढङ्ग सिखाया जाय जो कि उन्हें ग्रामीणशालाओंमें पढ़ाने पड़ें। आजकलके नार्मल स्कूल इन शिक्षकोंकी पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसे नार्मल स्कूल जहाँतक हो सके, गाँवोंमें ही खोले जायँ। प्रान्तीय सरकारको भी इस तरफ शीघ्र ही ध्यान देना होगा।

जो लड़के प्रारम्भिक ग्राम्य पाठशालाओंमें पढ़कर कृषिके सम्बन्धमें अधिक पढ़ना चाहे उनके लिए मातृभाषामें कृषिकी उच्च-कोटिकी शिक्षा दी जानेके लिए भी उचित प्रबन्ध कर देना चाहिए। इस शिक्षाका पाठ्यक्रम इस तरह नियत करना चाहिए जिससे कृषक-हितैषी विभागके सब मातहत विभागोंके लिए अफसर तैयार हो सकें। हमारा पूर्ण विश्वास है कि कृषि-विद्या-प्रचारके लिए जितना अधिक रुपया सरकार और जनता खर्च करेगी उसका दसगुना अधिक लाभ सरकार और देशको उससे होगा और उतनी ही जल्दी किसानों-की दशा भी सुधरेगी।

कृषि विद्या प्रचारका काम इस तरहमें आरम्भ किया जाय कि २० वर्षोंमें एक भी गाँव ऐसा न रहने पावे जहाँपर कि एक कृषि-पाठशाला न हो और जहाँ नये तरीकोंसे खेती न होती हो। प्रारम्भिक शिक्षाका भार सरकारने आजकल डिस्ट्रिक्टबोर्ड और म्युनिसिपालटियों-पर छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त उनको इतने काम सौंप दिये हैं और उनकी आमदनी इतनी कम है कि वे पाठशालाओंको खोलने और उनकी देखरेख करनेका काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं।

प्रांतीय सरकारको मालगुजारी (Land Revenue) का कमसे कम एक तिहाई भाग लोकल (स्थानीय) बोर्डोंको प्रारम्भिक कृषि-विद्या-प्रचारके लिए देना चाहिए ।

रहन-सहन ऊँचा करनेका एक और साधन यात्रा है। रेलकी सुविधाके कारण हमारे किसान भाई भी यात्रा करनेमें कमी नहीं करते । हजारों किसान प्रयाग, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, मथुरा द्वारका, उज्जैन इत्यादि तीर्थ-स्थानोंकी यात्रा करते देखे जाते हैं । परन्तु इन यात्राओंसे उनको यथार्थ लाभ नहीं होता, बड़ी मुश्किलसे सञ्चित किया हुआ धन व्यय करके वे योंही लौट आते हैं । इसका मुख्य कारण इन तीर्थ-स्थानोंके पण्डोंकी अज्ञानता है । अपने कर्मको समझनेवाले पण्डे बहुत कम हैं । अनेक पण्डे ता अपना कर्मकाण्ड करना भी नहीं जानते और अनेक प्रकारकी विलासितामें अपना समय तथा धन नष्ट किया करते हैं। यात्रियोंको नैतिक लाभ पहुँचानेका तो वे कभी खयाल भी नहीं करते । वे यात्रियोंसे जितना अधिक हो सके उतना अधिक धन चूसनेकी फिक्रमें लगे रहते हैं । अतएव, बड़ौदा राज्यकी तरह यदि ब्रिटिश राज्यमें भो यह कानून बना दिया जाय कि बिना एक खास परीक्षामें उत्तीर्ण हुए कोई भी ब्राह्मण तीर्थ-स्थानोंमें पुरोहित (पण्डा) का काम न करने पावे, तो जनताको बड़ा लाभ हो । परीक्षामें वे ही विषय रखे जायँ जिनका ज्ञान होना पण्डोंके लिए बहुत ही आवश्यक है । आशा है कि प्रांतीय व्यवस्थापक सभाके सभासदगण इस प्रश्नपर ध्यान देंगे और स्वराज्य-प्राप्त राष्ट्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही ऐसा कानून पास करानेका प्रयत्न करेंगे । यदि

सब तीर्थ-स्थानोंमें ऐसी सेवासमितियाँ स्थापित हो जायँ जो सेवाका उच्च आदर्श सामने रखकर यात्रियोंको हर प्रकारसे सहायता पहुँचावें तो यात्रियोंको बड़ी सुविधा हो और उनकी यात्राएँ सचमुच सफल हो जाएँ।

सातवां अध्याय

प्रत्येक किसानके खेतोंका एक चकमें होना

[दूर दूर, छोटे-छोटे टुकड़ोंमें खेत बँटे रहनेमे हानियाँ; चकबन्दी अफसरोंका कार्य; भविष्यमें खेतोंके बँटवारेको रोक]

पाठक यह भलीभांति जानते हैं कि किसानोंकी एक बड़ी असुविधा उनके जोतके खेतोंका दूर-दूर पर, छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँटे हुए होना है। तीसरे अध्यायमें बता चुके हैं। इससे उनको नीचे लिखे नुकसान होते हैं:—

(१) ऐसे खेतोंमें आने-जानेमें उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है।

(२) उनको नये यंत्रोंके उपयोग करनेमें बड़ी असुविधा होती है और इस कारण वे उनसे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते।

(३) खेतोंकी रखवाली करनेमें बड़ी कठिनाई पड़ती है।

(४) खेतोंमें जानेके लिए रास्ते बनानेमें और नहरका पानी उनमें ले जानेमें उनको बड़ी अड़चन पड़ती है।

(५) किसानोंका पारस्परिक झगड़ा भी इससे बहुत बढ़ता है और इस कारण मुकदमेबाजीमें उनका बहुत सा रुपया नष्ट हो जाता है।

(६) मेंड़ बनानेमें बहुत सी जमीन बेकार पड़ी रहती है।

इन सब हानियोंके कारण बहुतसे किसान खेतीसे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकते और उन्हें कठिन परिश्रम करनेपर रूखा सूखा भोजनतक भरपेट नहीं मिलता। कृषि-सुधारके लिए इस असुविधाको शीघ्र ही दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है और उसका एकमात्र साधन यह है कि प्रत्येक किसानके जोतके खेत एक स्थानमें हो जायँ—एक चकमें हो जायँ—और भविष्यमें उनका छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाना कानूनन रोक दिया जाय। यह कैसे किया जा सकता है इसी प्रश्नपर इस अध्यायमें विचार किया जाता है।

पञ्जाब प्रांतमें चकबन्दीके कार्यमें बहुत उन्नति हुई है। सन् १९३५ के अन्त तक लगभग ६ लाख एकड़ जमीनकी चकबन्दी की गई और उसी समय तक ११९७ सहकारी चकबन्दी समितियाँ स्थापित हुई थीं जिनमें ९० हजारके लगभग सभासद थे। खेतोंकी चकबन्दी का खर्च भी प्रति एकड़के हिसाबसे अब कम होता जा रहा है। इस कार्यमें गुरदासपुर तथा पठानकोट तहसीलमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। पञ्जाबमें किसानोंको इससे बेहद लाभ हुआ है और वे जल्दी से जल्दी अपने खेतोंकी चकबन्दी करा रहे हैं। यहाँतक कि वे कहीं कहीं तो चकबन्दीकी लागत भी देनेको तैयार हो जाते हैं। यह चकबन्दी करनेवाली समितियाँ पुराने कुओंकी सफाई तथा नये कुओंकी खुदाई भी करा रही हैं। सन् १९३३ तक इस प्रकार १७४१ नये कुएँ खोदे गये और ३५२ पुराने और बन्द कुओंकी सफाई की गई।

संयुक्त प्रदेशमें भी यह कार्य सन् १९२५ से शुरू हुआ। सबसे

पहले सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलोंमें यह कार्य आरम्भ किया गया। समितियोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती ही गई। सन् १६३० तक केवल ३ समितियाँ थीं और १९३५ तक इनकी संख्या बढ़कर ६८ हो गई। सहारनपुर जिलेके एक ग्राममें २५० एकड़ जमीन २०९ टुकड़ोंमें विभाजित थी। चकबन्दी होनेपर इस जमीनके केवल ६२ चक बनाए गए। दूसरे गाँवमें ४०० एकड़ जमीनमें ८७३ टुकड़े थे जो चकबन्दीके बाद केवल १८ ही रह गये। इसी प्रकार बिजनौर जिलेमें भी काफी उन्नति हुई है। मध्यप्रान्त तथा मद्रास आदि प्रान्तोंमें भी बहुत उन्नति हुई है। मध्यप्रांतमें सन् १९३५ के सितम्बर मासतक लगभग दो लाख एकड़ जमीनमें चकबन्दी की गई और सबसे मुख्य बात तो यहाँकी यह है कि खर्च केवल ३ आना १० पाई प्रति एकड़ है और वह भी काश्तकार स्वयं देते हैं।

इस कार्यमें कृषक-हितैषी विभाग भी बहुत सहायता कर सकता है। शिक्षित जनता, मालगुजार और जमींदार भी इस काममें किसानोंको सहायता पहुँचा सकते हैं। सरकारकी सहायताके बिना तो यह व्यवस्था कार्यरूपमें परिणत हो नहीं की जा सकती। परन्तु गैर सरकारी कार्यकर्त्ता इतना अवश्य कर सकते हैं कि वे किसानोंको खेतोंके दूर-दूर, छोटे-छोटे टुकड़ोंमें, बँटे हुए होनेकी हानियाँ समझावें और प्रत्येक किसानको यह बतलावें कि उसकी जोतके सब खेत एक जगहपर आ जानेसे उसे क्या-क्या लाभ होंगे। इस तरहसे वे प्रत्येक गाँवके किसानोंसे अपने गाँवके खेतोंकी चकबन्दी करानेके लिए सरकारको दरखास्त दिला सकते हैं। यह दरखास्त दिलानेका काम

किसान-सभाओं द्वारा भी किया जा सकता है।

किसी गाँवके किसानोंकी दरखास्त पानेपर प्रत्येक प्रांतके चकबन्दी के अफसरका यह कर्तव्य होगा कि वह उस गाँवमें जाकर वहाँके किसानोंकी सभा करे और उसमें उन्हें चकबन्दीके लाभ समझावे, वहाँ सरकारकी चकबन्दी समिति स्थापित करे तथा उस काममें मदद करनेके लिए उनसे अपने तीन प्रतिनिधि चुननेके लिए कहे। जब प्रतिनिधि चुन लिये जायँ तब वह उनकी सलाहसे सब काम करे। उस अफसरको अपने मातहत कर्मचारियों द्वारा पहले सब खेतोंकी पैमाइश कराके उनकी कीमत कूतनी होगी और एक फेहरिस्त तैयार करनी होगी जिसमें यह बतलाना होगा कि प्रत्येक किसानके पास कितनी जमीन किस हककी है और उसकी कितनी कीमत कूती गई है। इस फेहरिस्तके तैयार होनेपर वह यह जाननेका प्रयत्न करे कि कितने किसान भारतके अन्य भागोंमें रोजगार, मजदूरी या खेती करनेके लिए जानेको तैयार हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह सरकारके औद्योगिक-विभागसे लिखा पढ़ी कर इस बातका पता लगाता रहे कि कहाँपर मजदूरोंकी माँग अधिक है, कहाँपर मजदूरी अधिक मिल सकती है। और वह यह भी जानता रहे कि कहाँपर पड़ती जमीन किसानोंको उचित शर्तोंपर मिल सकती है। जो किसान उस गाँवको छोड़नेकी इच्छा प्रकट करें उनको वह उनके खेतोंकी पूरी कीमत दे दे और औद्योगिक विभाग द्वारा स्थापित लेबर ब्यूरोकी सहायतासे अथवा अन्य विभागों द्वारा उनको अच्छी नौकरी या काफी परिमाणमें जमीन प्राप्त करनेमें मदद दे।

इसके बाद उसका कर्त्तव्य होगा कि वह चरागाह, आबादी, सड़कें, बगीचा, बाजार इत्यादिके लिए जगह छोड़कर जो कुछ बोने लायक जमीन बचे उसके (Rectangular) समकोण समानान्तर चतुर्भुजके आकारके टुकड़े चार एकड़के या उससे बड़े बड़े चक बनावे और कीमत कूते। समकोण समानान्तर चतुर्भुजके आकारके टुकड़े करनेमे यह लाभ होगा कि सब खेतोंकी मेड़ें सीधी एक लाइनमें रहेंगी जिसमे खेतवाले अपनी मेड़को बढ़ाकर एक दूसरेकी जमीन आसपासके खेतोंमे नहीं चुरा सकेंगे। इससे मेड़सम्बन्धी कई झगड़ोंका बिल्कुल अन्त हो जायगा।

फिर चकबन्दीके अफसरका यह कर्त्तव्य होगा कि वह गाँवके प्रतिनिधियोंकी सलाहसे उन चकोंको किसानोंमें बाँट दे और उनको उज्र करनेके लिए कमसे कम दो तीन महीनेका समय दे। फिर वह उनकी उज्रोंपर किसानोंके प्रतिनिधियोंके साथ विचार करे और अपना फैसला दे। यदि कोई किसान चकोंके बँटवारेसे असन्तुष्ट हो तो उसे हाईकोर्टमें अपील करनेका अधिकार रहे। चकोंको बाँटते समय अफसर इस बातका खयाल रक्खे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसानको पुराने खेतका कुछ हिस्सा मिले और नये चककी कीमत भी उसके पुराने खेतोंके बराबर हो। नये चकपर किसानोंको वे ही अधिकार दिये जायँ जो कि पुराने खेतोंपर उसे हासिल थे। इस व्यवस्थासे यह लाभ होगा कि प्रत्येक किसानके जोतकी सब जमीन एक जगहपर आ जायगी, सब खेत समकोण समानान्तर चतुर्भुजके आकारमें होंगे और किसी भी खेतका रकबा चार एकड़से कम न रह सकेगा।

हमारी समझमें चार एकड़से छोटे खेतमें खेती करके कोई भी किसान अपने कुटुम्बका पालन-पोषण नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी खेतको चार एकड़से कममें विभाजित न होने देना चाहिए।

यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि कृषक-हितैषी विभाग-को, चकबन्दीके अफसर और उसके मातहत कर्मचारियोंको नियुक्त करनेमें बड़ी सावधानीसे काम करना पड़ेगा। ऐसे अफसरोंको घूस खानेके कई मौके मिलेंगे इसलिए यह आवश्यक है कि ये अफसर और कर्मचारी घूसखोर और बेईमान न हों। यदि किसी कर्मचारीपर घूस खानेका जरा भी सन्देह हो तो उसको उचित दण्ड देकर तुरन्त निकाल देना चाहिए। यदि इन कर्मचारियोंका काम वैसा ही हुआ जैसा कि बन्दोबस्त (सेटलमेण्ट) विभागके नीचे दर्जेके अनेक कर्मचारियोंका है तो इस चकबन्दीकी व्यवस्थासे लाभके बदले हानि ही अधिक होगी।

अब प्रश्न यह होता है कि जिस खेतके चार या उससे अधिक एकड़के चक बनाये जायँगे उनका भविष्यमें छोटे छोटे टुकड़ोंमें बाँटा जाना किस प्रकार रोका जा सकता है और आजकल भी खेतोंका छोटे छोटे टुकड़ोंमें बाँटा जाना किस प्रकारसे रोका जा सकता है। आजकल खेतोंका छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूर दूरपर बँटे हुए होनेका मुख्य कारण है हिन्दुओं और मुसलमानोंका दाय-विभाग सम्बन्धी कानून। हिन्दुओंमें कानूनके अनुसार एक पिताके सब पुत्रोंको पैत्रिक सम्पत्तिके बराबर हिस्से पानेका अधिकार है, और मुसलमानी कानूनके अनुसार वह कई हिस्सेमें भिन्न भिन्न रिश्तेदारोंमें बट जाती है। इस

बंटवारेके कारण खेत छोटे छोटे टुकड़ोंमें विभाजित हो जाते हैं। मान लीजिये कि किसी हिन्दू किसानके चार लड़के हैं और उसके पास अलग अलग चार खेतोंमें १२ एकड़ जमीन है। यदि लड़के समझदार हुए तो वे उसका बँटवारा न करके १२ एकड़ जमीनमें पूर्ववत् एक साथ ही खेती करते रहेंगे। परन्तु यदि उनमें झगड़ा हो गया तो प्रत्येक लड़का तीन तीन एकड़का टुकड़ा अलग ले लेगा। यदि लड़के बहुत ही लड़ाकू हुए तो वे प्रत्येक खेतसे चौथाई चौथाई टुकड़ा लेंगे, इसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक लड़केके हिस्सेमें एक एक एकड़से भी छोटे, अलग-अलग चार टुकड़े आवेंगे जिससे उनमेंसे कोई भी अच्छी तरह खेती न कर सकेगा। इस प्रकारके बँटवारेसे सबको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए हमारी समझमें दाय-भाग सम्बन्धी कानूनमें कुछ परिवर्त्तन आवश्यक है। यदि पैत्रिक सम्पत्तिका धर्मशास्त्रके अनुसार बँटवारा करनेका परिणाम यह होता है कि किसी खेतका चार एकड़से कम हिस्सा किसी हकदारको मिलता है तो यह बँटवारा कानून द्वारा नाजायज समझा जाय। ऐसे अवसरोंपर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह पूरा खेत सब हकदारोंमें ही नीलाम कर लिया जाय। जो उसके लिए सबसे ज्यादा रुपये देनेको तैयार हो उसीको वह खेत मिले और दूसरे हकदारोंको अपने हिस्सोंके अनुसार रुपया दिला दिया जाय। इससे पैत्रिक सम्पत्तिपर प्रत्येक पुत्रके समानाधिकार सम्बन्धी हिन्दू धर्मशास्त्रके सिद्धान्तमें भी फर्क न पड़ने पावेगा और मुसलमानी धर्मशास्त्रके सिद्धान्तोंकी भी रक्षा हो सकेगी, तथा खेतोंका भी चार एकड़से कमके

टुकड़ोंमें बाँटा जाना बन्द हो जायगा। सारी जमीन बड़े लड़केको दे दी जानेकी प्रथाके पक्षमें हम नहीं हैं। ऐसा करना हिन्दू और मुसलमान धर्मशास्त्रोंके सिद्धान्तोंके विरुद्ध होगा और इसलिए इस विदेशी प्रथाका इस देशमें जारी करना कदापि उचित नहीं।

उपर्युक्त व्यवस्थाके अनुसार प्रत्येक गाँवमें चक बनानेमें प्रारम्भमें प्रान्तीय सरकारको कुछ धन खर्च अवश्य ही करना पड़ेगा परन्तु उससे किसानोंको बहुत अधिक लाभ होगा। कृषि-सुधारकी एक बड़ी भारी असुविधा दूर हो जायगी और किसानोंकी दशा सुधरनेपर अन्तमें सरकारको भी लाभ होगा। प्रत्येक प्रान्तीय सरकारको इस असुविधाको दूर करनेका विशेष ध्यान देना चाहिये और दत्तचित्त होकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे १५-२० वर्षोंके अन्दर ही सब ग्रामोंके खेतोंकी चकबन्दी होजाय।

———

आठवां अध्याय

पानीकी कमी दूर करना

[भारतमें आबपाशीकी गुञ्जाइश, रक्षक नहरोंके सम्बन्धमें सरकारकी नीति, तालाब और कुओंसे आबपाशी]

इस अध्यायमें हम यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि पानीकी कमी किस तरह दूर की जा सकती है।

भारतमें आबपाशी बढ़ानेकी अभी बहुत गुञ्जाइश है। सन् १९०२ के आबपाशी सम्बन्धी कमीशनकी जाँचसे पता लगता है कि भारतकी औसतके हिसाबसे ३७॥ इञ्च वार्षिक वर्षाका जल २२ इञ्च तो पृथ्वीमें समा जाता है और १२॥ इञ्चोंमें केवल २। इञ्च ही आबपाशी-के उपयोगमें लाया जाता है और बाकी पानी, यानी पृथ्वीपर बहते हुए पानीका ८५ फीसदी भाग—व्यर्थ ही बिना किसी उपयोगमें लाये बह जाता है। यदि उचित छान-बीन करके नहरें बनवाई जाँय या तालाब खुदवाये जायं तो इस पानीका बहुत सा भाग खेतीके उपयोग-में लाया जा सकता है।

पुस्तकके अंतमें दिये हुए नकशेको देखनेसे मालूम होता है कि राजपूताना, गुजरात, दक्षिण भारत और मध्य भारतके कुछ हिस्सोंमें ३० इञ्चसे कम पानी बरसता है, इसलिए वहाँपर पानीकी कमीके कारण कई समय फसलें बरबाद हो जाती हैं और अकाल भी पड़ता

रहता है। इन भागोंमें नहर, तालाब अथवा कुओं द्वारा आबपाशी-का इन्तजाम करना बहुत आवश्यक है। आबपाशीसे जमीनकी उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाती है और अधिक अन्न पैदा होने लगता है। जहाँपर नहरें बनाई जाती हैं वहाँपर अकाल बहुत कम पड़ता है। भारत सरकारने नहरोंके लाभोंको समझकर ही देशके कुछ भागोंमें नहरें बनवाई हैं, जिनसे सरकार और किसान दोनोंको लाभ हुआ है। परन्तु नहरोंके बनवानेमें सरकारने अपने लाभकी तरफ अधिक नजर रक्खी है। नहरें दो प्रकारकी हैं। एक तो वे जिनमे इतनी आमदनी होती है कि प्रतिवर्ष सूद और खर्चका रुपया निकाल कर कुछ रकम बच जाती है। इनको उत्पादक (Productive) नहरें कहते हैं। ऐसी कई नहरें भारत सरकारने बनवाई हैं और उसको प्रतिवर्ष उनसे लाखों रुपयेका लाभ होता है। सन् १९३५-३६ के अंततक १०७ करोड़ रुपयोंकी पूँजी उत्पादक नहरोंमें लगी हुई थी। प्रांतीय सरकारें इस काममें बड़ी ढील कर रही हैं। कई वर्ष तो किसी नहरके बनानेकी स्वीकृति लेनेमें ही लग जाते हैं। प्रांतीय सरकारको कर्ज लेकर नई नहरोंको शीघ्र ही बनवानेका प्रयत्न करना चाहिए।

परन्तु केवल उत्पादक नहरोंके बनानेमे ही काम न चलेगा। जिन स्थानोंमें पानीकी कमी है और जहाँ पहाड़ोंके कारण नहरें बनानेमें अधिक खर्च लगता है वहाँ उत्पादक नहरें बहुत ही कम बनाई जा सकती हैं। परन्तु वहाँपर दूसरे प्रकारकी नहरें बनाई जा सकती हैं जिनको हम रक्षक (Protective) नहरें कह सकते हैं। वे नहरें अकालसे देशकी रक्षा करती हैं। इनके बनानेमें इतना अधिक

रुपया खर्च होता है कि उससे जो आमदनी होती है उसमें उनका वार्षिक खर्च और पूँजीका ब्याज भी नहीं निकलता, लाभकी बात तो अलग रही। सन् १९३२-३३ के अन्ततक करीब ४६ करोड़ रुपएकी पूँजी रक्षक नहरोंमें लगी हुई थी। ऐसी नहरोंसे एक बड़ा लाभ यह होता है कि जहाँ ये बनाई जाती हैं उस भागमें अकाल पड़ना बहुत कुछ बन्द हो जाता है। किसानोंको भी उनसे बहुत अधिक लाभ पहुँचता है। सन् १९०१ के आबपाशी-सम्बन्धी कमीशनने सरकारसे कर्ज लेकर, शीघ्र ऐसी कई नहरोंको बनवानेकी सिफारिश की थी। उसकी यह भी सिफारिश थी कि इन नहरोंकी आमदनीमें खर्चेसे जो कमी हो वह फैमिन इनश्योरेंस-ग्रायट (अकाल-रक्षक मद) से पूरी की जाय। परन्तु सरकारने देशको लाभ पहुँचानेवाली और अकालके भयङ्कर परिणामोंसे बचानेवाली इस सिफारिशको नहीं माना। सरकार का कहना यह था कि वह ऐसे कामोंके लिए देशके ऋणका परिमाण बढ़ाना उचित नहीं समझती। क्या सरकारके लिए देशको लाभ पहुँचानेवाले काम करनेके लिए ऋण लेना उचित नहीं है ? उसे देश और जनताके हितका ही अधिक ख्याल करना चाहिए और उसे स्वार्थी पूँजीवालोंके समान मुनाफेके लिए इतना अधिक लालायित नहीं होना चाहिए। आशा है, प्रांतीय सरकारें उदार नीतिका अनुसरण करेंगी और कर्ज लेकर उन रक्षक नहरोंका बनवाना शीघ्र आरम्भ कर देंगी जिनकी सिफारिश सन् १९०१ के कमीशनने की थी।

हम यह मानते हैं कि सब स्थानोंकी पानीकी कमी नहरों द्वारा दूर नहीं की जा सकती। कहीं-कहीं ऐसा करना असम्भव भी है। परन्तु

इमें यह विश्वास है कि अभी ऐसे बहुतसे स्थान रह गये हैं जहाँ कि पानीकी कमी नहरों द्वारा दूरकी जा सकती है। कई स्थानोंमें नदियों का पानी ऊँचे स्थानमें पंप द्वारा उठाकर आबपाशीके काममें लाया जा सकता है। कई स्थानोंमें जलके प्रपातोंसे बिजली भी तैयार की जा सकती है तथा इकट्ठे किये हुए पानीका उपयोग आबपाशीके लिए भी किया जा सकता है। इससे खेती और उद्योग-धन्धोंको लाभ पहुँचनेकी बहुत सम्भावना है। भारत सरकारके हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सरवे विभागने ऐसे स्थानोंकी जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बतलाया गया है कि किन-किन स्थानो में जल-प्रपातोंसे बिजली तैयार करनेसे लाभ होगा। भारतके धनवान् मनुष्योंको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

जिन स्थानोंमें नहरों द्वारा पानी नहीं पहुँचाया जा सकता वहाँ पर तालाब या कुओं द्वारा आबपाशीका प्रबन्ध किया जाना चाहिये। किसान बहुत गरीब हैं। उनके पास रुपयोंकी हमेशा कमी रहती है, इसलिए जबतक उनको कम ब्याजपर रुपया उधार न मिलेगा तबतक वे अपने खेतोंमें कुआँ खोदनेके लिए अधिक रुपया न लगा सकेंगे। इस कामके लिए सरकारको तकावी अधिक परिमाणमें देनी होगी। सन् १९०१ के आबपाशी सम्बन्धी कमीशनका यह अनुमान था कि कुओं द्वारा सींची जानेवाली जमीनका रकबा शीघ्र ही दूना हो जायगा परन्तु करीब ३५ वर्ष बीत जानेपर भी उसमें कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई। सन् १९०३ में ११५ लाख एकड़ जमीन कुओंसे सींची गई थी और १९३६-३७ में ११९ लाख एकड़। इससे सिद्ध है कि सरकारने इस

तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। यदि तकावी अधिक परिमाणमें दी जाती तो शायद कुओंकी संख्या आज-कल बहुत अधिक बढ़ गई होती। पातालफोड़ी कुओं (ट्यूबवेलों) से भी लाभ उठाया जा सकता है। जमींदारोंको भी अपने खेतोंमें कुँआ खुदवाकर किसानोंको अधिक उपज पैदा करनेमें सहायता पहुँचानी चाहिए। कई स्थानोंमें तालाब भी बनवाये जा सकते हैं। ट्यूबवेल या छोटे-छोटे तालाब तो बड़े-बड़े जमींदार भी बनवा सकते हैं परन्तु बड़े बड़े तालाब सरकार को ही बनवाने पड़ेंगे। आबपाशीका विभाग कृषक-हितैषी विभागमें मिला दिया जाना चाहिए और उसको करीब १५-२० वर्षोंमें पानीकी कमी भारतमें पूरी तरहसे दूर करनेकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए।

---

*

नवाँ अध्याय

किसानोंको ऋणमुक्त करना

[किसानोंके कर्जदार होनेके मुख्य कारण, ऋणमुक्त करनेवाले अफसरोंका कार्य, शिक्षा प्रचार, सामाजिक रीति रिवाजोंका परिवर्त्तन, घूसखोरी बन्द करना, रैयतवारीवाले भागोंमें मालगुजारी कम करनेकी आवश्यकता, मालगुजारीका किन-किन दशाओंमें मुल्तवी या माफ किया जाना ।]

पाठक यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारतके असंख्य किसानोंको अत्यधिक सूदखोर तथा निर्दयी महाजनोंके चंगेलमें पड़े रहनेसे, अपनी दशा सुधारनेमें बहुत कठिनाई पड़ती है, इसके अतिरिक्त फसल पकनेपर उनका बहुतसा मुनाफा बीचके दलाल हड़प जाया करते हैं। इस अध्यायमें इस प्रश्नपर विचार किया जायगा कि भारतीय किसान ऋण-मुक्त कैसे किये जा सकते हैं।

किसानोंके कर्जदार होनेके मुख्य कारण ये हैं—

(१) साहूकार उनसे अधिक ब्याज लेते हैं।

(२) किसानोंकी अज्ञानता—जिसके कारण वे जहाँ जाते हैं वहीं ठगे जाते हैं।

(३) विवाह आदिमें वे अपनी हैसियतसे अधिक खर्च करते हैं।

(४) नीचे दरजेके सरकारी अफसरों और मुलाजिमोंकी घूसखोरी।

(५) जमींदार उनसे अधिक लगान लेते हैं।

(६) रैयतवारी भागोंमें सरकार द्वारा किसानोंसे उनकी हैसियतसे अधिक मालगुजारी वसूल की जाती है।

(७) अनावश्यक मुकदमेबाजी।

(८) मादक वस्तुओंके सेवनमें अपव्यय।

किसानी एक ऐसा धन्धा है जिसमें रुपयोंकी आवश्यकता हमेशा रहती है! भारतीय किसान गरीब हैं अतः उनको महाजनोंका मुँह ताकना पड़ता है जो कि उनसे बहुत अधिक व्याज वसूल करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यदि कोई किसान एक बार उनके जालमें फँस जाता है तो फिर उसका उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसी जालमें फँसकर असंख्य किसान बरबाद हो चुके हैं और हो रहे हैं। किसान ऋणके भारसे दबे हुए हैं। सन् १९२२ में डार्लिङ्ग महोदयने जाँच करके किसानोंका कुछ कर्ज ६०० करोड़ रुपया अन्दाजा था। सन् १९२९-३० में जब फिर जाँच की तो विदित हुआ कि वही संख्या ९०० करोड़तक बढ़ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल ८ सालमें किसानोंके कर्जमें ५० प्रति सैकड़ाकी वृद्धि हुई। सम्भव है, अब वही संख्या १२०० करोड़ रुपयोंतक पहुँच गई हो। सरकारका ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ है और सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) तथा भूमिबन्धक बैंकों (Land Mortgage Banks) की स्थापना हुई है। परन्तु इनसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। पिछले पाँच-छः वर्षोंमें कर्जदारोंको सहायता पहुँचानेके लिए प्रान्तोंमें कानून बनाये गये हैं।

सबसे पहले मध्यप्रदेशने इस मार्गपर पैर रक्खा और सन् १९३२ में एक योजना बनाई और फिर उसको १९३३ में कानून रूपमें परिणत कर दी। इसी योजनाके आधारपर कुछ प्रान्तोंने अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार कर्ज समझौता बोर्डों (Debt Conciliation Board) की स्थापना कर ली है। इन बोर्डोंका मुख्य उद्देश्य है कि वे कर्जदार और साहूकार दोनोंको आपसमें समझा कर कर्ज कम कराते हैं। प्रत्येक बोर्डकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती है। इस बोर्डमें प्राय: तीन सदस्य होते हैं।

सूदकी दर नियत करनेके लिए भी कानून बनाये गये हैं। इन कानूनोंमें सुरक्षित तथा बे सुरक्षित कर्जोंमें अन्तर रखकर सूदकी दरका निर्णय किया गया है। वह विभिन्न प्रान्तोंमें दोनों प्रकारके कर्जोंके लिए इस प्रकार है:—

प्रान्त	सूदकी दर	प्रति सैकड़ा
	सुरक्षित कर्ज	बे-सुरक्षित कर्ज
आसाम	१२।	१८।
बंगाल	१५	२५
बिहार	९	१२
बम्बई	९	१२
मध्यप्रदेश	७	१०
पंजाब	१२	१८
संयुक्त प्रान्त	२॥ से ५॥ तक	५ से १०॥ तक

इसके पूर्व बहुत विचित्र विचित्र दर देखने तथा सुननेमें आती थी। बंगाल प्रान्तीय बैंकिङ्ग कमेटीने इस सम्बन्धमें जो जाँच की थी उसका नतीजा नीचे लिखे अनुसार था।

जिला	प्रतिसाल प्रति सैकड़ सूद की दर
बर्दवान	२४ से १७५ तक
मुरशिदाबाद	१८ से १२० तक
ढाका	१२ से १२९ तक
मैमनसिंह	२४ से २२५ तक

इन कानूनोंके अतिरिक्त साहूकारोंकी रजिस्ट्री करनेके लिए भी कानून (Moneylender's Registration) बनाये गये हैं। इनके अनुसार प्रत्येक साहूकारको जिलाधीशके सामने अपनी रजिस्ट्री करानी अनिवार्य हो गई है—इसके लिये कुछ शुल्क भी देना पड़ता है तथा उसको एक लैसंस भी लेना पड़ता है जिसके बिना वे रुपयेका लेन-देन कर ही नहीं सकते। एक बारका छीना हुआ लैसंस बहुत कठिनतासे दुबारा दिया जाता है। जिलाधीशको लैसंस छीन लेनेका पूरा अधिकार है।

इतना सब होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि किसान इन कानूनोंके द्वारा ऋणमुक्त हो जायेंगे।

हमारी समझमें प्रत्येक जिले अथवा तहसीलमें कृषक-हितैषी विभाग द्वारा ऐसे खास अफसरोंकी नियुक्ति की जानी चाहिए जिनका एकमात्र काम किसानोंको ऋणसे मुक्त करना हो। उन्हींको किसानोंके ऋण-सम्बन्धी सारे मुकदमें सुनने और यह जाँच करनेका अधिकार दे

दिया जाय कि असलमें किसानोंको महाजन द्वारा कब और कितने रुपये दिए गये थे। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि दस्तावेजको कानूनी मियाद पूरी होनेपर उसको पलटते समय, असली रकमपर सूद दर-सूदसे अधिक ब्याज लगाकर बहुत भारी रकम नये दस्तावेजमें लिखा ली जाती है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि असलमें बहुत थोड़े रुपये उधार दिये जाते हैं और पुरजेमें अधिक रकम लिखा ली जाती है। मान लीजिये कि रामावतार किसानने सन् १९२६ में रामदयाल महाजनसे १००) रुपये, इकन्नी रुपया प्रतिमास ब्याजकी दरसे उधार लिये और एक वर्षमें अदा करनेका वचन दिया। अब सन् १९३० में जब पुरजेकी मियाद पूरी होने लगेगी तब रामदयाल महाजन रामावतारपर रुपया पटानेका तकाजा करेगा और यदि वह रुपया वापिस देनेमें असमर्थ हुआ तो उसे नया पुरजा लिखानेके लिए बाधित किया जायगा। इस समय वह १००) रुपयोंपर चार वर्षका सूद-दर सूद इकन्नी रुपये प्रतिमासकी दरमें लगाकर ९३८) का नया पुरजा लिखवा लेगा। अब यदि रामदयालने, इस नये पुरजेपर रामावतारके नाम ऋणमुक्त करनेवाले अफसर (Redemption officer) के यहाँ १९३७ में नालिश दायर की तो उस अफसरका यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बातका पता लगावे कि असलमें रामावतारको सन् १९२६ में केवल १००) ही उधार दिया गया था। उसे यह नहीं मान लेना चाहिये कि रामावतारने १९३० में ९३८) रामदयालसे उधार लिये। असली कर्जका पता लगानेके बाद उस अफसरका यह कर्त्तव्य होगा कि जिस समयसे वह रुपया कर्ज दिया

गया है उस समयसे मुकदमेंका फैसला होनेकी तारीखतकका ९) प्रति सैकड़ा प्रतिवर्षके हिसाबसे साधारण ब्याज असली कर्जमें जोड़ दे और किसानको उतनी ही रकमके लिये देनदार ठहराये। इस हिसाबसे सन् १९३७ में ११ वर्षोंका ब्याज केवल ९९) होगा और इसलिए उस अफसरका काम है कि १९९) की डिग्री महाजनको दे। उसका यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह किसानकी हैसियत देखकर उस रकमको अदा करनेके किश्तें बाँध देने और वह रुपया किसानसे सरकार द्वारा मालगुजारीके समान भिन्न-भिन्न किश्तोंमें वसूल किये जानेकी आज्ञा दे। अफसरके फैसलेकी अपील केवल प्रधान न्यायालय में ही हो सके। रुपया वसूल होनेपर वह रकम प्रांतीय सरकार द्वारा महाजनको दे दी जायगी। रुपया प्रांतीय सरकार द्वारा मालगुजारीकी तरह वसूल किये जानेके कारण महाजनको रुपयोंके वसूल करनेमें किसी प्रकारकी जोखिम नहीं उठानी पड़ेगी—इसलिए उसको केवल ६ प्रति सैकड़ा साधारण ब्याज दिलाना अनुचित न होगा। क्योंकि रुपये वसूल करनेमें जोखिमकी अधिकताके कारण ही उसका अधिक ब्याज लेना उचित समझा जा सकता है। जब रुपया वसूल करनेमें जोखिम ही नहीं रही तो फिर उसे ९) प्रति सैकड़ेसे अधिक ब्याज क्यों दिलाया जाय? इस योजनासे किसानोंको यह लाभ होगा कि महाजन उनसे मनमाना सूद नहीं वसूल कर सकेंगे और उनको अपनी हैसियत के अनुसार किश्तोंमें रुपया चुकानेका अवसर मिल जायगा। इस योजनाकी सफलताके लिए यह आवश्यक है कि ऋण मुक्त करनेवाले अफसर अपना काम ईमानदारीसे करें और एक पाई भी घूस लेना

पाप समझें और महाजनोंके जालमें न फँसने पावें। इन अफसरोंकी नियुक्ति बहुत सोच विचार करके की जाय।

यदि उपर्युक्त योजनाके अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो हमारी समझमें, २० वर्षोंमें किसान बहुत आसानीसे अपने पुराने ऋणोंसे मुक्त हो सकते हैं। उनके ऋण मुक्त होनेके साथ ही साथ सरकारको उन्हें उचित व्याजपर रुपये दिलानेका भी सुभीता कर देना चाहिए जिससे कि वे फिरसे महाजनके चंगुलमें न फँस जायँ। इसके मुख्य साधन सहकारी समितियोंका खोलना और तकावी देना है। हमारा पक्का विश्वास है कि सहकारी समितियोंसे किसानोंको बहुत लाभ पहुँचाया जा सकता है परन्तु वे अभीतक उनको पुराने ऋणसे मुक्त करनेमें अधिक सफल नहीं हुई हैं इसलिए जब किसान उपर्युक्त योजनाके अनुसार पुराने ऋणसे मुक्त हो जायँ तब उनको फिरसे महाजनोंके चंगुलमें फँसनेसे बचानेका सबसे उत्तम तरीका यही है। सहकारी-विभागको कृषक हितैषी विभागमें मिलाकर उसको अपना काम इस तरहसे करनेका आदेश दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ ही वर्षोंमें एक भी ऐसा गाँव न रह जाय जिसमें सहकारी-समिति न हो। इस कार्यमें ग्रामीण पाठशालाओंके अध्यापकोंसे सहायता ली जा सकती है। शिक्षित जनता और महाजनोंको भी इस पवित्र कार्यमें सहायता करनी चाहिये और अपनी बचतका रुपया अपने जिलेके सहकारी बैंकमें जमा कर देना चाहिये जिससे वे अपने लाभके साथ-साथ किसानोंका और देशका भी भला कर सकें। यहाँपर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसानोंके कर्जदार होनेके और भी कई कारण

हैं और जबतक वे दूर न किए जायँगे तबतक उपर्युक्त योजनाके अनुसार कार्य करनेसे भी बहुत अधिक लाभ होनेकी आशा नहीं। वे सब किस तरहसे दूर किये जा सकते हैं, यह नीचे बतलाया जाता है।

पाठकोंको बखूबी मालूम है कि अज्ञानके कारण किसानोंको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह बिल्कुल सच है कि कितने ही सीधे और अनपढ़ किसानोंका अपनी अज्ञानताके कारण लोभी, लालची और धूर्त महाजनोंके फन्देमें पड़नेसे सत्यानाश हो चुका है। इस शोचनीय दशाको सुधारनेका एक मात्र उपाय उचित शिक्षाका प्रचार ही है। इस सम्बन्धमें हम अपने विचार किसी पिछले अध्यायमें प्रकट कर चुके हैं।

यह भी सच है कि कितने ही किसान विवाह तथा अन्य उत्सवोंमें अपनी हैसियतसे बहुत अधिक खर्च करते हैं और अन्तमें कर्जदार होकर हमेशाके लिये अपनी आर्थिक दशा बिगाड़ बैठते हैं। इस फिजूलखर्चीका मुख्य कारण सामाजिक रीति-रिवाज और कुप्रथाएँ हैं जिनका बदला जाना आर्थिक दृष्टिसे भी बहुत आवश्यक है। आशा है, समाज-सुधारक और शिक्षित जनता इस ओर समुचित ध्यान देगी और विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजोंमें ऐसा परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी जिससे गरीब मनुष्योंको अपने कुटुम्बियोंकी शादियोंमें अपनी हैसियतसे अधिक खर्च करनेके लिए बाधित न होना पड़े।

नीचे दरजेके सरकारी अफसरों और मुलाजिमोंकी घूसखोरीके सम्बन्धमें यहाँ इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि इससे अनपढ़

किसानोंको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। घूस देनेके लिए वे कई तरहसे सताए जाते हैं। पुलिसके सिपाही, महकमे मालके निम्नश्रेणीके अफसर और मुलाजिम, पटवारी, दीवानी और फौजदारी अदालतोंके मुन्शी, मजकूरी, रेलवे विभागके कर्मचारी—खासकर टिकट बाबू माल बाबू—नहर, रजिस्ट्री और बन्दोबस्त विभागके मुलाजिम घूस लेना अपना अधिकार समझते हैं। घूसखोरी यहाँतक बढ़ गई है कि कसी किसी विभागमें सबसे नीचे दर्जेके मुलाजिम अपने एक महीनेका वेतन प्रतिवर्ष अपने अफसरोंको दिया करते हैं और अपनी इस कमीको वसूल करनेके लिए मनमानी घूस लेते हैं। फिर अफसर भी उनकी घूसखोरीकी तरफ उचित ध्यान नहीं देते। दें कैसे, मुँह तो पहले ही बन्द करवा बैठे हैं। कहीं कहींपर घूसने टैक्स (कर) का रूप धारण कर लिया है और वह बिना किसी उज्रके चुपचाप दे दी जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि भारतमें ऊँचे दर्जेके कर्मचारियोंको बहुत अधिक वेतन और सबसे नीचे दर्जेके कर्मचारियोंको बहुत कम वेतन दिया जाता है। कई सरकारी कर्मचारियोंका वेतन इतना कम है कि उससे वे अपने कुटुम्बके लिए इतना अनाज और कपड़ा नहीं खरीद सकते जितना कि दुराचारी कैदियोंको जेलमें खाने और पहननेको दिया जाता है। ऐसी दशामें इन कर्मचारियोंका घूस लेना स्वाभाविक है।

घूसखोरी बन्द करनेके मुख्य साधन ये हैं:—

(१) नीचे दर्जेके कर्मचारियोंका वेतन बढ़ा दिया जाय और उनको घूस न लेनेकी सख्त ताकीद कर दी जाय।

(२) घूस लेनेवालेका खुफिया तौरसे पता लगानेकी व्यवस्था की जाय।

(३) जिनपर घूस लेनेका अपराध साबित हो उनको कठिन सजा दी जाय।

(४) ऐसी शिक्षाका प्रचार कर दिया जाय जिससे सभो मनुष्य यह समझने लगें कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी रक्षा वे किस तरह कर सकते हैं।

भारतके प्राय: सभी प्रान्तोंमें गैरमौरूसी और शिकमी-दर-शिकमी किसानोंके कर्जदार होनेका कारण है—जमींदार और तल्लुकेदारोंका अधिक लगान और नजराना वसूल करना। नजराना किस तरहसे बन्द किया जा सकता है, अथवा लगान किस तरहसे कम किया जा सकता है, इन प्रश्नोंपर हम अपने विचार जमींदार और किसान सम्बन्धी अध्यायमें प्रकट कर चुके हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में औसतके हिसाबसे प्रति एकड़ कितनी मालगुजारी सरकार द्वारा वसूल की जाती है वह नीचेके कोष्ठकमें दी जाती है।

कोष्ठक नं० (१४)

	प्रति एकड़ बोई हुई जमीनकी मालगुजारी		
स्थायी बन्दोबस्तवाला भाग	रु०	आना	पा०
बङ्गाल	१	२	९
मदरासका कुछ भाग	०	१३	६
बिहार और उड़ीसा	०	९	१
आसाम	०	१	६
युक्तप्रान्तका कुछ भाग	१	५	६
कायम मुकाम बन्दोबस्तवाला भाग			
(अ) जमींदारी			
युक्तयुप्रान्त—सूबा आगरा	१	१२	६
युक्तप्रान्त—सूबा अवध	१	१५	३
पञ्जाब	१	९	६
मध्यप्रान्त	०	१०	११
उत्तर पश्चिमी प्रान्त	०	१५	७
(ब) रैयतवारी			
मद्रास प्रान्तका शेष भाग	२	६	११
बम्बई अहाता	१	५	७
सिन्ध	३	०	६
बर्मा	२	७	०
बरार	१	५	०

* ये अङ्क Agricultural Statistics Voll नामक सरकारी रिपोर्टसे लिये गये हैं।

उपर्युक्त कोष्ठकसे मालूम होता है कि देशके जिन भागों में स्थायी बन्दोबस्त है, वहाँ मालगुजारी फी एकड़ बहुत कम ली जाती है और इसलिए वहाँपर अब मालगुजारीके कारण अधिकतर किसान ऋणी नहीं हो सकते। देशके जिन भागोंमें मालगुजारी अथवा ताल्लुकेदारी प्रथा प्रचलित और बन्दोबस्त कायममुकाम रहता है, वहाँ मालगुजारी, जमींदारकी लगान द्वारा होनेवाली आमदनी पर करके समान है और यदि मालगुजारी कम भी कर दी जाय तो भी यह निश्चयपूर्वक नहं कहा जा सकता कि किसानोंको उससे लाभ हो सकेगा या नहीं। सम्भवतः मालगुजारीकी वह सब कमी जमींदारोंके हाथमें ही रह जावे और किसानोंके लगानमें कुछ भी कमी न हो। इसलिए इन भागोंमें जमींदारोंके लगान (Rent) के परिमाण घटानेसे किसानों को लाभ होगा, न कि मालगुजारी (Land Revenue) की कमीसे। परन्तु रैयतवारी भागोंकी स्थिति बिलकुल भिन्न है। वहाँपर सरकार ही जमींदार है और वह किसानोंसे बिना किसी मध्यस्थके स्वयं मालगुजारी वसूल करती है। इसलिए यदि इन भागोंमें माल-गुजारी कम कर दी जाय तो उसका सब लाभ किसानोंको ही मिलेगा। सरकार अपनी जमींदारीमें किसानोंसे कितनी अधिक मालगुजारी वसूल करती है यह उपर्युक्त कोष्ठकके देखनेसे मालूम हो जाता है। युक्तप्रान्तमें मालगुजारीकी औसत फी एकड़ एक रुपया बारह आना है तो मदरासमें रैयतवारीकी औसत दो रुपये आठ आना। मदरासकी जमीन युक्तप्रान्तकी जमीनसे अधिक उपजाऊ न होनेपर भी उसमें इतनी अधिक मालगुजारी क्यों वसूल की जाती है? क्या यह न्याय-

सङ्गत नहीं है कि रैयतवारी भागमें किसानोंकी मालगुजारी कम कर दी जाय अथवा ऐसे किसानोंसे मालगुजारी वसूल ही न की जाय जिनकी खेतीसे वार्षिक आमदनी ५००) रुपयोंसे कम हो ?

प्रत्येक प्रान्तमें यह नियम है कि यदि किसी भागमें अनावृष्टि होने, ओले गिरने और बाढ़ आने इत्यादि किसी कारणसे फसल बिगड़ जाती है तो उस भागकी मालगुजारी मुलतवी अथवा माफ कर दी जाती है परन्तु इस नियमका ठीक-ठीक पालन नहीं होता। फसल सम्बन्धी रिपोर्ट भेजनेका काम माल विभागके नीचे दर्जेके कर्मचारियों को सौंपा गया है जिनको इस काममें दिलचस्पी नहीं रहती और अन्य बहुतसे कामोंमें फँसे रहनेके कारण उनको इस कामके लिए समय भी काफी नहीं मिलता। इसका परिणाम यह होता है कि कई जगह फसल खराब होनेपर भी रिपोर्ट कर दी जाती है कि फसल साधारण है। हमारी समझमें फसल-सम्बन्धी रिपोर्ट भेजनेका काम कृषक हितैषी अथवा कृषि विभागके अनुभवी अफसरोंको दिया जाना चाहिये और किसी भी भागमें फसल बिड़गनेकी रिपोर्ट आनेपर वहाँकी मालगुजारीको मुलतवी अथवा माफ करनेका शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाना चाहिये। ऐसा न करनेसे किसानोंकी दशा खराब होती है, वे अधिक ऋणी होते जाते हैं और उनमें असन्तोष बढ़ता है जो कि जमींदार और सरकार दोनोंके लिए अहितकर है।

अनावश्यक मुकदमेबाजी और मादक वस्तुओंके सेवनमें किसानों-का बहुतसा रुपया नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं तो इन कारणों-से ही वे ऋणी हो जाते हैं। ग्राम्य-पंचायतोंको शीघ्र ही छोटे-छोटे

दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुननेका अधिकार दे दिया जाना चाहिए। किसानसभा भी किसानोंके पारस्परिक झगड़ोंको निपटाकर उनकी मुकदमेबाजीकी फजूलखर्चीको बचाकर बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकती है। जहाँतक हो सके, किसानोंको अदालतसे दूर ही रहना चाहिए। मादक वस्तुओंके प्रचारको रोकनेमें जातीय पंचायतोंने बहुत सफलता प्राप्त की है और आशा की जाती है कि वे भविष्यमें भी इसी प्रकारसे प्रयत्न करती रहेंगी।

———

दसवां अध्याय

बीचके दलालोंकी संख्या कम करना

[फसल किस तरह बेची जाती है, किसानोंकी फसल बेचनेवाली सहयोग-समितियोंकी स्थापना; हाट बाजार सम्बन्धी नियमोंमें परिवर्तन; पक्की सड़कोंका अभाव]

हम तीसरे अध्यायमें बतला चुके हैं कि फसल पकनेपर किसानोंका बहुत सा मुनाफा दलालों द्वारा हड़प कर लिया जाता है। इसलिए इस अध्यायमें हम इस प्रश्नपर विचार करते हैं कि दलालोंकी संख्या किस तरह कमकी जा सकती है।

फसल तैयार होनेके पहले ही मालगुजार, महाजन बनिये, एजेंट इत्यादि गरीब किसानोंको पेशगी रुपया देना शुरू कर देते हैं। उधर मालगुजारी और बनिये महाजनके कर्जके तकाजे शुरू हो जाते हैं। ऐसी दशामें किसानोंको विवश होकर या तो पेशगी रुपये लेकर या फसल तैयार होते ही उसे महँगे सस्ते दामोंपर बेंचकर इन तकाजोंसे जान छुड़ानी पड़ती है। इससे किसानोंको तीन प्रकारसे हानि उठानी पड़ती है।

(१) फसलके समय पैदावारको बेंचनेसे दाम कम मिलते हैं।

(२) साल भरके खर्चके लिये महाजनसे कर्ज लेनेपर सूद देना पड़ता है।

(३) खानेके लिए फिर वही अन्न अधिक दाम देकर खरीदना पड़ता है।

फसल प्राय: नीचे लिखी रीतिसे बेंची जाती है।

(१) किसान स्वयं बाजार ले जाते हैं।

(२) व्यापारी खलिहान पर जाकर पैदावार ले आते हैं।

(३) साहूकार, बनिया, मालगुजार या अन्य पूँजीवाले फसल खरीद लेते हैं।

पहली रीतिमें यह दोष है कि बाजारमें पहुँचनेपर यदि भाव मन्दा रहा तो भी ले आने और ले जानेके झंझटसे बचनेके लिए किसानको किसी भी दामपर बचनेके लिए विवश होना पड़ता है; क्योंकि एक तो उसे रुपयोंकी जरूरत रहती है और दूसरे खेतीके अन्य कामोंके कारण वह अधिक समय तक बाजारकी तेजी-मन्दीके लिये ठहर नहीं सकता।

दूसरी रीतिमें यह दोष है कि किसानोंको बाजारकी तेजीमन्दीका ज्ञान न होनेसे व्यापारी मनमाने भावपर पैदावार ले जाते हैं।

तीसरी रीतिमें यह दोष है कि किसान खरीददारोंका ऋणी रहता है या वह उसपर अन्य प्रकारके दबाव डाल सकता है। इस कारण मोल तोल ठीक-ठीक नहीं होता और किसानोंको कम दामोंपर अपनी पैदावार बहा देनी पड़ती है। इस प्रकार किसानोंको पैदावारसे उतना लाभ नहीं होता, जितना कि होना चाहिए।

शाही कृषि-कमीशन (Royal Commission on Agriculture) की सिफारिशपर सरकारने पहिली जनवरी सन् १९३५ से

दिल्लीमें एक परामर्शदाता (Agricultural Marketing Adviser) की नियुक्ति कर दी है। प्रत्येक प्रान्तमें बाजारोंके अफसरों (Marketing officers) की नियुक्ति की गई है। बाजारोंकी जाँच पड़ताल (Surveys) करना इनका मुख्य कार्य है। पिछले सालोंमें ऐसी कई पड़तालें (Survey) सभी प्रान्तों और रियासतोंमें की गई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी तथा अन्य वस्तुओंका दर्जेवार करना तथा प्रमाणित करनेका कार्य भी किया गया है। यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव या शहरमें, जहाँ पर अनाजका व्यापार होता है, एक ऐसी सहयोग-समितिकी स्थापना की जाय जिसका काम यह हो कि वह फसलके तैयार होनेपर उसे किसानोंसे बाजारू भावपर इस शर्तसे खरीदे कि उसको उचित समय पर बेचनेमें जो कुछ लाभ हो उसका आधा भाग किसानको दे दिया जाय। ऐसी समितिको हम किसानोंकी फसल बेचनेवाली सहयोग-समिति कह सकते हैं। समितिको एक पक्का गोदाम बनवाना पड़ेगा और कुछ ईमानदार कर्मचारी भी नियुक्त करने होंगे। समिति की पूँजी गाँव या शहरकी शिक्षित जनता और धनवान् व्यापारियोंसे इकट्ठी की जाय। समितिके डाइरेक्टर उसके काम को देख रेख करते रहेंगे। जब काम बराबर चलने लगे तब किसानोंको भी उसके शेयर (हिस्से) खरीदनेको उत्साहित करना उचित होगा। ऐसी समितियाँ प्रत्येक शहरमें या बड़े-बड़े गाँवोंमें सहकारी-विभाग या शिक्षित-जनता द्वारा शीघ्र ही स्थापित की जानी चाहिये। परन्तु रजिष्ट्रारको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि समिति किसी धूर्त महाजन या दलाल के हाथमें न पड़ने पावे। इस

समितिसे किसानोंको यह लाभ होगा कि उनको अपनी फसलकी बाजारू कीमत उसी समय मिल जायगी जिससे वे मालगुजारी और कर्ज चुका सकेंगे और समितिको उस फसलके उचित समय पर बेचे जानेसे जो लाभ होगा उसका आधा भाग भी किसानोंको मिलेगा। इस कामके लिये दलालोंकी आवश्यकता भी न पड़ेगी और उनकी संख्या कम हो जायगी। इस प्रकार आजकल जो लाभ इन बीचके दलालोंको होता है उसका कमसे कम आधा भाग तो किसानोंको अपनी दशा सुधारनेके लिए अवश्य मिल सकेगा।

हाट-बाजारोंके ऐसे नियम बना दिये जाने चाहिये जिससे वहाँके व्यापारी, किसानो से या खरीदारोंसे, बेईमानी न कर सकें। म्युनिसिपैलिटी अथवा जिला बोर्ड जिनकी सीमाके अन्दर ये बाजार लगाये जाते हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे बेईमान व्यापारीको पकड़वाके उचित दंड दिलानेकी व्यवस्था करें। प्रत्येक जिले और प्रान्तोंमें तौलके वजनोंकी भिन्नताके कारण भी सीधे सादे किसानोंको कई समय ठगा जाता है। यह भी बहुत आवश्यक है कि देश भरमें या कमसे कम प्रत्येक प्रान्तमें एकसे ही माप तौलका उपयोग किया जाय।

यहाँपर बीचके दलालोंकी सख्या घटाने और उनको मिलने वाला मुनाफा किसानोंको दिलानेकी योजना लिखी गई है, किन्तु इसकी सफलताके लिये सड़कोंका भी काफी प्रबन्ध होना चाहिए। क्योंकि भारतमें पक्की सड़कोंकी भी बहुत कमी है। वर्षा ऋतुमें कई दिनों तक बैलगाड़ियोंका आना जाना कई ग्रामोंमें बिलकुल बन्द हो जाता है। बोझा ढोनेवाले पशुओंको भी एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेमें

कठिनाई पड़ती है। सड़कें कच्ची होनेके कारण यदि बोझा गाड़ीमें न ले जाकर पशुओं द्वारा अथवा सिरपर ले जाना पड़े तो हिसाब लगाने से मालूम होता है कि उसमें करीब पचगुना अधिक खर्च होता है। इसमें भी किसानोंको नुकसान होता है। आजकल पक्की सड़कें देशके व्यापार या जनताके सुभीतेके ख्यालसे बहुत कम बनाई जाती हैं। पक्की सड़कें इस तरहसे बनाई जानी चाहिये कि जिसमें वे किसी रेलवे-स्टेशन पर अथवा व्यापारके केन्द्रपर आकर मिलें और अन्य दूसरी सड़कोंका मिलान भी उसी सड़कपर हो। गाँवमें जानेवाली सड़कोंको खेतोंके मालिक अथवा जमींदार बनवाकर साफ रक्खें। एक गाँवसे दूसरे गाँवको जानेवाली अथवा सीधे स्टेशनको जानेवाली सड़कोंको जिला बोर्ड बनवाकर पक्की करे और समय समयपर उनकी ठीक मरम्मत भी करती रहे। प्रान्तीय सरकार अथवा भारत सरकार ऐसी बड़ी और पक्की सड़कें बनवा दे जो रेलके स्टेशनों और व्यापारके केन्द्रोंको मिलाती हों।

———

ग्यारहवां अध्याय

किसानोंकी शेष असुविधाओंका दूर करना।

[गाय बैलोंके ह्रासका कारण, चारागाहोंकी कमी, साइलो बनवाना, बैलोंकी देख-रेख, गोहत्याको रोकना, उत्तम बीज प्राप्त करनेकी व्यवस्था, नये यन्त्रोंका और खादका उपयोग]

पाठक यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि भारतीय किसानोंको नीचे लिखी असुविधाओंसे एक साथ ही सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनकी आर्थिक दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है।

(१) जमींदार उनसे अधिक लगान वसूल करते हैं।

(२) किसानोंका रहन-सहन बहुत नीचे दर्जेका है।

(३) प्रारम्भिक शिक्षा और कृषि शिक्षाका उनमें अभाव है।

(४) उनके खेत छोटे-छोटे टुकड़ोंमें दूर-दूरपर बँटे हुए हैं।

(५) किसान गरीब होनेके सिवा ऋणी भी हैं।

(६) दलालों द्वारा उनका बहुत सा मुनाफा हड़प लिया जाता है।

(७) पानीकी कमी है।

(८) उत्तम बीज, बैल, खाद और औजारोंकी भी कमी है।

एक अध्यायमें हमने बतलाया है कि जमींदार, सरकार और शिक्षित जनताका किसानोंके प्रति क्या कर्तव्य है और फिर अन्य

अध्यायमें यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि जमींदारोंके अत्याचारों से किसान किस प्रकार बच सकते हैं, उनका रहन-सहन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उनमें उचित एवं सामयिक कृषि-शिक्षाका प्रचार किस तरह किया जा सकता है, उनके खेत एक चकमें कैसे किये जा सकते हैं, ऋणसे शीघ्र ही उनका छुटकारा किस तरह किया जा सकता है और दलालोंकी संख्या किस प्रकार कम की जा सकती है। इस अध्यायमें हम इस प्रश्नपर विचार करते हैं कि किसानोंको उत्तम बीज, उत्तम खाद, अच्छे औजार और बैल दिलानेमें किस तरहसे सहायता पहुंचाई जा सकती है।

भारतकी खेती बैलों पर निर्भर है और हमारे दुर्भाग्यसे प्रति दिन उनका ह्रास होता जाता है। गाय-बैलोंकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है जिसके कारण दूध, घी और बैलोंकी कीमत अत्यधिक बढ़ गई है। गाय बैलोंकी दशा भी खराब होती जाती है और हृष्ट-पुष्ट बैल तो गाँवमें बहुत ही कम नजर आते हैं। इस दुरवस्थाके मुख्य कारण ये हैं :—

(१) चारागाहोंका अभाव और घासकी कमी।

(२) गाय-बैलोंके पालन-पोषणमें असावधानी।

(३) मांस और चमड़ेके लिये गाय, बैल तथा बछड़ोंकी हत्या।

जमीनकी माँग बहुत बढ़ जानेसे हमारे देशमें चरागाहोंकी बहुत कमी हो गई है। इस सम्बन्धमें स्वर्गीय लाला लाजपतरायजीने अपने एक लेखमें लिखा था :—

"हिन्दुस्तानका कुल क्षेत्रफल ६२ करोड़ १० लाख एकड़ है।

जिस भागमें कृषि होती है उसका क्षेत्रफल २२ करोड़ १० लाख एकड़ है। परन्तु जिस भागमें चारा बोया जाता है उसका क्षेत्रफल केवल ६४ लाख एकड़ है। दूसरे शब्दोंमें, सब जमीनके १०० भागोंमेंसे केवल १ भाग चारेके हिस्सेमें आता है और इस कारण लाचारीसे एक एकड़पर २२ पशुओंका जीवन निर्भर करना पड़ता है। अमरीकाकी यूनाइटेड स्टेट्समें चारेके वास्ते फी सैकड़ा ३. ५ भाग जमीन आती है और प्रत्येक पशुके हिस्सेमें १. १६ एकड़ आते हैं। इन संख्याओंसे सिद्ध होता हैं कि हिन्दुस्तानमें चरागाह और चारा उत्पन्न करनेकी जमीन अमरीकाकी अपेक्षा बहुत कम है।"

अखिल भारतीय गौ कान्फरेन्सके एक डेपुटेशनने भूतपूर्व भारत-सचिव माटेगू साहबका ध्यान जब चारागाहकी कमीकी तरफ आकर्षित किया तब उनने यह कहा था कि,—ऐसे कृषि-प्रधान देशके लिए मैंने पार्लिमेण्टमें यह राय पेश की है कि फी १०० एकड़ जमीनके पीछे ५ एकड़ जमीन चारागाहके लिए छोड़ी जाय। इसके लिये एक पाश्चर (चरागाह) बिल पेश करनेकी जरूरत पड़ेगी। इसमें कठिनाई यह पड़ेगी कि उस जमीन परसे सरकारको मालगुजारी उठा लेनी पड़ेगी।

सरकारको मालगुजारीका इतना लालच क्या है जिसके कारण उसे चरागाहोंके लिए काफी जमीन छोड़नेमें कठिनता पड़ती है? क्या देशके उपयोगी पशुओंकी दशा सुधारनेके लिए सरकारका यह कर्तव्य नहीं है कि उनको चरागाहोंके लिए वह उचित प्रबन्ध करे? यद्यपि हमारी समझमें १०० एकड़ जमीनके पीछे ५ एकड़ जमीन चरागाहोंके लिये काफी न होगी तो भी कमसे कम उतनी जमीन प्रत्येक गांवमें इस

कार्यके लिए छोड़ी जानेका प्रबन्ध सरकारको शीघ्र करना चाहिए। इन चरागाहोंकी देख-रेखका काम गाँवकी पञ्चायतके सुपुर्द कर देना चाहिए।

गाय बैलोंको हरी ताजी घास खिलानेकी आवश्यकता है। परन्तु सदा हरी घासका मिलना सहज बात नहीं। अतएव इङ्गलैण्ड, अमरीका आदि देशोंमें साइलो (Silo) बनवाये जाते हैं और उनमें हरी घास रखते हैं। भारतमें साइलो कुएँके समान बनवाना लाभ-दायक है। गड्ढा कमसे कम १० फुट चौड़ा और ७ फुट गहरा होना चाहिये। वह जितना अधिक गहरा होगा उतना ही अधिक अच्छा होगा, परन्तु यह ध्यान रहे कि गड्ढा पानीकी सतह तक न पहुँचने पावे। साइलोकी दीवारें ईंटोंसे पक्की कराकर उनपर चूने या गोबरका पलस्तर करवाना चाहिये। साइलो इस तरहसे बनवाया जाना चाहिये कि जिसमें पानी और हवाका प्रवेश उनमें न हो सके। दूब और अन्य घासोंके अतिरिक्त मकई, जौ, ज्वार और बाजराके डंठल भी साइलोंमें अवश्य रखे जायँ क्योंकि इनमें शर्कराका परिमाण अधिक होता है। साइलोंमें जो घास रक्खी जाती है उसे साइलेज कहते हैं। साइलेजको छोटे-छोटे टुकड़ोंमें काटकर साइलोंमें रखते हैं। जिस कच्ची घासको गाय, बैल यों नहीं खाते उसीको यदि साइलोमें रखकर साइलेज बना दिया जाता है तो वे उसे बड़े चावसे खाते हैं। यह इलाहाबाद एग्री-कलचरल इन्स्टिट्यूटके अनुभवसे मालूम हुआ है। साइलेज में प्रोटीनकी मात्रा बहुत कम रहती है। इसलिए उसे खिलाते समय उसमें थोड़ी खली, बिनौले या अनाज भी मिला देना चाहिए।

साइलोंमें घास भर जाने पर नमक मिला हुआ जल उसपर छिड़क देना चाहिए और उसे ऊपरसे टीन या अन्य किसी छप्परसे छा देना चाहिए। यदि साइलोमें नीचेतक सीढ़ियाँ बना दी जायँ तो साइलेज निकालनेमें बड़ा सुभीता होता है। साइलोमें दो तीन वर्षतक कच्ची (हरी) घास रक्खी जा सकती है। उसमें घासको इस प्रकार सुरक्षित रख देनेके कारण घासकी कमीके समय, साइलेजका उपयोग बहुत आसानीसे किया जा सकता है। दससे कम पशुओंके लिये साइलो बनानेमें लाभ नहीं है। ऐसी दशामें दो चार ऐसे लोग जिनके पास चार पाँच बैल हों मिलकर साइलो बना सकते हैं। जमींदार भी इस काममें किसानोंको सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि प्रत्येक गाँवमें जमींदार, पंचायत अथवा सहकारी समिति द्वारा एक दो पक्के साइलो बना दिये जायँ और उसमें सबकी घास रक्खी जाय तो इससे किसानों का बड़ा हित हो सकता है और कई पशुओंकी जान भी बच सकती है।

घासकी कमीको दूर करनेका एक उपाय यह भी है कि गाय-बैलोंके खानेकी वस्तुओंको उत्पन्न करनेके लिये भी खेती की जाय, अनेक प्रकारकी पुष्टिकर घासें बोई जायँ और पशुओंके खानेके लिए जौ, बाजरा, मकई और ज्वार (चरी) बोई जाय। किसानोंको इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्यको स्वस्थ रहनेके लिए यह जरूरी है कि वह ठीक समयपर भोजन करे, साफ पानी पिये तथा साफ और हवादार घरमें रहे, उसी तरह पशुओंको भी बलिष्ट और कामके लायक रखने और दीर्घजीवी बनानेके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें समयपर और

साफ भरपेट खूराक दी जाय, साफ पानी पिलाया जाय तथा साफ और हवादार घरमें उन्हें रक्खा जाय। इस भांतिके उपचारसे बैल बलिष्ठ रहेंगे और वे अच्छी तरहसे काम कर सकेंगे। उनको कोई रोग भी न होगा। किसान भाइयोंको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और पशुओंकी छूतकी बीमारीके समय बीमार पशुओंसे अलग रखना चाहिए और आरोग्य पशुओंको टीका लगवा देना चाहिए। यद्यपि पशु-चिकित्सा विभागको स्थापित हुए कई वर्ष हो गये तथापि उसने आशाजनक उन्नति नहीं की। प्रत्येक बड़े-बड़े गाँवमें पशु-चिकित्साशाला शीघ्र ही खोल दी जानी चाहिए।

देशमें अच्छे और बलिष्ठ बैल उत्पन्न करनेके लिये यह आवश्यक है कि गाय बलिष्ठ और युवा साँड़से गर्भवती कराई जाय। इस कामके लिये पशुचिकित्सा-विभागको उत्तम साँड़ तैयार करके रखने चाहिए और उनको जमींदारोंको मामूली कीमतपर बेचते रहना चाहिए।

गाय, बैल और बछड़े भारतमें तीन कारणोंसे मारे जाते हैं:—

(१) चमड़े और मांसके व्यापारके लिये।

(२) भारतमें रहनेवाले सिविल और फौजी यूरोपियनोंके लिये, और।

(३) कुर्बानीके लिये।

हिन्दू धर्मके अनुसार-गो-हत्या बड़ा भारी पाप है। परन्तु यदि केवल आर्थिक दृष्टिसे ही विचार किया जाय तो ऐसी स्थितिमें जब कि गाय और बैलोंकी संख्या बहुत कम है और वह दिनपर दिन कम होती जाती है, फौज और मांस-भोजी मनुष्योंके लिये बलिष्ठ और उत्तम

पशुओंका मारा जाना बहुत ही हानिकारक है। अकेले संयुक्तप्रांतमें ही केवल ब्रह्मा देशके मांसके व्यापारके लिये डेढ़ लाखके करीब पशु प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। मि० जस्सावालने हिसाब लगाया है कि १॥ लाखसे अधिक गायों और बछड़ोंका मांस प्रतिवर्ष गोरे चमड़े वाले भारतमें डकार जाते हैं। भारत जैसे कृषि-प्रधान देशके लिये गाय और बैल राष्ट्रके बैल हैं, इसलिये बलिष्ठ पशुओंका वध-किया जाना राष्ट्रहितके विरुद्ध है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि कई म्युनिसिपैलटियोंने अपनी सीमाओंमें गोवध बिलकुल बन्द करवा दिया है। हम आशा करते हैं कि अन्य म्युनिसिपैलटियाँ भी इनका अनुकरण करेंगी। कुछ देशी रियासतोंने भी अपने राज्यमें गोवधकी मनाही कर दी है। राष्ट्रीय सरकारको भी गाय, बैल और बछड़ोंका वध कानूनन बन्द करा देना होगा, और फौजके लिए मांस आस्ट्रेलिया अमरीका अथा अन्य किसी देशसे मँगानेकी व्यवस्था करनी होगी।

अबतक धार्मिक कारणोंसे मुसलमानों द्वारा कुर्बानीके लिये कुछ गायोंका वध किया जाता था। परन्तु हमारे नेताओंके प्रयत्नोंसे हिन्दू-मुसलमानोंमें अब एकताके प्रयत्न हो रहे हैं। अब कुर्बानीके समय बहुत कम गायें मारी जाती हैं। आशा की जाती है कि भविष्यमें गाय की कुर्बानी भारतमें बिलकुल बन्द हो जायगी।

भारतके किसान बीजके बारेमें बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। बोनीके समय उनको जैसा सड़ा या घुना बीज मिल जाता है वैसा ही बो देते हैं। इससे उनको हानि भी उठानी पड़ती है क्योंकि वे जैसा बीज बोते हैं वैसा ही उनका अनाज भी पैदा होता है। इसका मुख्य

कारण यह है कि उनको एकजाई और उत्तम बीज, बोनेके समय, प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता। कृषि विभागका यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक अनाजके उत्तम बीज अपने फार्मोंमें पैदा करावे और उनको बोनेके समय किसानोंको उचित दामपर देनेका प्रबन्ध करे। जमींदार लोग भी इस काममें किसानोंको सहायता पहुँचा सकते हैं। वे कृषि-विभागसे इन बीजोंको खरीदकर अलग बोवें और इस प्रकार अधिक बीज पैदा होनेपर अपने गाँवके किसानोंको उचित शर्तों पर दे दें। सहकारी-साख समितियों द्वारा भी ये बीज सभासदोंको दिये जा सकते हैं।

नये औजारों और यन्त्रोंके उपयोगके सम्बन्धमें हमारी यह धारणा है कि जैसे-जैसे मजदूरी बढ़ती जायगी और व्याजकी दर घटती जायगी, वैसे वैसे इनका उपयोग बढ़ता जायगा। कृषि विभागको नये औजारोंकी उपयोगिता बतलाकर यह समझानेका प्रयत्न करना चाहिए कि यदि किसान उनका उपयोग करें तो उनको लाभ अवश्य होगा और उनके बिगड़ जानेपर उनके सुधारनेका उचित प्रबन्ध कर दिया जायगा। आजकल कई तरहके हल, बीज बोनेवाली मशीन और अन्य औजार ईजाद किये गये हैं और वे सस्ते दाममें भी मिल सकते हैं। उदाहरणार्थ इलाहाबाद कृषि-शालाके ग्रिफिन साहबने एक हल ईजाद किया है जो कि १५ रु० में मिल सकता है। उन्होंने इस हलका नाम सेंधिया प्लाऊ रक्खा है। वह इतना हलका है कि मामूली बैल उसको खींच सकते हैं। वह गहरा जाता है और साथ ही साथ उससे मिट्टी भी उलटती जाती है। कुएँसे पानी ऊपर उठानेके, हाथ द्वारा चलाये जानेवाले, पम्प लगाकर किसान लोग लाभ उठा सकते हैं।

भूसा उड़ानेवाली मशीन, कर्वी काटनेवाली मशीन और फसल काटने वाली मशीन मामूली किसान नहीं खरीद सकते; परन्तु जमींदार, सहकारी समिति, पञ्चायत अथवा किसान सभा उन्हें खरीदकर किराये पर दे सकती है। इससे जमींदारको भी लाभ होगा और किसानोंको भी सहूलियत हो जायगी। ट्रेक्टरके समान कीमती मशीनका उपयोग बड़े जमींदार ही कर सकते हैं क्योंकि उससे वे ही लाभ उठा सकते हैं जिनके पास १०० एकड़से अधिक जमीन हो। इन सब औजारोंके सुधारे जानेका उचित प्रबन्ध कृषि-विभागको करना होगा।

भारतीय किसान खादके सम्बन्धमें भी बड़ी लापरवाही करते हैं। गोबरके कंडोंको जलानेसे देशका बहुत नुकसान होता है। यदि इस गोबरका खेतोंमें खादके लिए उपयोग किया जाय तो करोड़ों मन अधिक उपज पैदा हो। गोबरके कण्डोंको जलानेके काममें लाये जानेका मुख्य कारण ईंधनकी महँगी और उसकी कमी है। पड़ती जमीनमें बबूल जैसे जल्दी बढ़नेवाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए। जङ्गल-विभागको भी जङ्गलोंमें ईंधनकी लकड़ीके लिए नये वृक्ष लगानेका प्रयत्न करना चाहिए। हमारी समझमें जब किसानोंको ईंधनके लिए लकड़ी मिलने लगेगी तब वे अधिक परिमाणमें अपने खेतोंमें खादके लिए गोबरका उपयोग करने लग जायँगे। खादके लिए गोबरको इस तरहसे रखना चाहिए कि उसमें बहुत कम हवा जा सके। नहीं तो बहुत हवाके लगनेसे अमोनिया गैस बनकर हवामें उड़ जावेगी। गोबरकी खाद खेतोंमें डालनेका उत्तम समय वर्षासे पहलेका है। उस समय खेतोंमें उसे डालकर भलीभाँति मिला

देना चाहिए। वर्षाका पानी पड़नेसे सब खाद गल कर मिल जायगी और उसके बाद यदि कोई फसल बोई जायगी तो बड़ी अच्छी उपज होगी। गोबर और कूड़े-कचरेको खादके रूपमें उपयोग करनेका एक उत्तम तरीका दूसरे परिशिष्टमें बतलाया गया है। गरीबसे गरीब किसान भी उस तरीकेसे खाद देकर, बिना एक भी रुपया खर्च किये, थोड़ेसे परिश्रमसे अपनी उपज बहुत बढ़ा सकता है। आशा है हमारे किसान भाई उससे लाभ उठावेंगे।

गोबर और कूड़े कचरेके अतिरिक्त और भी कई तरहके खाद-उपयोगमें लाये जा सकते हैं। उनमें सबसे उत्तम शोरा (Sodium nitrate) है जिसके उपयोगसे किसान बहुत लाभ उठा सकते हैं। हड्डियोंका चूरा और राख भी उपयोगमें लायी जा सकती है। परन्तु यह सारी खाद देनेके पहले जमीनकी जाँच कर लेनी बहुत आवश्यक है। जमीनमें वही चीज डालना चाहिए जिसकी उसमें कमी हो और वह भी उचित परिमाणमें इसके लिए कृषि-विभागके कर्मचारियोंका यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्रत्येक गाँवमें जा जाकर किसानोंकी जमीन की जाँच करें और उनको उचित खादका उपयोग करनेके सम्बन्धमें सलाह देते रहें। हमको यह विश्वास है कि उचित खादके उपयोगसे भूमिकी उपज आसानीसे दुगुनी या तिगुनी बढ़ाई जा सकती है।

यहाँ कृषिसुधार योजनाको समाप्त करनेके पहले पाठकोंको हम फिरसे यह याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय किसानोंको सब असुविधाएं एक साथ उठानी पड़ती हैं, इसलिए उनको एक साथ दूर करनेका प्रयत्न दत्तचित्त होकर किया जाना चाहिए। हमने इस

पुस्तक द्वारा अपनी क्षुद्र-बुद्धिके अनुसार यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि वह किस तरहसे किया जा सकता है। इस योजनाके भिन्न-भिन्न भागोंका अन्य भागोंसे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि केवल उनका, दूसरोंसे अलग विचार किया जाना ठीक न होगा। हम पाठकोंसे अनुरोध करते हैं कि वे पूरी योजना पर एक साथ विचार करें। हम अगले अध्यायमें संपूर्ण योजनाका सारांश बतलाते हैं। यदि इस योजनाकी कुछ बातें अव्यवहारिक सिद्ध हों तो उस समय आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार भी हो सकता है। परन्तु हमारा यह पक्का विश्वास है कि यदि इस योजनाके अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो कुछ वर्षोंमें हमारे किसानोंकी आर्थिक दशा इतनी सुधर जायगी कि वे अन्य किसी देशके किसानोंसे किसी बातमें कम न रहेंगे।

बारहवां अध्याय

सारांश और उपसंहार

[कृषि-सुधारकी आवश्यकता; 'कृषक-हितैषी' विभागका कार्य-क्रम; राष्ट्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारोंकी जिम्मेदारी; शिक्षित जनताका उत्तरदायित्व; योजनाके कार्यान्वित होनेपर जमींदारोंकी और किसानोंकी दशा]

हमने गत २५ वर्षोंकी अनाजकी कमी और माँगका जो हिसाब लगाया है उससे मालूम हुआ है कि भारतमें प्रतिवर्ष अनाजकी कमी भयङ्कर परिणाममें रहती है। सुकालके दिनोंमें यह कमी करीब १७ करोड़ मनकी रहती है और अकालके समय इसका परिमाण ६८ करोड़ मन तक पहुँच जाता है। इस कमीके कारण हमारे देशके लगभग ७ करोड़ युवा नर नारियोंको आधा पेट भोजन पाकर ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अनाजकी कमीको दूर करनेका प्रश्न इस समय बहुतही महत्वका है। इसको हल करनेका मुख्य साधन है अनाजकी रफ्तनीको रोकना और देशमें अनाजकी उपजको बढ़ाना। केंद्रीय सरकारका पहला कर्तव्य यह होगा कि देशमें जब तक काफी परिमाणमें अन्नकी उपज न होने लग जाय तब तक देशके बाहर अनाज भेजे जानेकी सख्त मनाही कर दे। परन्तु हिसाब लगाकर हम यह भी बतला चुके हैं सिर्फ अनाजकी रफ्तनीको रोक देनेसे ही हमारा

काम न चलेगा। यदि बाहरी देशके साथ अनाजका व्यापार एकदम रोक दिया जाय—अन्नका एक दाना भी अन्य देशोंको न भेजा जाय—तो भी भारतवासियोंकी खूराकके लिये कई करोड़ मन अन्नको कमी बनी ही रहेगी। इसलिये अनाजकी रफ्तनीको रोकनेके साथ ही साथ देशमें अन्नकी उपज भी बढ़ानी होगी जिससे कि जितना खर्च है उतना अन्न मिल सके।

भारतीय किसानोंकी दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पहले उनकी दशा सुधारे बिना देशमें अनाजकी उपज बढ़ नहीं सकती। अतएव उनकी दशा सुधारनेके लिये सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें आजकल कौन कौन सी असुविधाएँ हैं। क्योंकि जबतक रोगका ठीक-ठीक निदान न हो लेगा तब तक अन्धाधुन्ध दवाओंका सेवन करनेसे रत्तीभर भी लाभ होनेकी आशा नहीं। हम देख चुके हैं कि भारतके अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं, उनका रहन-सहन बहुत ही नीचे दर्जे का है, और उनकी जमीन छोटे छोटे टुकड़ोंमें—दूर दूर पर बँटी हुई है। देशके कई भागोंमें सिंचाईके लिए उन्हें पानी भी नहीं मिलता। काफी परिमाणमें, मुनासिब ब्याजपर, उन्हें रुपये नहीं मिलते और वे दिनपर दिन कर्जके दलदलमें बुरी तरह फँसते जाते हैं। उत्तम बीज, सशक्त बैल, अच्छी खाद और औजारोंकी भी बहुत कमी है। गैर मौरूसी और शिकमी दर शिकमी किसानोंसे बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता है। शिक्षाका उनमें सर्वथा अभाव है और खासकर कृषि शिक्षा देनेका उनके लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं है। इन सारी असुविधाओंके कारण खेतीकी

उन्नति करना उनके लिए असम्भव कार्य हो गया है। इसमें विशेष-रूपसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसान भाइयोंको उपरोक्त सारी असुविधाओंका सामना एक साथ करना पड़ता है। इसलिए जबतक उनकी सारी असुविधाओंको एक साथ हटानेका प्रयत्न नहीं किया जाता तब तक उनकी दशा सुधारना सम्भव नहीं। केवल एक दो असुविधाओंको हटानेसे काम न चलेगा। अभीतक उनकी तमाम असुविधाओंको दूर करनेका प्रयत्न कभी किया भी नहीं गया। लेकिन इन सारी मुश्किलोंको एक साथ हटा देना कोई आसान काम नहीं है। किसान, राष्ट्रीय सरकार और शिक्षित जनता तीनों जब सम्मिलित रूपसे इसके लिये दृढ़ प्रयत्न करेंगे तब कहीं जाकर यह महत्कार्य सिद्ध होगा।

हम देख चुके हैं कि भारतीय किसान अपनी दशा सुधारनेके लिए अनिच्छुक नहीं हैं। संसारमें ऐसा कौन होगा जो अपना भला न चाहे? अपनी अपनी तरक्की सभी चाहते हैं और इसी कारण भारतके भी किसान अपनी उन्नतिकी आकांक्षा रखते हैं। उन्हें आवश्यक है केवल समुचित पथप्रदर्शन की और पर्याप्त सहायता तथा प्रेरणा की। हमें पूर्ण विश्वास है कि इच्छित सहायता मिलते ही वे अपनी दशा सुधारनेमें कोई बात उठा न रखेंगे।

कृषि-सुधारके लिए कार्य आरम्भ करनेके पहले हमारी समझमें प्रान्तीय सरकारको अपना यह ध्येय निश्चित करना होगा कि वह इस प्रकारसे प्रयत्न करे जिसमें अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षमें ही सब किसानोंकी सारी असुविधाएँ दूर हो जायँ और देशमें एक भी किसान

दीन-दुखी न रहे। यह ध्येय निश्चित करनेके बाद यदि सरकार ध्यान लगाकर नीचे लिखे अनुसार कार्य करेगी तो हमें विश्वास है कि किसानोंकी दशा शीघ्र सुधर जायगी और वे कृषि सुधार तथा देशकी उन्नतिमें अपने हिस्सेका कार्य कर सकेंगे।

सारी असुविधाओंको एक साथ हटानेके लिए एक विशेष विभाग स्थापित करना चाहिए। उसका नाम कृषक-हितैषी विभाग रक्खा जा सकता है। यह विभाग केन्द्रिय मन्त्रिमण्डलके किसी मन्त्रीके सुपुर्द रहेगा और प्रत्येक प्रान्तमें भी प्रन्तीय मन्त्रि-मण्डलके किसी सदस्यके अधीन रहेगा। इस कृषक-हितैषी विभागको निम्नलिखित काम सौंपे जाने चाहिये:—

(१) वह अपने सब काम करनेमें इस बातका ध्यान रक्खे कि सब किसानोंकी दशा ज्यादासे ज्यादा २० २५ वर्षके दर्मियान सुधर जानी चाहिए और इसी ध्येयपर लक्ष्य करके वह अपना कार्य करे।

(२) अपने मातहत चकबन्दीके अफसरों द्वारा वह प्रत्येक गाँवमें खेतोंकी चकबन्दी करानेमें किसानोंकी सहायता दे।

(३) अपने आबपाशी विभागसे ऐसा प्रयत्न करावे जिससे किसानोंको पानीकी कमी न रहे। कुएँ बनवानेके लिए आवश्यकतानुसार वह तकावी बँटवावे।

(४) किसी भी कारण यदि फसल मारी जाय अथवा कम उपज हो तो मालगुजारी किश्त अदा करनेकी मियाद बढ़ा दे अथवा जरूरत हो तो उचित परिमाणमें उसे मनसूख कर दे।

(५) किसानोंको ऋण मुक्त करनेके लिए ऋण-मुक्त अफसर द्वारा किसानोंको शीघ्र ऋणसे मुक्त करनेमें सहायता दे।

(६) अपने सहकारी विभाग द्वारा प्रत्येक गाँवमें सहकारीसाख समिति और सहकारी थोक अनाज बेचनेवाली समितियाँ स्थापित करावे और उनकी यथोचित देख-रेख करे।

(७) अपने कृषि विभाग द्वारा सब प्रकारके उत्तम बीज तैयार करावे और बोनेके समय उनको किसानोंमें उचित रीतिसे वितरण करानेका प्रयत्न करे। उसी समय बीजका मूल्य मिल सके तो ले ले, अन्यथा फसल तैयार होनेपर जितना अन्न बोनीके लिए दिया गया हो उससे कुछ अधिक मात्रामें ले ले। शर्त यह है कि अन्न उमदा छाँटकर लिया जाय जो बीजके काम आ सके।

(८) अपने कृषि विभाग द्वारा नये नये तरीकों, उपयुक्त खाद, और औजारोंका उपयोग करनेके लिए किसानोंको उत्साहित करे।

(९) अपने शिक्षा-विभाग द्वारा प्रत्येक गाँवमें नीचे लिखे ढंगकी प्रारम्भिक शालाएँ स्थापित करनेका प्रबन्ध करे और इन शालाओंके लिए शीघ्र अध्यापक तैयार करानेका भी प्रबन्ध करे।

अ—प्रत्येक ग्राम्य पाठशालामें वही शिक्षा दी जाय जो कि भविष्यमें विद्यार्थियोंके काम आवे।

ब—उसमें प्रायः ६ वर्ग (श्रेणियाँ) हों। किसानोंके लड़कोंको पाँचवें और छठे वर्गमें प्रयोगात्मक कृषि-शिक्षा अवश्य मिले। उनमें उन्हें कृषिके वे ही तरीके सिखलाये जायँ जिनका उपयोग करनेसे उन्हे प्रत्यक्ष लाभ हो।

ख—शिक्षकोंको उचित वेतन दिया जाय।

ङ—पाठशालाके विद्यार्थियोंको चर्खा कातना सिखलाया जाय।

क—धार्मिक और शारीरिक शिक्षा देनेका उचित प्रबन्ध हो।

ख—विद्यार्थियोंमें राष्ट्रीय भावोंकी जागृति की जाय।

ग—उनको यह बतलाया जाय कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और वे उनकी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं।

(१०) अपने पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रत्येक बड़े बड़े गाँवमें पशु चिकित्सा-शाला खोलनेका प्रबन्ध करे और किसानोंको उचित मूल्य पर उत्तम-उत्तम सांड़ तैयार करके दे।

(११) अपने मातहत सब विभागोंकी व्यवस्था इस तरहसे करे जिससे सभी अफसर अपना कार्य करते समय यह समझने लग जायँ कि वे जनताके नौकर हैं—उनके मालिक नहीं और रिश्वत-खोरीकी बिल्कुल जड़ उखाड़ दे।

(१२) किसी गाँवकी चकबन्दीके समय यदि किसान किसी अन्य शहरमें मजदूरी करनेके लिए जाना चाहें तो औद्योगिक विभागसे लिखा-पढ़ी करके उन्हें हर प्रकारसे सहायता दे।

कृषि-सुधारके सम्बन्धमें केंद्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी भी नीचे लिखे अनुसार होगी:—

(१) कृषक हितैषी विभागको स्थापित करे और उसमें आधुनिक कृषि-विभाग, आबपाशी विभाग, सहकारी विभाग, बन्दोबस्त विभाग, कृषि-शिक्षा विभाग, ग्राम्य सुधार विभाग और पशु-चिकित्सा विभागको संयुक्त कर दे।

(२) कृषक-हितैषी विभागमें अच्छे ईमानदार आदमियोंको नियुक्त करे और इस विभागको काफी परिमाणमें रुपये देनेको तैयार रहे। यह नहीं कि माँगा जावे हजार और दिया जावे पचास।

(३) किसान सम्बन्धी कानूनमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दे:—

अ—तमाम गैरमौरूसी किसानोंको तुरन्त मौरूसी हक दे दे।

ब—वाजिबुलअर्जसे जमींदारका रसद और बेगार लेनेका अधिकार खारिज कर दे।

स—बन्दोबस्तके समय मौरूसी किसानोंका जितना लगान पहले बढ़ता था उसका आधा ही बढ़ाया जाय और इस बढ़तीका सब भाग राष्ट्रीय सरकारको ही मिले। लगानकी मदसे जमींदारको आजकल जितनी आमदनी होती है वह उतनी ही रहने दी जाय।

ड—यदि जमींदार किसानोंकी उपज बढ़ानेके कार्यमें सहायता दे तो वह किसानो पर लगान बढ़ाये जानेके लिए राष्ट्रीय सरकारकी अदालतमें दरखास्त कर सके।

क—मौरूसी काश्तकारका शिकमी दर शिकमी काश्तकारसे मालगुजारी किश्तकी अपेक्षा दूनी रकमसे अधिक लगान लेना नाजायज समझा जाय।

ख—खेत यदि लगातार तीन वर्षतक किसी अन्य किसानको जोतनेके लिए दिया जाय तो उस परसे पुराने किसानका मौरूसी हक उठ जाय और नये किसानको, एक सालका अधिक लगान देने पर उस पर मौरूसी हक हासिल हो जाय। लेकिन नवालिग बच्चों और बेवा स्त्रियोंपर इस धाराका प्रयोग न हो सके।

(४) देशी उद्योग धन्धोंकी वृद्धि की जाय जिससे केवल खेतीपर निर्वाह करनेवाले मनुष्योंकी संख्या कम होने लगे।

(५) निम्न श्रेणियोंके कर्मचारियोंका वेतन बढ़ाया जाय और एक ऐसा विभाग स्थापित कर दिया जाय जो सरकारी नौकरोंके रिश्वत लेनेकी छान बीन करता रहे और रिश्वत लेनेवालोंको अदालतमे उचित दण्ड दिलावे।

(६) सभी ग्रामोंमें पञ्चायतें स्थापित करा दी जायँ और उन्हें छोटे छोटे दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे फैसला करनेका अधिकार हो।

(७) ऋण मुक्त करनेवाले अफसरों द्वारा ही महाजनोंका कर्ज वसूल होनेकी व्यवस्था की जाय।

(८) रैयतवारी भागोंमें तबतक मालगुजारी न बढ़ाई जाय जबतक मालगुजारीकी अन्य प्रान्तोंकी औसत वहाँकी मालगुजारीकी औसतके बराबर न हो जाय।

(९) जिन सिद्धान्तोंके आधारपर बन्दोबस्त होता है वे शीघ्र कानूनमें समाविष्ट कर दिये जायँ।

(१०) मालगुजारीका एक तिहाई हिस्सा जिला-बोर्डोंको प्रारम्भिक कृषि-शिक्षा प्रचारके लिये दिया जाय।

(११) सरकारी जङ्गलोंसे, अकालके समय, उचित शर्तोंपर किसानोंको घास दी जानेका प्रबन्ध हो।

(१२) प्रत्येक गाँवमें कमसे कम पाँच फी सैकड़ा जमीन चरागाहके लिये रखनेका प्रबन्ध हो।

(१३ गा वध कानूनन रोक दिया जाय।

(१४) जिन गाँवोंमें सड़कें न हो वहाँ सड़कोंका प्रबन्ध शीघ्र कर दिया जाय।

(१५) ऐसी शिक्षाके दिये जानेका प्रबन्ध हो जिससे कृषक हितैषी विभागके लिये सब प्रकारके कर्मचारी तैयार हो सकें।

(१६) देशमें जबतक अनाजकी उपज काफी परिमाणमें न हो तबतक अनाजकी रफ्तनीपर नियन्त्रण रक्खा जाय।

कृषि-सुधारके लिये शिक्षित जनताको भी नीचे लिखी जिम्मेदारियां उठानी होंगी :—

(१) सब स्थानोंमें ऐसी समितियाँ स्थापित की जायँ जिनका एकमात्र कर्त्तव्य कृषि सुधारमें सरकार और किसानोंको सब तरहसे सहायता पहुँचाना हो

(२) तीर्थ स्थानोंमें ऐसी सेवा समितियाँ स्थापित की जायँ जिनका कर्त्तव्य यात्रियोंको सब तरहसे सहायता पहुँचाना और व्याख्यान तथा पुस्तकों इत्यादिके द्वारा अपना सुखमय जीवन व्यतीत करनेका मार्ग उन्हें बताना हो।

(३) शिक्षित पुरुषोंको यथासम्भव देहातमें जाकर रहना और किसानोंकी हर तरहसे सहायता करनी चाहिये।

(४) देशके उद्योग-धन्धोंकी वृद्धिके लिये, जहाँतक हो सके देशी वस्तुओंका ही उपयोग किया जाय।

(५) जबतक अनाज काफी परिमाणमें देशमें पैदा न होने लगे तबतक उसको विदेशमें न भेजे जानेके लिये न बेचें।

(६) प्रत्येक गाँवमें कृषि सहकार-समितियोंको स्थापित करनेमें सहायता की जाय।

(७) गोशालाएँ स्थापित करें।

(८) गाँवमें कृषिकी शिक्षा देनेके लिए पाठशालाएँ खोलें और इस प्रकारकी शिक्षा देने के कार्यमें सरकारकी भी सहायता करें।

(९) राष्ट्रीय विद्यापीठोंको हर तरहकी सहायता दें।

(१०) सामाजिक रीति-रिवाजमें ऐसे परिवर्त्तन करानेका प्रयत्न करें जिससे विवाह तथा अन्य उत्सवमें किसीको अपनी हैसियतसे अधिक खर्च करनेके लिये बाधित न होना पड़े।

हम यह जानते हैं कि यदि इस योजनाके अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो जमींदारोंको बेदखलीके अधिकारसे हाथ धोना पड़ेगा, इस कारण वे काश्तकारोंसे नजराना वसूल न कर सकेंगे। इसके सिवा किसानोंसे न वे बेगार ले सकेंगे और न रसद वगैरह ही ले सकेंगे। फिर बन्दोबस्तके समय उनके हिस्सेके लगानेमें भी इजाफा न किया जा सकेगा। इस तरह जब किसानोंपर अत्याचार करनेके तमाम सुभीते उनके हाथसे निकल जायँगे तब जमींदारके पास अपनी आमदनी बढ़ानेका एकमात्र साधन यही रह जायगा कि वह किसानोंको उपज बढ़ानेमें सहायता दे। वास्तवमें इसीमें उनका भला है। यदि जमींदार चाहे तो किसानोंकी मदद करके अपनी आमदनी बहुत कुछ बढ़ा सकता है। यदि वह किसानोंको किसान-सभा स्थापित करनेमें सहायता देगा तो गाँवके सभी लोग उससे प्रेम करने लगेंगे। इसी ढंगपर उसे गाँवकी पञ्चायतमें भी जगह मिल जायगी। वह अपने गाँवमें आसपासोंके

सुभीतेके लिए, कुआं, तालाब आदि खुदवाकर अपने लिए लगानमें इजाफा करवा सकेगा। वह कई तरहकी कीमती मशीनें—जैसे भूसा उड़ानेकी और करबी काटनेकी मशीन, ट्रैक्टर आदि रखे और उन्हें किरायेपर किसानोंको दे। इसमें उसे खासा लाभ हो सकेगा। वह कृषि-विभागसे उत्तम बीज लेकर, बोनेके समय, किसानोंको वाजिब शर्त्तोंपर दे सकेगा। यदि वह अपने गाँवका सब काम कारिन्दोंके भरोसे न छोड़कर स्वयं देखरेख करे या खेती करना आरम्भ कर दे तो उसे हानि तो हो ही नहीं सकती। कुछ लाभ तो उसे अवश्य होगा। परन्तु उसे आजकलके समान किसानोंपर अत्याचार कर कई तरहके नाजायज कर वसूल करनेका मौका न रहेगा।

इस योजनाके अनुसार कार्य होनेपर किसानोंकी परिस्थिति में भी बहुत कुछ अन्तर पड़ जायगा। यदि वे अपने खेतोंका एक चकमें कराना चाहें तो चकबन्दी अफसर द्वारा वैसा करा सकेंगे। मौरूसी हक मिल जानेके कारण उनकी बेदखली न हो सकेगी। रसद और बेगारसे भी उनका पिण्ड छूट जायगा। वे एकत्रित प्रयत्नसे किसान-सभा द्वारा जमींदारके अत्याचारोंसे अपना बचाव कर सकेंगे। ऋण-मोचक अफसर द्वारा वे वाजिब शर्तोंपर अपने कर्जसे भी मुक्त हो सकेंगे। प्रत्येक गाँवमें सहकारीसाख-समिति स्थापित हो जायगी। सहकारी-थोक समिति द्वारा वे अपना गल्ला वाजिब कीमतपर बेच सकेंगे। कृषि-विभागके अफसरों द्वारा वे अपने खेतकी जमीनकी जाँच कराकर यह मालूम कर सकेंगे कि किस खादकी जरूरत है और कहाँसे मिल सकती है। उनके गाँवमें उनकी आँखोंके सामने, कृषि-विभागके अफसरकी देख रेखमें किसी

किसान द्वारा नये तरीकोंसे खेती कराई जायगी। इससे वे नये तरीकों की उपयोगिता और लाभको भली-भाँति समझ जायँगे और तब वे स्वयं उनका उपयोग करने लगेंगे। सरकारी आबपाशी विभाग द्वारा उनकी पानीकी कमीको हटानेका प्रयत्न किया जायगा। शिकमी दर शिकमी किसानसे उतना ही लगान लिया जायगा जो कि मालगुजारी किसानसे अधिक यानी तिगुना चौगुना न होगा। छोटे छोटे दिवानी और फौजदारीके मामलोंका फैसला वे अपने गाँवकी पंचायत द्वारा करा सकेंगे।

साख समितियों द्वारा उनको कम सूदपर काफी परिमाणमें कर्ज मिलने लगेगा। कृषि विभाग और जमींदार द्वारा उन्हें उत्तम बीज मिलने लगेगा। चरागाहके लिये हर मौजेमें काफी जमीन छोड़ी जाने लगेगी और उनके लड़कोंके लिये गांवमें निःशुल्क उचित कृषि शिक्षा मिलनेका पूरा प्रबन्ध हो जायगा। इस प्रकार कृषि-सुधारके लिए वे जो जो कार्य करेंगे, उनमें उन्हें देशकी सरकार, शिक्षित जनता और जमींदारसे सब तरहकी सहायता मिलेगी और हमको पूरा भरोसा है कि इन दशाओंमें हमारे किसान भाई अपने खेतोंको उपज बढ़ानेक प्रयत्न करनेमें कोई बात उठा न रखेंगे। उनकी गरीबी शीघ्र दूर हो जायगी और तब वे भारतको समृद्धिशाली बनानेमें और उन्नत करनेमें अपना यथोचित भाग ले सकेंगे। सर्वत्र सुख और आनन्दका साम्राज्य हो जायगा, अकाल कहीं नामको भी न रह जायगा और कोई-भी मनुष्य भूखा न रहेगा।

हम यह जानते हैं कि इस योजनाको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए सरकारको कई करोड़का खर्च प्रति वर्ष करना होगा। परन्तु

स्वराज्य स्थापित हो जाने पर खर्चके लिए रुपयोंकी तंगी न रहेगी। फौजी खर्चकी मदमे काट-छाँट करने पर बहुत कुछ बचत हो सकेगी। यद्यपि निम्न श्रेणीके कर्मचारियोंका वेतन बढ़ जायगा, किन्तु ऊँचे दर्जेके कर्मचारियोंका वेतन घट जायगा। अतएव इससे भी कुछ बचत होगी। आयात मालपर कर बढ़ानेके लिए अभी बहुत कुछ गुंजायश है, इससे कई करोड़की आमदनी बढ़ाई जा सकेगी और देशके उद्योग-धन्धोंकी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त और भी नये-नये टैक्स लगाये जा सकेंगे। इतने पर भी यदि कमी रहेगी तो देशमें करोड़ोंका कर्ज लिया जा सकेगा। इसलिए हम यह समझते हैं कि धन की कमीके कारण कृषि सुधार कार्य बहुत दिनोंतक न रुका रहेगा।

अन्तमें जगन्नायक परमेश्वरसे सविनय निवेदन है कि वह हमारे किसान भाइयोंको अपनी उन्नति करने योग्य शक्ति दे और सर्वसाधारणको ऐसी सुमति दे जिससे कि वे कृषिसुधार कार्यमें उनकी पूरी-पूरी सहायता कर सकें।

परिशिष्ट (१)

अनाजकी मांग और पूर्ति

प्रथम अध्यायमें यह कहा गया था कि परिशिष्ट (१) में यह हिसाब लगाया जायगा कि प्रति वर्ष कितना अन्न उपजता है, उसमेंसे अन्य देशोंको निर्यात् किये जानेके बाद कितना देशमें बच रहता है, उस बचे हुए अन्नमेंसे भी कितना जानवरोंपर खर्च हो जाता, कितना बीज रूपमें रक्खा जाता और उसके बाद कितना अनाज मनुष्योंके खानेके लिये रह जाता है। अतः अब हम यहाँ उन्हीं सब बातोंका हिसाब लगाते हैं। इसके पहले हमको यह जान लेना अति आवश्यक है कि प्रति वर्ष जन संख्याके अनुसार कुल कितने अनाजकी आवश्यकता पड़ती है—क्योंकि बिना इस आवश्यकता अर्थात् मांगका अन्दाजा किये हम यह नहीं जान सकते कि कितने अन्नकी अमुक वर्षमें कमी हुई। अतएव अब पहिले हम कुल माँग या आवश्यकता का ही अन्दाजा लगानेका प्रयत्न करते हैं। सारे देशकी जन संख्याके लिए अमुक वर्षमें कुल कितने अन्नकी आवश्यकता थी—यह जाननेके लिए हमको यह भी मालूम करना चाहिये कि प्रति व्यक्तिके पीछे कितने अनाजकी आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि जेलों और अस्पतालोंमें व्यक्तियोंको उतना ही अन्न दिया जाता है जितना कि उनके साधारण जीवन निर्वाहके लिये आवश्यक समझा जाता है। अर्थात् वह खाना उतना ही होता है कि

जिससे वह अपना केवल जीवन निर्वाह ही कर सकते हैं यानी वह मात्रा उनके जीवित रहनेतकके लिए ही आवश्यक है।

इसी प्रकार अकालके समय सरकारकी ओरसे जो काम खोले जाते हैं वहाँ काम करनेवालोंको उतना ही वेतन दिया जाता है जिससे वे केवल अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर सकें। संयुक्त प्रदेश, पञ्जाब, बङ्गाल, बम्बई और मद्रास अकाल नियमों (Famine Codes) में यह मिहनताना इस प्रकार लिखा हुआ है।

उन मनुष्योंके लिये जो मजदूरी करते हैं:—

मिट्टी खोदनेवाले	१८	छटाँक	अनाज
सामान ढोनेवाले	१४	"	"
मिहनत करनेवाले बालक	१०	"	"

काम न कर सकने योग्य मनुष्योंके लिये:—

युवा पुरुष	१२	छटाँक	अनाज
युवती स्त्रियाँ	१०	"	"
बालक १०—१४, वर्ष	८	"	"
" ७—१० "	६	"	"
" ७ से नीचे	४	"	"
गोदके बच्चोंके लिये (बालककी माँको)	३	"	"

संयुक्त प्रदेश, पञ्जाब और बम्बईके अकाल नियमोंमें यह भी लिखा है कि यदि पका पकाया अन्न मनुष्योंको दिया जाय तो नमक, मसाला, तेल, लकड़ी इत्यादिके एवजमें कुछ अन्न कम भी कर लेना

चाहिये। बंगालके फेमिन कोडमें लिखा है कि काम करनेवाले और काम न करनेवाले युवा मनुष्योंके हिस्सेमेंसे २ छटाँक और १४ से ७ वर्ष तकके बालकोंके हिस्सेमेंसे १ छटाँक अन्न, पूर्वोक्त वस्तुओंके एवजमें कम कर लेना चाहिये। इसलिए यदि पका-पकाया भोजन दिया गया तो उम्रके लिहाजसे वह इस परिमाणमें दिया जायगा।

उम्र (वर्ष)	अन्नका परिमाण (छटाँकोंमें)
० से १	—
१ से २	३ (बालककी माँ को)
२ से ५	४
५ से १०	५
१० से १५	७ से ८ तक
१५ से ५० (मर्द)	१० से १६ तक
१५ से ५० (औरत)	८ से १२ तक
५० से ऊपर	—

मध्यप्रदेशकी सन् १८९६ की अकाल नियमावलीमें. अन्नका परिमाण इस प्रकार निर्दिष्ट है :—

उम्र (वर्ष)	भोजनका परिमाण	
१ से २	—	छटांक
२ से ५	३॥	,,
५ से १०	७	,,
१० से १५	१०॥	,,

१५ से ५० (मर्द)	१४	"
१५ से ५० (औरत)	१२	"
५० से ऊपर	—	"

संयुक्त प्रान्तकी सन् १९२७ की जेल मेन्युअलमें भी इसी प्रकार अन्नके परिमाणका उल्लेख है। यहाँके जेल मेन्युअलमें रोगी कैदियोंको अन्न किस मात्रामें दिया जाता है उसका भी लेखा है—यह सब नीचे लिखे अनुसार है:—

(१) काम करनेवाले प्रौढ़ पुरुषोंको	१४ छटाँक
(२) काम करनेवाली प्रौढ़ स्त्रियोंको	१२ "
(३) काम न करनेवालोंके लिये	१० "
(४) ३ सालके ऊपरके बच्चोंको	६ "

इसके अतिरिक्त ये चीजें सभीको और भी मिलती हैं:—

दाल	१ छटाँक
साग	४ "
तेल	४।२५ "
मिर्चा	१।५० "
हल्दी	१।५० "
नमक	१।६ "

परन्तु स्त्रियाँ जिनको अपने बच्चोंका पालन करना पड़ता है इतना और पाती हैं :—

गेहूँका आँटा	२ छटांक
घी	१।२ "

ऊपर दिये हुये परिमाण तो काम करनेवालोंके लिये हैं परन्तु जो बीमार होते हैं उनके लिए परिमाण कुछ भिन्न हैं। बीमार मनुष्योंमेंसे किसीको केवल दूध दिया जाता है, किसीको साबूदाना तथा दूध और किसीको दूध और चावल। लेकिन जिन मनुष्योंको दाल और चावल मिलता है उनको ६ छटांक चावल और २ छटांक दाल। जिन्हें रोटी दी जाती है उन्हें १० छटांक गेहूँका आँटा और १ छटाँक दालके अलावा नीचे लिखी वस्तुयें और भी मिलती हैं:—

घी	१।१२ छटांक
साग	४ ”
तेल	४।२५ ”
मिर्चा	१.५० ”
हल्दी	१।५० ”
नमक	१।६ ”

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न परिमाण बतलाये गये हैं, अतः हम उन सबका मिलान करके ही अपने प्रयोजन के निमित्त परिमाण निर्धारित कर सकते हैं। मिलानके लिये उन सब परिमाणों को हम कोष्ठक नं० १५ में देते हैं—

कोष्ठक १५

(छटाकोंमें)

उम्र (वर्षोंमें)	मजदूरी फेमिन कोडोंसे	पके पकाये भोजनका परिमाण	मध्य प्रदेश के फेमिन कोडमे भोजनका परिमाण	संयुक्त प्रान्त के जेल मेन्यु-अलमें भोजन का परिमाण	रोगियोंको दिया जानेवाले भोजनका परिमाण
१ से २	३	३	—	२	—
२ से ५	४	४	३॥	२ से ७	—
५ से १०	६	५	७	७	—
१० से १५	८ से १०	७ से ८	१०॥	११	८ से ११
१५ से ५० (मर्द)	१२ से १८	१० से १६	१४	१५	८ से ११
१५० से ५० (औरत)	१० से १४	८ से १२	१२	१३	

पिछले कोष्ठकमें भोजन देनेके जो विभिन्न परिमाण बताये गये हैं उनका आपसमें मिलान करके हमने अपने हिसाबके लिये अवस्थाके अनुसार भोजनका परिणाम नीचे लिखे अनुसार लेना ठीक समझा है।

उम्र (वर्ष)	प्रति दिन भोजनका परिमाण छटांकोंमें
१ से २	२॥
२ से ५	४
५ से १०	६
१० से १५	८
१५ से ५० (मर्द)	१४
१५ से ५० (औरत)	१२
५० से ऊपर	१०

भारत जैसे गरीब देशमें लोगोंको मुख्यकर रूखा सूखा ही अन्न खानेको मिलता है। अतएव यह सम्भव हो सकता है कि उनके लिये १४ छटांककी मात्रा कम हो और उससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक सुरक्षित न रख सकें। हमारे किसानोंको कठिनसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है—दिन भरके अविरल परिश्रमके बाद वे क्षुधातुर हो जाते हैं और ऐसी दशामें वे १ सेर तक खा लेते हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ हमको एक बात और ध्यानमें रखनी चाहिये और वह यह है कि जो व्यक्ति रोगी रहते हैं वे कदापि १४ छटांक नहीं खा सकते, इस प्रकार मांसाहारियोंके लिये भी कहा जा सकता है कि वे भी अन्न कुछ कम ही खाते होंगे। इसलिये १४ छटांकका परिमाण जो हमने लिया है

बहुत समझ-बूझ कर लिया है। इस हिसाबमें अगर कोई गलती भी हो तो अन्तिम परिमाण लगभग वही रहेगा। उसमें कोई विशेष परिवर्त्तन न होगा। अतः हमने जान-बूझकर १४ छटांकके परिमाणसे हिसाब लगानेका निश्चय किया है।

उम्रके अनुसार प्रति मनुष्यके लिये अन्नकी दैनिक आवश्यकताका परिमाण निकालनेके उपरान्त अब हमें यह जानना चाहिये कि अवस्था-के लिहाजसे ब्रिटिश भारतकी मनुष्य संख्या कितनी है। सन् १९११ की जन-संख्याकी गणनाकी रिपोर्टके अनुसार यह संख्या इस प्रकार थी।

उम्र (वर्षोंमें)	मनुष्य संख्या
० से १	८० लाख
१ से २	४० ,,
२ से ५	२१२ ,,
५ से १०	३४५ ,,
१० से १५	२७० ,,
१५ से ५० (मर्द)	६१० ,,
१५ से ५० (औरत)	६०६ ,,
५० से ऊपर	२८० ,,

अवस्थाके अनुसार मनुष्य-संख्या और अनाजकी आवश्यकताका परिमाण जान लेनेपर समूचे ब्रिटिश भारतके अनाजकी वार्षिक आव-श्यकताके परिमाणका अन्दाजा लगाना बहुत सरल है। यह हिसाब सन् १९११-१२ के लिये अगले पृष्ठके कोष्ठकमें लगाया गया है।

कोष्ठक (१६)

उम्र (वर्षों में)	मनुष्य संख्या (लाख)	अन्नका परिमाण प्रति दिन के लिये (छटाकोंमें)	अनाज की आवश्यकता	
० से १	८०	—	—	मन
१ से २	४०	२॥	१५६२५	,,
२ से ५	२१२	४	१३२५००	,,
५ से १०	३४५	६	३२३४३७	,,
१०से १५	२७०	८	३३७५००	,,
१५से ५० (मर्द)	६१०	१४	१३३४३७५	,,
१५से ५० (औरत	६०६	१२	११३६२५०	,,
५०से ऊपर	२८०	१०	४३७५००	,,
प्रति दिनका कुल परिमाण			३७१७१८७	,,
प्रति वर्षका कुल परिमाण			१३५.७	करोड़ मन

इस कोष्ठकसे हमको यह मालूम होजाता है कि अगर जनताको पूरे पेट भोजन मिल जाय तो सन् १९११-१२ में कुल भारतवासियोंको १३५.७ करोड़ मन अनाज की आवश्यकता थी।

हम भली भाँति जानते हैं कि मनुष्य गणना प्रतिवर्ष नहीं होती है। प्रधानत: हमारे देशमें यह गणना प्रति १० वर्ष के बाद होती है। अब आगामी मनुष्य गणना सन् १९४१ में होगी। इसके पहिले सन् १९३१ में हुई थी और उसके भी पूर्व १९२१ और जैसा कहा जा चुका है, १९११ में हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इस २५ वर्षके समयमें हमको तीन मनुष्यगणनाओंका लेखा मिलता है। अर्थात् सन् १९११, १९२१ और १९३१। सन् १९४१ की जन संख्याके सम्बन्धमें अनेक प्रकारके अनुमान किये जाते हैं और परिणाम यह निकाला जाता है कि जन-संख्या लगभग ४० करोड़ होगी। परन्तु ऐसे विचारों और अटकल अन्दाजोंसे कोई सारगर्भित परिणाम नहीं निकाला जा सकता। अत: हम उपर्युक्त तीन जन संख्याओंकी सहायता लेंगे। जैसा अभी लिखा जा चुका है—जन-संख्या प्रतिवर्ष नहीं ली जाती—परन्तु हमको अनाजकी मांग प्रतिवर्ष ही निकालनी है। हम यह भी जानते हैं कि जन-संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। परन्तु एकही अनुपातमें नहीं; कभी अधिक और कभी कम। इसी प्रकार किन्हीं १० वर्षोंमें अधिक और किन्हीं १० वर्षोंमें कम बढ़ती है। अतः हम दोनों ही कालोंका, अर्थात् १९११ से १९२१ तक और १९२१ से १९३१ तक, प्रतिवर्ष जन-संख्याके बढ़नेका औसत अलग-अलग निकालते हैं। ये औसत त्रैराशिक रीतिसे बहुत सरलता पूर्वक निकाले जा सकते हैं

और इस प्रकार प्रतिवर्षकी जन-संख्या मालूम करके उस वर्षकी अनाजकी आवश्यकता या मांग मालूम की जा सकती है।

उदाहरणार्थ हम प्रथम १० वर्ष अर्थात् १९११—२१ का काल लेते हैं। सन् १९२१ की संख्या लगभग २४,७१,३८,३९६ मनुष्यों की थी। सन् १९११ में यही संख्या २४,३९,३३,१७८ थी। इस प्रकार दस वर्षोंमें ३२,०५,२१८ व्यक्तियोंकी वृद्धि हुई। इसका औसत १.३ प्रति हजार प्रति वर्ष हुआ। इसी रीतिसे हम अगले दस वर्षका तथा उसके बादके वर्षोंका भी औसत निकाल सकते हैं। भिन्न-भिन्न वर्षोंके लिये मनुष्योंके लिये देश की कुल अनाजकी आवश्यकताके निकालनेके लिये हम यह मान लेंगे कि अनाजकी आवश्यकता या मांग प्रतिवर्ष उसी अनुपात में बढ़ी जिस अनुपातमें उसकी संख्या बढ़ी। इसके बाद सन् १९११—१२ की तथा उसके बादके वर्षोंकी माँगको उसी अनुपातसे बढ़ाकर हम प्रत्येक वर्षकी मांग निकाल सकते हैं—वह इस प्रकार है:—

कोष्ठक नं० (१७)

वर्ष	आवश्यकता (करोड़ मन)
१९११—१२	१३५.७
१९१२—१३	१३५.९
१९१३—१४	१३६.१
१९१४—१५	१३६.३
१९१५—१६	१३६.५

वर्ष	आवश्यकता (करोड़ मन)
१९१६—१७	१३६.७
१९१७—१८	१३६.९
१९१८—१९	१३७.१
१९१९—२०	१३७.३
१९२०—२१	१३७.५
१९२१—२२	१३८.१
१९२२—२३	१३८.७
१९२३—२४	१३९.३
१९२४—२५	१३९.९
१९२५—२६	१४०.५
१९२६—२७	१४१.१
१९२७—२८	१४१.७
१९२८—२९	१४२.३
१९२९—३०	१४२.९
१९३०—३१	१४३.५
१९३१—३२	१४४.१
१९३२—३३	१४४.७
१९३३—३४	१४५.३
१९३४—३५	१४५.९
१९३५—३६	१४६.५

मनुष्योंके लिये जब हमको अनाजकी आवश्यकता मालूम हो गई तो अब हम जानवरोंके लिये कितना अनाज दाना रूपमें दिया जाता है यह जाननेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु इसके पूर्व हमको दो बातोंका जानना अति आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम तो यह कि अमुक वर्षमें जानवरोंकी क्या संख्या थी और भिन्न भिन्न जानवरोंको कितना अनाज दाना रूपमें दिया जाता है। प्रत्येक प्रकारके जानवरको दाना समान रूपसे नहीं दिया जाता। बैलोंको किसी अन्य परिमाणमें तो गायों और भैंसों किसी अन्य ही परिमाण में इतना ही नहीं बल्कि दूध देनेवाली गायों तथा भैंसों का कुछ और ही परिमाण में दिया जाता है और बिना दूध देनेवाली गायों तथा भैंसोंको किसी अन्य ही परिमाण में। यही हाल छोटे तथा बड़े बैलोंके सम्बन्धमें है।

जब बैलोंको दाना दिया जाता है तब उसकी मात्रा अवश्य ही आध सेरसे अधिक रहती है। परन्तु यह मान लेना ठीक न होगा कि सभी बैलोंको बराबर दाना दिया जाता है। ऐसे बैलोंकी संख्या बहुत होगी जिन्हें दाना बिलकुल दिया ही नहीं जाता। इसलिये उनके सम्बन्धमें प्रतिदिन आध सेर अनाज दिये जानेका औसत मान लेना ठीक होगा। गायों और भैंसोंको, जब वे दूध नहीं देतीं तब प्रायः अनाज नहीं दिया जाता। जब वे दूध देने लगती है तभी उन्हें खली बिनौले वगैरह भी दिये जाते हैं। इसलिये उन गायोंके सम्बन्ध में जो दूध देती हैं और जिनकी संख्या अभी कुल संख्याकी आधीसे अधिक न होगी, प्रतिदिन आध सेर अनाज दिये जानेका औसत लगाना अधिक न होगा। दूधार भैंसोंको गायोंकी अपेक्षा अधिक

परिमाणमें दाना दिया जाता है। इसलिये उनके सम्बन्ध में एक सेर अनाज प्रतिदिन दिए जानेका औसत मान लिया गया है। घोड़ोंको दाना जरूर दिया जाता है। उसका परिमाण १॥ सेर प्रतिदिनके हिसाबसे कम नहीं हो सकता। इसलिये हमने अपने हिसाबमें वही औसत मान लेना ठीक समझा है।

अब हमको जानवरोंकी संख्या जाननी चाहिए। बैलों, गायों, भैंसों तथा घोड़ोंकी संख्या सरकारी रिपोर्ट Agricultural Statistics of India VOl. I में सन् १९११-१२ के लिए इस प्रकार दी है:—

जानवर	संख्या (लाखोंमें)
बैल	४६६
गाय	३६७
भैंस	११६
घोड़े	१९

ऊपर अनुमान किये हुये परिमाणोंके अनुसार इन जानवरोंके लिये सन् १६११-१२ की सालमें प्रतिदिन अन्नकी आवश्यकता इस प्रकार थी।

बैलोंके लिए	२३३ लाख सेर
गायोंके लिए	९२ ,, ,,
भैंसोंके लिए	६८ ,, ,,
घोड़ोंके लिए	२९ ,, ,,
मोजान	४२२ ,, ,,

वह माँग पूरे सालके लिये $\frac{४२२ \times ३६५}{४०}$ लाख मन या ३८.४ करोड़ मन थी। इसी प्रकार हम अन्य वर्षोंके लिए भी जानवरोंके लिए अनाजकी आवश्यकता परिमाण निकाल सकते हैं। वह इस प्रकार था।

कोष्ठक (१८)

१९११—१२	३८.४	करोड़	मन
१९१२—१३	३७.५	,,	,,
१९१३—१४	३८.२	,,	,,
१९१४—१५	३९.५	,,	,,
१९१५—१६	३९.८	,,	,,
१९१६—१७	३९.९	,,	,,
१९१७—१८	३९.६	,,	,,
१९१८—१९	३९.६	,,	,,
१९१९—२०	३९.३	,,	,,
१९२०—२१	३९.४	,,	,,
१९२१—२२	३९.४	,,	,,
१९२२—२३	३९.४	,,	,,
१९२३—२४	३९.४	,,	,,
१९२४—२५	४०.९	,,	,,
१९२५—२६	४०.९	,,	,,
१९२६—२७	४०.९	,,	,,

१९२७—२८	४०.९	,,	,,
१९२८—२९	४०.६	,,	,,
१९२९—३०	४१.६	,,	,,
१९३०—३१	४१.६	,,	,,
१९३१—३२	४१.६	,,	,,
१९३२—३३	४१.६	,,	,,
१९३३—३४	४१.६	,,	,,
१९३४—३५	४१.६	,,	,,
१९३५—३६	४१.६	,,	,,

जब हमको यह मालूम हो गया कि अनाजकी मनुष्योंके लिये तथा जानवरोंके लिए कितनी आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है तो अब हम यह जाननेका प्रयत्न करते हैं कि बीजमें कितना अनाज प्रतिवर्ष खर्च होता है। यह बात जाननेके लिये हमें फिर दो बातोंका जानना आवश्यक है।

(१) प्रतिवर्ष हरएक प्रकारकी फसल कितनी भूमिमें बोई जाती है।

(२) प्रत्येक प्रकारकी फसलके लिए किस हिसाबसे बीजकी आवश्यकता होती है। वह नीचे लिखे अनुसार है:—

फसल	प्रति एकड़ बीजकी मात्रा
चावल	१२ सेर
गेहूँ	२४ ,,
जौ	२० ,,

ज्वार	६ ,,
बाजरा	२ ,,
मकई	१० ,,
चना	१६ ,,
रगी	१२ ,,
अन्य प्रकारके अनाज	८ ,,

इसके बाद अब हमको यह जानना चाहिये कि कितनी भूमिमें हर साल खेती होती है और किस प्रकार की फसल कितनी भूमिमें थी। इसके लिए हमको सरकारी रिपोर्ट (Agri-Cultural Statistics of India) की ही सहायता लेनी पड़ेगी। उसमें इसका ब्योरा १९११-१२ के लिए इस प्रकार है:—

फसल	जमीन (लाख एकड़में)
चावल	७६६
गेहूँ	२५०
जौ	८४
ज्वार	१८४
बाजरा	१३१
मकई	५६
चना	१४१
रगी	४३
अन्य प्रकारके अनाज	२९०

जब हमको हरएक फसलके लिये बोये जानेवाली भूमिका क्षेत्रफल मालूम हो गया और बीजका हिसाब भी मालूम है तो कुल बीजकी आवश्यकता सरलतापूर्वक मालूम की जा सकती है। वह सन् १९११-१२ के लिए इस प्रकार थी:—

फसल	सन् १९११—१२ के लिए बीजकी आवश्यकता (लाख सेरोंमें)
चावल	९१९२
गेहूँ	६०००
जौ	१६८०
ज्वार	११०४
बाजरा	२६२
मकई	५६०
चना	२२५६
रगी	५१६
अन्य प्रकारके अनाज	२३६०
मीजान	२३९३०

$$\text{या} \quad \frac{२३९३०}{४०} \text{ लाखमन} = ५.८ \text{ करोड़ मन}$$

इसी प्रकार अन्य वर्षोंका हिसाब लगानेसे हमको परिणाम इस प्रकार मिलता है:—

कोष्ठक नं० (१९)

वर्ष	बीजकी आवश्यकता करोड़ मन
१९११—१२	५.८
१९१२—१३	५.७
१९१३—१४	५.४
१९१४—१५	६.१
१९१५—१६	६.०
१९१६—१७	६.२
१९१७—१८	६.२
१९१८—१९	५.३
१९१९—२०	६.०
१९२०—२१	५.५
१९२१—२२	४.६
१९२२—२३	६.१
१९२३—२४	५.६
१९२४—२५	६.१
१९२५—२६	६.४
१९२६—२७	६.०
१९२७—२८	५.९
१९२८—२९	६.४
१९२९—३०	५.९

वर्ष	बीजकी आवश्यकता करोड़ मन
१९३०—३१	६.१
१९३१—३२	६.२
१९३२—३३	६.१
१९३३—३४	६.३
१९३४—३५	६.१
१९३५—३६	६.१

इस प्रकार हमें अब निम्नलिखित तीन बातें मालूम हो गईं।

(१) भारत वासियोंको अपना स्वास्थ्य ठीक रखनेके लिए कितना अनाज चाहिए।

(२) गाय, बैल आदि जानवरोंको कितना अनाज दाना रूपमें दिया गया।

(३) बीजमें कितना खर्च किया गया।

इस तीनोंको जोड़ देनेसे अनाजकी वार्षिक माँगका परिमाण मालूम हो जाता है। (अध्याय १ पृष्ठ ४ और ५ देखिये।)

अतः अब कुल पूर्तिका अन्दाजा लगाना आवश्यक है। पूर्तिका अन्दाजा लगानेके लिए हमको ये बातें पहिले मालूम करनी चाहिये।

(१) भारतवर्षमें भिन्न अनाजोंकी उपज कितनी हुई।

(२) उस उपजका कितना भाग नष्ट हो गया और फिर कितना बचा।

(३) अन्य देशोंको भारतसे प्रतिवर्ष कितना अनाज निर्यात किया गया।

उपज मालूम करनेके लिए हमको एक और सरकारी रिपोर्ट (Estimates of Area and yield) की सहायता लेनी पड़ती है। इस रिपोर्टमें मुख्य मुख्य फसलोंका रकबा तथा उपज दी रहती है, परन्तु यह बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती। क्योंकि इसमें कहीं कहीं तो देशी राज्योंका व्योरा दिया होता है और कहीं कहीं नहीं। साथ ही कहीं कहीं रिपोर्ट अपूर्ण भी रहती है। इसके अतिरिक्त जैसा अभी लिखा जा चुका है इस रिपोर्टमें केवल थोड़ी ही फसलोंका जैसे—चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई तथा चना आदिका ही व्योरा रहता है। लेकिन फिर भी हमको इससे बहुत कुछ सहायता मिलती है। इस रिपोर्टमें जो रकबा दिया रहता है वह Agricultural Statistics of India में दिये हुए रकबेसे भिन्न रहता है। जैसे सन् १९२०—२१ में पहिली रिपोर्टके अनुसार जैसा हम पहिले लिख चुके हैं चावलकी फसलमें ७८१ लाख एकड़ भूमि थी परन्तु इस रिपोर्टके अनुसार रकबा ७६० लाख एकड़ होता है। पिछली रिपोर्ट (Agricultural Statistics) में उपज नहीं दी रहती परन्तु इस रिपोर्ट (Estimates of Area and Yield) में दी रहती है अतः हम त्रैराशिक लगाकर पिछली रिपोर्टमें दिये हुए रकबेके अनुसार उपज निकालते हैं। दूसरी रिपोर्ट (Area and Yield) में चावलकी उपज सन् १९२०—२१ के लिए २७७ लाख टन दी हुई है (१ टन = २७.२ मन)। अतः त्रैराशिक

नियमके अनुसार ७८१ लाख एकड़की उपज $\frac{७८१\times२७७}{७१०}$ लाख टन या ७५.१ करोड़ मन हुई। इसी रीतिसे हम अन्य फसलोंकी उपज भी मालूम कर सकते हैं तथा जोड़कर कुल उपज निकाल सकते हैं। परन्तु इतना जान लेने पर भी हमें कुछ और अनाजोंकी उपज इस रिपोर्टसे मालूम नहीं हो सकती। पीछे हम देख चुके हैं कि प्रति वर्ष अन्य प्रकारका अन्न कितने एकड़में बोया जाता है। अतः अब अगर यह मालूम हो जाय कि प्रति एकड़ इनकी कितनी उपज साधारणतः होती है तो काम बन सकता है। उक्त रिपोर्टसे हमको यह पता चलता है कि एक एकड़ भूमिमें ५७४ सेर रगी पैदा होती है। अतः हम भी यही आधार मान लेते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकारके अनाजोंके लिए हमने २५० सेर प्रति एकड़ उपज ही मानना उपयुक्त समझा है क्योंकि श्रीयुक्त एन० जी० मुकर्जीने भी अपनी पुस्तक (Hand booK of Agriculture) में इसी प्रकार हिसाब लगाया है। इस प्रकार गत २५ वर्षोंमें कुल उपज ऊपर कही हुई विधिसे निकालने पर नीचे लिखे अनुसार आती है।

कोष्ठक नं० (२०)

साल	उपज (करोड़ मन)
१९११—१२	१८५.४
१९१२—१३	१७२.५
१९१३—१४	१६१.७
१९१४—१५	१७१.५

जबसे फसल पकने लगती है और अनाज खाया जाने लगता है उसके बीचके समयमें कई तरहसे अनाज व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। कभी-कभी तो फसल—कुसमय पानी पड़नेसे, खेतमें या खलिहानमें ही सड़ जाती है। कभी-कभी खलिहानमें बहुत-सा अनाज और कई तरहसे खराब हो जाता है। पशुपक्षी बहुत-सा अनाज खा जाते हैं। कीड़े भी बहुतसे अनाज नष्ट कर देते हैं। जब अनाज भरकर या बोराबन्दी करके रख लिया जाता है तब चूहे, फूस इत्यादिके भण्डारे का तो पूछना ही क्या है, मनमाना अनाज खाते हैं। अनाज खाने योग्य बनानेमें छिलका, भूसी वगैरह निकालनेमें भी कुछ भाग नष्ट हो जाता है और उसे साफ करने या बीननेमें तथा छाननेमें भी यही हाल होता है। खाना-पकानेमें भी कभी कभी नुकसान हो जाता है और विवाह एवं अन्य उत्सवोंमें पका-पकाया बहुत-सा अन्न व्यर्थ नष्ट जाता है। कभी बाढ़ आनेपर, कभी अग्नि-प्रकोपसे या नावों इत्यादिके डूबनेसे भी बहुत-सा अनाज नष्ट हो जाता है। कुछ अन्न तोता आदि पक्षियोंके खिलानेमें भी खर्च होता है। यह सब सोचकर हमने उपज के दसवें भागको इस प्रकार नष्ट होनेकी मदमें डाल देना उचित समझा है। असलमें इससे अधिक ही नष्ट होता होगा। पिछले कोष्ठक में दी हुई उपजसे १० फी सैकड़ा भाग निकाल लेने पर नीचे लिखे अनुसार उपज रह जाती है:—

कोष्ठक नं० (२१)

१९११—१२	१६६.९ करोड़ मन
१९१२—१३	१५५.३ ,, ,,

१९१३—१४	१४५.५ करोड़ मन
१९१४—१५	१५४.४ ,, ,,
१९१५—१६	१६४.७ ,, ,,
१९१६—१७	१७०.३ ,, ,,
१९१७—१८	१६६.७ ,, ,,
१९१८—१९	१२१.७ ,, ,,
१९१९—२०	१६७.१ ,, ,,
१९२०—२१	१३०.२ ,, ,,
१९२१—२२	१६५.० ,, ,,
१९२२—२३	१६४.९ ,, ,,
१९२३—२४	१४५.९ ,, ,,
१९२४—२५	१४८.९ ,, ,,
१९२५—२६	१४४.६ ,, ,,
१९२६—२७	१४६.५ ,, ,,
१९२७—२८	१३६.३ ,, ,,
१९२८—२९	१४६.३ ,, ,,
१९२९—३०	१५३.३ ,, ,,
१९३०—३१	१५५.१ ,, ,,
१९३१—३२	१५८.० ,, ,,
१९३२—३३	१५१.७ ,, ,,
१९३३—३४	१५०.० ,, ,,
१९३४—३५	१४८.८ ,, ,,
१९३५—३६	१४२.० ,, ,,

कुल उपज मालूम करनेके उपरान्त हम भारतके अन्य देशोंको भेजे हुए अन्नका हिसाब लगाते हैं। यह हमको सरकारी रिपोर्ट (Trade Review) में इस प्रकार मिलता है :—

कोष्ठक नं० (२२)

वर्ष	निर्यात् (करोड़ मन)
१९११—१२	१३.९
१९१२—१३	१५.०
१९१३—१४	११.३
१९१४—१५	६ ९
१९१५—१६	६.५
१९१६—१७	७.९
१९१७—१८	१२.३
१९१८—१९	८.७
१९१९—२०	१.९
१९२०—२१	४.१
१९२१—२२	४.५
१९२२—२३	७.१
१९२३—२४	९.३
१९२४—२५	८.९
१९२५—२६	८.४
१९२६—२७	६.६

वर्ष	निर्यात् (करोड़ मन)
१९२७—२८	७.६
१९२८—२९	६.३
१९२९—३०	६.८
१९३०—३१	७.१
१९३१—३२	७.१
१९३२—३३	५.६
१९३३—३४	५.१
१९३४—३५	४.८
१९३५—३६	४.१

ये संख्यायें भारतकी वार्षिक उपजमें घटा देने पर भारतके अनाजकी वार्षिक पूर्ति मालूम हो जाती है। (अध्याय १ पृष्ठ ६ और ७ देखिये)

परिशिष्ट [२]

——:❀:——

खादका महत्व और उपयोग

भारत कृषि-प्रधान देश है। यहाँके करीब ७० फी सैकड़ा निवासी अपना जीवन-निर्वाह खेती द्वारा ही करते हैं। परन्तु कई कारणोंसे कृषकोंकी दशा आजकल बहुत खराब हो गई है और दिन पर दिन वह अधिक खराब होती जा रही है। दिन रात कठिन परिश्रम करनेपर भी उनको रूखा सूखा भर पेट भोजन नहीं मिल पाता। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, उनको कई असुविधाओंका एक साथ सामना करना पड़ता है। वे बहुत गरीब हैं। उनका रहन सहन बहुत नीचे दर्जेका है। उनके खेत प्रायः छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूर दूरपर बँटे हुए रहते हैं। उनसे अत्यधिक सूद और लगान वसूल किया जाता है। बीचके दलाल लोग उनका बहुत सा मुनाफा हड़प कर जाते हैं। उनमें विद्याका अभाव है और अपनी अज्ञानताके कारण वे जहाँ जाते हैं वहीं ठगे जाते हैं। उनकी इन सब असुविधाओंको बिना हटाये उनकी आर्थिक दशा सुधारना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। किसान हमारे राष्ट्रके मुख्य अङ्ग हैं। इसलिये जबतक इनकी दशा नहीं सुधरती तबतक देशकी उन्नति भी नहीं हो सकती। उनकी दशा स्थायीरूपसे शीघ्र सुधारनेके लिये उनकी सब असुविधाओंका एक साथ हटाना कोई सरल काम नहीं है। प्रत्येक देश-हितैषी सज्जनको

इस जटिल प्रश्नपर खूब विचार करना चाहिये और दत्तचित्त होकर अपने तन, मन, धनसे किसानोंकी दशा शीघ्र सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये।

हिसाब लगानेसे मालूम हुआ कि देशमें अनाजकी भयङ्कर कमी प्रतिवर्ष रहती है। इस कमीके कारण हमारे देशके प्रायः दो-तिहाई युवा मनुष्योंको आधा पेट भोजन पाकरही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस अनाजकी कमीको पूरी करनेके लिये देशमें अनाजकी उपज बढ़ाना बहुत आवश्यक है। प्रायः सब अनाजोंकी हमारी फी एकड़ उपज अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत कम है। पर हमारी जमीन खराब नहीं है; क्योंकि कृषि-विभागके अफसर उसी जमीनपर नये तरीकोंसे खेती करके दूनी तिगुनी उपज पैदा कर लेते हैं। इसलिये प्रत्येक अनाजकी फी एकड़ उपज बढ़नेकी अभी बहुत गुंजायश है। परन्तु उपज बढ़ानेके लिये भी हमको किसानोंकी आर्थिक दशा सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उनकी दशा सुधारे और बिना उनको उचित प्रोत्साहन दिये उनसे नये तरीकोंसे खेती करानेकी आशा नहीं की जा सकती। यह मानते हुए कि बिना सब असुविधाओंको एक साथ हटाये किसानोंकी दशा स्थायी रूपसे नहीं सुधर सकती, हम यह समझते हैं कि यदि हमारे किसान भाई अपने गोबर, कूड़ा, कचरा, राख इत्यादि वस्तुओंका खादके रूपमें उचित रीतिसे उपयोग करें— जिसका करना इस आधुनिक दशामें भी कठिन नहीं है तो वे उपज आसानीसे बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं और अपने लाभके साथ-साथ देशको भी फायदा पहुँचा सकते हैं।

इस परिशिष्टमें खादका महत्व बतलाते हुए हम पाठकोंको गोबर, कूड़ा, कचरा, राख इत्यादि वस्तुओंका खादके रूपमें उपयोग करनेका एक ऐसा अनुभवसिद्ध तरीका बतलावेंगे जिसके अनुसार खाद देनेसे कई वर्षोंतक उपज बढ़ जाती है और जिसका उपयोग कर गरीबसे गरीब किसान भी अपने आपको लाभ पहुँचा सकता है।

संसारके सभ्य देशोंके किसानोंने नये तरीकोंसे खेती करके तथा उत्तम और काफी परिमाणमें खाद देकर गत १०-१५ वर्षोंके अन्दर अपनी उपज दूनीसे अधिक बढ़ा ली है। भारतके किसान जब रोटीके टुकड़ोंके लिये मोहताज हो रहे हैं तब पाश्चात्य देशोंके किसान माला-माल हो रहे हैं। कीटिङ्ग साहबने—जो कि १४ वर्षों तक बम्बई प्रान्त-के कृषि विभागके डायरेक्टर थे—इङ्गलैण्ड, फ्रांस और जर्मनीके विशे-षज्ञोंसे यह दरयाफ्त किया कि उनके देशकी उपजकी बढ़ती भिन्न भिन्न तरीकोंसे कितनी फी सैकड़ा हुई। उनको जो कुछ उत्तर मिला उसका सारांश अगले पृष्ठपर दिया जाता है:—

कोष्ठक नं० (२३)

	उपजकी वृद्धि फी सैकड़ा		
	इङ्गलैण्डमें	फ्रांसमें	जर्मनीमें
१—उत्तम और अधिक खाद देनेसे	बहुत कुछ	५० से ७०	५०
२—नये तरीकोंसे खेती करनेसे	सबसे अधिक	१५ से २०	२५
३—उत्तम बीजका उपयोग करनेसे	१०	५ से २०	१५

फ्रांस और जर्मनीमें ५० फी सैकड़ा उपजकी वृद्धि उत्तम और

अधिक खाद देनेसे हुई है, और इङ्गलैण्डकी उपजकी वृद्धि भी बहुत कुछ उसी कारणसे हुई है। इससे खादकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। बम्बई प्रान्तके कृषिक्षेत्रोंसे जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार-पर कीटिंग साहब अपनी पुस्तक (Agricultural Progress in Western India.) 'एग्रिकल्चरल प्रोग्रेस इन वेस्टर्न इण्डिया' में यह बतलाते हैं कि सूरत, जलगांव, पूना और धारवाड़ जिलोंमें नीचे लिखे तरीकोंसे फी सैकड़ा कितनी उपजकी वृद्धि आजकल हो सकती है:—

कोष्ठक नं० (२४)

	उपजकी वृद्धि फी सैकड़ा			
	सूरत	जलगांव	पूना	धारवाड़
खादसे—	३०	३०	३०	३०
नये तरीकोंसे खेती करनेसे:—	२०	२५	३०	३५
उत्तम बीजसे:	१०	१०	१०	१०
खेतोंमें बाँध बाँधनेसे:—	—	१५	१५	२०
	६०	८०	८५	९५

कीटिंग साहबने यह भी जाननेका प्रयत्न किया है कि बम्बई प्रान्तके साधारण किसान लोग पुराने तरीकोंसे खेतीकर फी एकड़ कितनी कीमतका अनाज पैदा करते हैं और पूनाके सरकारी फार्मपर उत्तम तरीकेसे खेती करनेसे कितनी कीमतका अनाज पैदा होता है। इस सम्बन्धमें उनको जो कुछ हाल मालूम हुआ है वह सारांशमें नीचे के कोष्ठकमें दिया जाता है:—

कोष्ठक नं० (२५)

फसलोंके नाम	फी एकड़ उपजकी कीमत			
	साधारण किसानोंके खेतोंमें		सरकारी फार्मोंपर	
	रु०	आ०		रु०
ज्वार:—	२४	१३	खरीफ	५५
			रबी	८०
बाजरा:—	१७	४		३८
गेहूँ :—	२४	२		५६
मूँगफली:—	४५	११		६६

उपरोक्त कोष्ठकसे यह पता लगता है कि नये तरीकेसे खेती करनेके कारण सरकारी फार्मोंकी फी एकड़ उपज किसानोंकी उपजसे प्रायः दुगुनीसे भी अधिक रहती है। परन्तु कीटिंग साहबने यह नहीं बतलाया है कि किसानोंका खेतीमें फी एकड़ खर्च कितना होता है और सरकारी फार्मोंपर फी एकड़ कितने रुपये खर्च किये जाते हैं। यदि ये खर्च मालूम हो जाते तो हानि लाभका लेखा तैयार किया जा सकता और इस बातका पता भी लग जाता कि नये तरीकोंसे खेती करनेमें फी एकड़ कितने आर्थिक लाभ की आशा की जा सकती है। खैर, तो भी यह तो स्वयं सिद्ध है कि उपजकी वृद्धिका बहुत सा भाग—कमसे कम ३० फी सैकड़ा—उत्तम और काफी परिमाणमें खाद देनेका फल है। हमारा विश्वास है कि भारतके अन्य प्रान्तोंमें भी खादका उचित

रीतिसे उपयोग करनेसे कमसे कम ३० फी सैकड़ा उपज शीघ्र बढ़ाई जा सकती है। इसलिए नीचे हम खादके उपयोग करनेका एक ऐसा तरीका बताते हैं जो प्रयागके कृषि-विद्यालयमें बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। उसमें व्यय भी अधिक नहीं पड़ता। इस कारण उसका उपयोग गरीब किसान भी कर सकता है।

भारतमें बैलके बिना खेती सम्भव नहीं है; इसलिए प्रत्येक किसान के पास कमसे कम दो बैल अवश्य रहते हैं। किसी किसी किसानके पास इनकी संख्या अधिक भी रहती है। किसी-किसीके पास गायें और भैंसें भी रहती हैं। परन्तु किसान लोग इनके गोबरका उचित उपयोग नहीं करते। गोबरका बहुत सा भाग तो वे कण्डे बनाकर जला देते हैं और यदि थोड़ा बहुत गोबरका खाद अपने खेतोंमें देते भी हैं तो इस तरहसे कि गोबरका लाभदायक अंश नष्ट हो जाता है और उससे अधिक लाभ नहीं होता। भारतीय किसान आजकल जो कूड़ा, कचरा प्रतिदिन बाहर फेंक देते हैं और जो गोबर कण्डे बनाकर जला देते हैं उसमें उपजके बढ़ानेवाले वे पदार्थ मौजूद रहते हैं जिनकी कीमत एक रुपयेसे कम नहीं कूती जा सकती। परन्तु हमारे किसान भाई यह नहीं जानते कि इन लाभदायक वस्तुओंका दुरुपयोग करनेसे वे अपने हाथोंसे अपना एक रुपया रोज का नुकसान करते हैं। यदि इस कूड़ा, कचरा और गोबरको उनके खेतोंमें उचित रीतिसे उपयोग किया जाय तो उनकी उपज बढ़े और उनको कई वर्षोंतक अन्य कोई खाद देनेकी आवश्यकता भी न पड़े, वे मालामाल हो जायँ और कुछ अंशोंमें वे अपनी दशा की सुधार

कर सकें। प्रत्येक किसानको यह निश्चय कर लेना चाहिये कि वह अपना कूड़ा, कचरा, राख और गोबरको कभी भी नष्ट न होने देगा और वह उसका उचित रीतिसे खादके रूपमें अवश्य उपयोग करेगा। यदि किसान लोग अपनी हैसियतके अनुसार नीचे दिये हुए दो तरीकोंमेंसे किसी एक तरीकेके अनुसार अपने कूड़े, कचरे और गोबर का खादके रूपमें उपयोग करेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि उनको बहुत लाभ होगा।

(१) यदि किसानके पास खेत छोटा हुआ और ढोरोंकी संख्या कम हुई तो उसे खेतके एक कोनेमें, मेड़से एक फुट जमीन छोड़कर, पाँच फुट लम्बा, पाँच फुट चौड़ा और करीब एक फुट गहरा गड्ढा खोदना चाहिये (चित्र नं० ४ में 'अ' स्थान देखिये)। इस गड्ढे की मिट्टी मेड़के पासकी बची हुई एक फुट जमीनपर डाल देनी चाहिये (चित्र नं० ४ में 'क' स्थान देखिये)। फिर ढोरोंका ताजा गोबर तथा मूत्र, सब प्रकारका कूड़ा कचरा, घास, राख, सूखे हुए पत्ते इत्यादि प्रतिदिन इकट्ठे करके इस गड्ढेमें डालते जाना चाहिये। दो चार रोजमें जब वह गड्ढा भर जाय तब उसके पास उसी लाइनमें एक दूसरा गड्ढा पाँच फुट लम्बा, पाँच फुट चौड़ा और करीब एक फुट गहरा खोदना चाहिये और इस दूसरे गड्ढेकी मिट्टी महीन करके पहले गड्ढेपर डाल देनी चाहिये (चित्र नं० ४ में 'ख' स्थान देखिये)। इसी प्रकार गड्ढे खोदते और उनको खाद तथा मिट्टीसे भरते जाना चाहिये जबतक कि एक लाइन पूरी न हो जाय। लाइन पूरी होनेपर उसके आखिरी गड्ढेके दाहिनी या बाईं

तरफ एक दूसरा पाँच फुट लम्बा, पाँच फुट चौड़ा और एक फुट गहरा गड्ढा खोदना चाहिये (चित्र नं० ४ में 'ड' स्थान देखिये)। इस गड्ढेकी मिट्टी पहली लाइनके आखिरी गड्ढेपर डाल देनी चाहिये और जब यह गड्ढा खादसे भर जाय तब उसी लाइनमें उसके पास नया गड्ढा ऊपर लिखे अनुसार खोदना चाहिये। इस प्रकार दूसरी लाइनके अन्ततक खाद भरते चले जाना चाहिये। दूसरी लाइनका आखिरी गड्ढा पहली लाइनके पहले गड्ढेके पास होगा। इसलिये जब वह गड्ढा खादसे भर जाय तब सबसे पहले गड्ढेके पास जमा की हुई मिट्टी इस गड्ढेपर डाल देनी चाहिये। इस प्रकार पाँच फुट चौड़ी दो लाइनोंमें इस नये तरीकेसे खाद आसानीसे दे दी जायगी। तीसरी पाँच फुटकी लाइनमें ठीक उसी तरहसे खाद देना आरंभ करना चाहिये। जिस तरहसे कि पहली लाइनमें आरम्भ किया गया था। उपरोक्त तरीकेके अनुसार एकके बाद एक लाइन खाद और मिट्टीसे भरते जाना चाहिये जबतक कि सब खेत भरमें खाद न दे दिया जाय।

चित्र नं० ४

अ—पहली लाइनका सबसे पहला गड्ढा।

ब—पहली लाइनके पहले गड्ढेकी मिट्टी इस स्थानपर डाली जायगी।

ड—पहली लाइनका दूसरा गड्ढा। इस गड्ढेकी मिट्टी 'अ' स्थानपर उसके खादके भर जानेपर डाली जायगी।

च—पहली लाइनका पहला गड्ढा। इसकी मिट्टी पहली लाइनके आखिरी गड्ढेपर उसके खादसे भर जानेपर डाली जायगी।

क—दूसरी लाइनका आखिरी गडढा। इस गड्ढेके खादसे भर जानेपर 'ब' स्थानपर इकट्ठी की हुई मिट्टी इस पर डाली जायगी।

गड्ढेकी पाँच फुट लम्बाई और चौड़ाई इसलिए रखी गई है

कि साधारण आदमी फावड़ेसे पाँच फुट मिट्टी आसानीसे फेंक सकता है। किसानोंको इन गड्ढोंके खोदनेमें भी अधिक मेहनत और समय नहीं लगेगा। यदि जमीन खराब न हो तो मामूली किसान ८० फुट लम्बी और ५ फुट चौड़ी खाई एक दिनमें खोद सकता है। इसलिए उसको पाँच फुट लम्बा और पाँच फुट चौड़ा गड्ढा खोदनेमें आध घण्टेसे अधिक समय नहीं लगेगा। गड्ढा खोदनेके लिए अधिक पूँजीकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल एक फावड़ेका काम पड़ेगा। हाँ, किसानको प्रतिदिन अपने घरसे कूड़ा, कचरा, गोबर, राख इत्यादि ढोकर खेतमें लानेका कष्ट अवश्य करना पड़ेगा। परन्तु इस कष्टके फलस्वरूप उसको जो लाभ होगा वह उसके मेहनतानेसे कई गुना अधिक होगा।

(२) जिन किसानोंके पास बहुत ढोर हैं और जिनके खेतोंका क्षेत्रफल बड़ा है उनके लिये नीचेका तरीका उपयोगी होगा। मेड़के पास एक फुट जमीन छोड़कर पाँच फुट चौड़ी, एक फुट गहरी, खेतके एक छोरसे दूसरी छोरतक एक लम्बी खाई (Trench) खोदनी चाहिए (चित्र नं० ५ का 'अ' स्थान देखिये)। इस पहली खाईकी मिट्टी मेड़के पासकी एक फुट जमीनपर डाल देनी चाहिये (चित्र नं० ५ का 'ब' स्थान देखिये)। जब खाई कूड़े, कचरे, गोबर, मलमूत्र, घास, सूखे पत्ते इत्यादिसे भर जाय तब उसके पास पाँच फुट चौड़ी और एक फुट गहरी दूसरी खाई (Trench) खोदनी चाहिये (चित्र नं० ५ 'स' स्थान देखिये) और दूसरी खाईकी मिट्टी पहली खाईपर डाल देनी चाहिये। इसी प्रकार एकके बाद एक खाई खाद

और मिट्टीसे भरते जाना चाहिये जबतक कि खेतके सब भागोंमें खाद न पहुँच जाय। आखिरी खाई (चित्र नं० ५ का 'ड' स्थान देखिये)

चित्र नं० ५

अ—पाँच फुट चौड़ी और एक फुट गहरी पहली खाई।

ब—मेड़के पासकी एक फुट जमीन जिसपर पहली खाईकी निकाली हुई मिट्टी डाली जानी चाहिये।

स—दूसरी खाई जिसकी मिट्टी पहली खाईके खादसे भर जानेपर उसपर डाली जानी चाहिये।

ड—आखिरी खाई जिसके खादसे भर जाने पर 'ब' से मिट्टी डाली जानी चाहिये।

जब खादसे भर जाय तब पहली खाईसे निकाली हुई मिट्टी—जो कि मेड़के पास रखी हुई है—इस खाईमें लाकर डाल देनी चाहिये। इस प्रकारसे खादमें न अधिक पूँजीकी जरूरत है और न अधिक ज्ञानकी। जरूरत है केवल थोड़े परिश्रमकी। इसलिये हमें विश्वास है कि ज्योंही हमारे किसान भाई उपरोक्त तरीकेसे खाद देनेके लाभोंको समझने लगेंगे ज्योंही वे उसके अनुसार कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

प्रयाग-कृषि-विद्यालय (Agricultural Institute) के प्रिंसिपल श्रीयुत हिगिनबाटम साहब अपने (फार्म्स) खेतोंपर उपरोक्त तरीकेसे ही खाद देते हैं और वहांके विद्यार्थियोंको भी वही तरीका सिखलाते हैं। उपरोक्त तरीकेके उपयोगसे उपजमें भी वृद्धि हुई है और लाभ भी बहुत हुआ है। नीचेके चित्रोंमें जव और चनाके ऐसे दो दो पौधोंके फोटो दिये गये हैं जो कि उपरोक्त विद्यालयके खेतोंमें सन् १९१७ में पास पास पैदा हुए थे। चित्र नं० ६ की बाईं तरफका पौधा बिना खाद दी हुई जमीनपर और दाहिनी तरफका पौधा उपरोक्त तरीकेसे खाद दी हुई जमीनपर पैदा हुआ था। इसी प्रकार चित्र नं० ७ की दाहिनी तरफका चनेका पौधा बिना खाद दी हुई जमीनपर और बाईं तरफका पौधा उपरोक्त तरीकेसे खाद दी हुई जमीनपर पैदा हुआ था।

उपरोक्त तरीकेसे खाद देनेसे इतना लाभ होता है जितना कि कभी कभी सिंचाई करनेसे भी नहीं होता। चित्र नं० ८ में

चित्र नं० ६

सन (Flax) के तीन पौधोंका एक चित्र दिया जाता है। पहला पौधा बिना खाद दी हुई जमीनमें पैदा हुआ था। दूसरा पौधा बिना खादा दी हुई परन्तु सिंचाईकी हुई जमीनमें पैदा हुआ था और तीसरा पौधा

चित्र नं० ७

ऊपर बताये हुए तरीकेसे खाद दी हुई जमीनपर बिना सिंचाई की हुई जमीनमें पैदा हुआ था। दूसरे और तीसरे पोधेका आपसमें मिलान करनेसे मालूम होगा कि तीसरा पौधा दूसरे पौधेसे कितना अच्छा है।

चित्र नं० ८

ऊपर बतलाये हुए तरीकेसे खाद देनेमें निम्नलिखित प्रकारके लाभ है:—

(१) घरका कूड़ा, कचरा प्रतिदिन साफ हो जाता है और गोबरका भी घरके आसपास ढेर नहीं लगने पाता।

(२) कूड़ा, कचराके अभावके कारण मक्खियोंका जमाव नहीं होने पाता।

(३) गोबरका लाभदायक अंश सूर्यकी गरमी तथा अधिक हवाके लगनेसे नष्ट नहीं होने पाता।

(४) खाद ठीक जगहपर पहुँच जाता है जहाँ कि वह बहुत उपयोगी हो सकता है।

(५) खादको केवल एक वक्त ही उठाना पड़ता है। आजकल गोबर प्रायः किसी ढेरपर या गहरे गड्ढेमें पहले डाला जाता है। वहाँ-पर सूर्यकी गर्मी और पानीसे उसका बहुत सा लाभदायक अंश नष्ट हो जाता है। और फिर वह जरूरत पड़नेपर खेतोंमें ले जाया जाता है।

(६) यदि शरद ऋतुमें वर्षा अच्छी हुई तो फिर ऊपर बताये तरीकेसे खाद देनेपर रबी फसलके लिए आबपाशीकी आवश्यकता नहीं रहती।

(७) यदि खाद खेतमें ऊपर ही बिछा दिया जाता है तो उसका कुछ अंश बरसातके पानीके साथ बह जाता है। परन्तु ऊपर बताये हुए तरीकेसे खाद देनेमें वह बहने नहीं पाता।

(८) काँसके समान घास (Weed) और उनके बीज हमेशा-के लिए खेतसे निकाल दिये जाते हैं।

(९) ऊपर बताये हुए तरीकेसे खाद देनेमें खादका असर १० वर्षसे अधिक समयतक रहता है।

(१०) खाई अथवा गड्ढा खोदनेके लिए करीब १ फुट गहरी

जमीन खोदनी पड़ती है। इससे वे सब लाभ भी होते हैं जो कि गहरी जोताई करनेसे होते हैं।

(११) ऊपर बताये हुए तरीकेसे खाद देनेमें अभीतक किसी प्रकारके नुकसान होनेकी शिकायत नहीं हुई है।

(१२) इस तरीकेसे सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपज बहुत बढ़ जाती है और खर्च अधिक नहीं होता।*

---

* इस परिशिष्टका कुछ अंश प्रोफेसर हिगिन बाटम द्वारा अंग्रेजीमें लिखित ट्रेंचिङ्ग (Trenching) नामक पुस्तकसे लिया गया है।

परिशिष्ट [३]

संसारके कुछ देशोंमें कृषि सुधार कैसे हो रहा है

(अमरीकामें नये तरीकोंका प्रचार; डेनमार्ककी कृषिउन्नति; जर्मनीमें खेतोंकी चकबन्दी और कृषि विद्याप्रचार, जापानके खेतोंकी चकबन्दी और ग्रामीण संगठन, इङ्गलैण्डकी कृषि उन्नतिकी प्रबल इच्छा, बड़ौदा राज्यकी आर्थिक दशा सुधारक कमिटीकी कृषि सम्बन्धी सिफारिशें)

कृषि सुधारके लिए हम इस संसारके सभ्य देशोंके अनुभवसे भी कुछ लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम इस परिशिष्टमें यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि अमरीका, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, इङ्गलैण्ड और बड़ौदामें कृषिकी उन्नति करनेका किस तरह प्रयत्न किया जा रहा है और उससे हम अपने किसान भाइयोंकी दशा सुधारनेके लिए क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

अमरीकामें नये तरीकोंका प्रचार

अमरीकाका संयुक्त राज्य एक विशाल देश है। वहाँपर जमीनकी कमी नहीं। खेत भी बड़े बड़े हैं और खेती भी बहुत अच्छे तरीकेसे होती है। उपज भी खूब होती है। वहाँके मनुष्य कला-कौशल और व्यवसायमें भी बहुत कुशल हैं। इसी कारण वे बहुत धनवान हैं।

परन्तु कुछ दिन पूर्व संयुक्तराज्यके दक्षिण भागके किसान बहुत गरीब थे। वे अपनी खेती भी पुराने ढंगपर करते थे। सयुक्तराज्यमें सन् १६०२ में जनरल एज्यूकेशन बोर्ड नामक संस्थाकी स्थापना हुई, जिसको छः सात वर्षोंके अन्दर वहाँके सबसे धनवान व्यापारी जान डी० राकफेलरने १६ करोड़ रुपयेके लगभग दक्षिण भागमें विद्या-प्रचार करनेके लिए दान दिया। शायद ही इतना अधिक दान किसी सज्जनने संसारमें और कभी दिया हो। उक्त बोर्डने कई तरीकोंसे विद्याप्रचारका कार्य आरम्भ किया। परन्तु हमारे लिए उनका सबसे महत्वका काम था सयुक्त राज्यके दक्षिण भागमें खेतीके नये तरीकोंका प्रचार करना और वहाँके गरीब किसानोंको उनका उपयोग करनेके लिए उत्साहित करना। वहाँपर कृषि पाठशालायें खोलनेके पहिले बोर्डके सदस्योंने यह उचित समझा कि वहाँके किसान लोग नये तरीकोंके कामोंको अच्छी तरह समझ लें और उनका उपयोग करने लग जायँ। बोर्डके सदस्योंने यह सोचा कि जब किसान नये तरीकोंका लाभ अच्छी तरह समझने लगेंगे तब वे अपने लड़कोंको कृषि पाठ-शालाओंमें भेजनेका प्रयत्न स्वयं ही करेंगे। बोर्डने नये तरीकोंके प्रचारका काम सन् १६०५ में आरम्भ किया और वहाँकी राष्ट्रीय सरकारने भी उस काममें बोर्डका साथ दिया। बोर्डके उस कामको करनेका तरीका बहुत ही साधारण था। बोर्डका कर्मचारी किसी गाँवमें जाता और वहाँके किसानोंसे कहता कि यदि कोई किसान उसके देख-रेखमें उसके बतलाए हुए तरीकोंसे खेती करेगा तो उसकी उपज अवश्य दूनी हो जायगी। वह उस समय अपने तरीकोंकी उपयो-

गिता समझाने और किसानोंकी शंकाओंका समाधान करनेका भी प्रयत्न करता था। जब किसी किसानका इन तरीकोंमें विश्वास होने लगता और वह उसके आदेशानुसार खेती करनेके लिए राजी हो जाता तो फिर उस कर्मचारीका यह कर्तव्य था कि उस किसानसे बिना कुछ लिए वह उसे नये तरीकेसे खेती करना सिखलावे और उसकी हर तरहसे मदद करता रहे। जब फसल पकनेपर उपज सचमुचमें दूनी या उससे अधिक पैदा होती तो गाँवके सब किसानोंकी एक सभा की जाती और नये तरीकोंकी उपयोगिता फिरसे समझाई जाती थी। इस समय वह किसान भी अपना अनुभव बतलाता था। उस किसानका विश्वास भी नये तरीकोंमें पक्का हो जाता था और भविष्यमें वह सदा नये तरीकोंका ही उपयोग करने लगता था। जब गाँवके दूसरे किसान अपनी आँखोंसे उस किसानको नये तरीकोंका उपयोग करके लाभ उठाते देखते तब वे भी धीरे-धीरे उसका उपयोग आरम्भ कर देते। इस प्रकार नये तरीकोंका प्रचार कुछ वर्षोंके अन्दर आप ही आप गाँव भरमें हो जाता।

बोर्डके कर्मचारी निम्नलिखित नये तरीकोंका प्रचार करते थेः—

(१) अनावश्यक पानीका खेतसे निकाल देना।

(२) जमीनको गहरा जोतना।

(३) उत्तम बीजका उपयोग करना।

(४) पौधोंको काफी दूरीपर बोना।

(५) थोड़ी जमीनमें ही खूब पूँजी और मेहनत लगाना।

(६) उत्तम खादका उचित परिमाणमें उपयोग करना।

(७) अपने कुटुम्बके खर्चके लिये जिन-जिन अनाजोंकी आवश्यकता हो उनका पैदा करना।

(८) उत्तम औजारों और यन्त्रोंका उपयोग करना।

(९) उत्तम तरहकी घास पैदा करना।

(१०) खेतीके खर्चका ठीक-ठीक हिसाब रखना।

अपना कार्य करनेमें बोर्डको एक बड़ा सुभीता यह था कि दक्षिण भागके किसान यद्यपि गरीब थे फिर भी वे अधिक कर्जदार नहीं थे और उनके खेत दूर दूरपर छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँटे हुए नहीं थे। बोर्ड की रिपोर्ट देखनेसे मालूम होता है कि उपरोक्त रीतिसे नये तरीकोंका प्रचार करनेमें बोर्डने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। उसके प्रयत्नोंसे ९ वर्षोंके अन्दर पाँच जिलोंके करीब ७०,००० खेतोंमें नये तरीकोंसे खेती होने लगी है। इस कार्यमें बोर्डका केवल १८ लाख रुपया खर्च हुआ। इससे देशको इतना आर्थिक लाभ हुआ है कि उसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता।

अपने किसानोंकी दशा सुधारनेके लिए क्या इससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? हमारे कृषि-विभागके अफसरोंने नये तरीकोंके सम्बन्धमें काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परन्तु उसका प्रचार करनेका अभी दत्तचित्त होकर प्रयत्न ही नहीं किया गया। यदि कृषि-विभागके कर्मचारी अपनी देखरेखमें उपरोक्त रीतिसे प्रत्येक गाँवके किसी साधारण किसानको नये तरीकोंका उपयोग करनेके लिए उत्साहित करें और यदि उस किसानको उससे सचमुच लाभ हो तो हमको पूर्ण विश्वास है कि गाँवके अन्य किसान भी धीरे-धीरे लाभ-

दायक तरीकोंका उपयोग करने लगेंगे। परन्तु भारतीय कृषि-विभागके कर्मचारी ऐसा करें कैसे? अभी तो उन्हींको घाटा होता है।

कुछ दिन हुए संयुक्त प्रान्तके लेजिस्लेटिव कौंसिलमें एक मेम्बरने सरकारसे पूछा कि आपके खोले हुए कृषि क्षेत्रोंकी आमदनी और खर्चका हिसाब तो बतानेकी कृपा कीजिये। उत्तरसे मालूम हुआ कि दोको छोड़कर बाकीके सभी क्षेत्र घाटेमें रहे। मुजफ्फरनगरका १०६ एकड़का क्षेत्र ७५००) रु० एक साल (१६२०-२१) में खा गया। और आमदनी उससे कितनी हुई? सिर्फ १७४०) की! अर्थात् ५७६०) रुपयेका घाटा रहा। मैनपुरीके क्षेत्रकी आमदनीसे खर्च तिगुना पड़ा। कर्मावेश यही हाल और क्षेत्रोंका भी रहा। सब क्षेत्रों की आमदनी और खर्चका हिसाब लगानेपर १६०००) रुपयेका घाटा हुआ। यदि ये क्षेत्र सरकारके न होकर और किसीके होते और वह जी लगाकर काम देखता तो क्या यही नतीजा होता? सरकारने ये सब क्षेत्र खोले तो इसलिए हैं कि सरकारकी देखादेखी काश्तकार भी उसी तरह खेती करके और वैसा ही बीज बोकर लाभ उठावें, पर जब उसे खुद ही घाटा होता है तब अपढ़ किसान इसकी बातोंपर कैसे विश्वास कर सकते हैं *

कृषि-विभागके कर्मचारियोंको प्रत्येक नये तरीकेकी इस दृष्टिसे जाँच करनी चाहिये कि जिस परिस्थितिमें भारतीय किसान आजकल है उस परिस्थितिमें यदि उसका उपयोग किया जाय तो इससे आर्थिक लाभ होगा या हानि। केवल उन्हीं तरीकोंके प्रचार करनेका प्रयत्न

* [सरस्वती—फरवरी १६२२ पृष्ठ १६०—६१]

किया जाय जो इस जांचमें लाभदायक सिद्ध हों। कृषि विभागके अफसरोंको अपना काम इस प्रकार लापरवाहीसे न करना चाहिये जिससे कि सरकारी क्षेत्रोंमें घाटा पड़े। उन्हें लाभदायक तरीकोंका, अमरीकाकी एज्यूकेशन बोर्डकी रीतिसे, प्रचार करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

डेनमार्क की कृषि-उन्नति

यूरोपमें डेनमार्क एक छोटा सा देश है। उसकी मनुष्य संख्या ३० लाखके लगभग है। सन् १८८०—९० तक वहाँके किसानोंकी दशा बहुत खराब थी। किसान गाँवोंको छोड़ छोड़कर शहरमें बसने जाते थे। सन् १८१९ में उनकी दशा सुधारनेका प्रयत्न आरम्भ किया गया और सन् १९०६ तक दशा बहुत कुछ सुधरी। अब तो उनकी दशा बहुत कुछ अच्छी है। १९वीं सदीके अन्तमें डेनमार्कमें एक ऐसा कानून बनाया गया जिसकी सहातयासे शिक्षित किसानको बड़ी आसानीसे खेत मिल सकता था। उसको खेतके लिए स्थानीय कमीशनके पास दरख्वास्त भेजनी पड़ती थी और उसे कमीशनके सभासदोंको यह विश्वास दिलाना पड़ता था कि वह अच्छी चालचलनका और परिश्रमी है और खेतीकी भी योग्यता रखता है। खेतकी कीमतका दसवां हिस्सा देनेपर कमीशन उसे ३ से १६ एकड़तकका एक खेत दिलानेका प्रबन्ध करता था और खेतकी कीमतका ९० फीसदी भाग उस किसानको कमीशन द्वारा कर्ज दिया जाता था। इस कर्जपर पाँच सालतक तो किसानको कुछ भी सूद नहीं देना पड़ता। इसके बाद उसे प्रतिवर्ष केवल ३) रु० फी सैकड़ा ब्याज और १) रु० फी सैकड़ा

मूलधन अदा करना पड़ता था। इन खेतोंका बटवारा नहीं किया जा सकता था और न वे गिर्वी रखे जा सकते थे जबतक कि सरकारी ऋण पूरा अदा न हो जाये। इस प्रकार योग्य परिश्रमी और शिक्षित किसानोंको आसानीसे जमीन मिल जाती थी। साथ ही साथ उनको बहुत ही लाभदायक शर्तोंपर सरकारसे ऋण भी मिल जाता था। इन किसानोंने खेतीकी बहुत उन्नति की। साथही साथ सड़क बनवानेका सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध किया गया और कृषि शिक्षा तथा सहयोग समितियोंकी तरफ विशेष ध्यान दिया गया। डेनमार्कमें सब प्रकारकी सहयोग समितियोंने बहुत ही उन्नति की है। डेनमार्ककी सम्पत्ति गोधनपर ही अवलम्बित है। अच्छी नस्लकी गायें कैसे पैदा हों, गायोंका पालन-पोषण कैसे किया जाय, छूतकी बीमारियोंसे उनकी रक्षा क्योंकर की जाय, गायोंके दूधका परिमाण कैसे बढ़ाया जाय और उनको कौनसे पदार्थ खिलाये जायें जिससे दूध सुधरे—इन सब बातोंके जाननेमें डेनमार्कने बहुत कुछ उन्नति की है। जगह जगहपर दूध सम्बन्धी देख-रेख करनेवाली सहयोग सभाओं (Co operative Milk Control Society) की स्थापना हो गई है। उन सभाओंका इन्सपेक्टर प्रत्येक पखवाड़ेमें प्रत्येक गायकी कमसे कम एक बार तो अवश्य जाँच करता है। वह प्रत्येक गायके दूधकी जाँच करता है और सलाह देता है कि उस गायको क्या खिलाना चाहिए जिससे उसका दूध सुधरे और बढ़े। यदि कोई गोरू बीमार हो तो इन्स्पेक्टर यह बतलाता है कि उसको कौनसी दवाई दी जाये। इसके अलावा वह खेती सम्बन्धी बातोंमें भी सलाह देता है। इससे किसानोंको बहुत

लाभ होता है। सरकार भी सहयोग समितियोंकी हर तरहसे सहायता देती है। यद्यपि भारतके समान डेनमार्कमें भी खेत बहुत छोटे छोटे हैं तो भी उपरोक्त तरीकोंसे वहाँके किसानोंकी दशा बहुत सुधर गई है और वे अन्य देशके किसानोंसे किसी बातमें कम नहीं हैं। यदि हमारी सरकार डेनमार्ककी सरकारके समान किसानोंको सब तरहसे सहायता देनेको तत्पर हो जाय तो हम भी भारतमें कृषि-शिक्षा प्रचार और सब प्रकारकी सहयोग-समितियोंकी स्थापना कर अपने किसानोंकी दशा सुधार सकते हैं।

जर्मनीमें चकबन्दी और कृषि-विद्या प्रचार

सन् १८८३ तक जर्मनीके किसानोंकी दशा भी बहुत खराब थी। इङ्गलैंडके मुकाबिलेमें वहाँकी फी एकड़ उपज भी बहुत कम थी। परन्तु तीस वर्षोंके अन्दर उनकी दशा बहुत सुधर गई और उपज भी दूनी अधिक हो गई। जर्मन लोगोंने पहले इस बातको समझा कि सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिसे यह बहुत ही आवश्यक है कि वहाँके किसान हृष्ट-पुष्ट, सुखी और उन्नतिशील हों। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उनको जितने अनाजकी आवश्यकता होती है उतना अनाज देशमें ही पैदा होना चाहिए। इसलिये अनाजके आयातपर जर्मन सरकारने भारी कर लगाया और किसानोंको उपज बढ़ानेमें हर तरहसे मदद दी। भारतकी तरह जर्मनीके कुछ हिस्सोंमें भी खेत दूर-दूरपर छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बटे हुए थे। इन खेतोंकी चकबन्दी करनेका काम लैण्ड कमीशनों (Land Commission) को दिया गया। इन कमीशनोंको किसी भी गाँवके आधेसे अधिक किसानोंकी दरख्वास्त

आनेपर खेतोंकी चकबन्दी करनेका अधिकार दिया गया। चकबन्दी करनेमें खर्च भी अधिक नहीं पड़ता था। सेक्सनीमें होहेनहैडा (Hohenhaida) एक गाँव था जिसका क्षेत्रफल १३७४ एकड़ था और ७७४ खेत थे। इन खेतोंके मालिकोंकी संख्या केवल ३५ थी। चकबन्दी करनेपर ७७४ खेतोंके केवल ६० खेत बनाये गये जो कि एक सड़कपर आ गये। चकबन्दीका खर्च करीब २०००) रु० हुआ जो कि फी एकड़ डेढ़ रुपयेके बराबर था। चकबन्दीका यह खर्च उस २१ एकड़ जमीनसे वसूल हो गया जो कि पहिले मेड़, बागुड़ और रास्तोंके कारण खेतीके उपयोगमें न आती थी। उस चकबन्दीसे जो अन्य लाभ हुए हैं उनका तो कहना ही क्या है। जिस खेतकी चकबन्दी की जाती थी वह बिना कमीशनकी आज्ञाके दो या अधिक हिस्सोंमें नहीं बाँटा जा सकता था और उसके मालिकके मरनेपर पूरा खेत किसी एक लड़के या वारिसको दे दिया जाता था। भारतमें भी उपरोक्त रीतिसे चकबन्दी करनेसे बहुत लाभ होनेकी सम्भावना है। जर्मनीकी औद्योगिक उन्नतिसे भी किसानोंको बहुत लाभ पहुँचा। उद्योगों की वृद्धिसे मजदूरोंकी कमी हो गई। जिसके कारण मशीनोंका उपयोग बढ़ा। शहरमें रहनेवाले मनुष्योंकी उन्नतिके कारण वहाँ के किसानोंको अपने अनाजकी अच्छी कीमत मिलने लगी। उनको पूँजी भी कम ब्याजपर मिलने लगी और वे सहयोगका तरीका भी धीरे-धीरे सीखने लगे। कई ऐसी संस्थाओंकी स्थापना हुई जो जमीनकी साखपर रुपया उधार देती थीं। सब प्रकारकी सहयोग समितियोंकी भी खूब उन्नति हुई और शिक्षा सिखाकर कृषि-शिक्षाकी तरफ

पूरा ध्यान दिया गया। केवल प्रशियामें ही तीन कालेज और पाँच विश्वविद्यालयोंमें उच्च कृषिकी शिक्षा दी जाती थी। १७ शालाओंमें साधारण रीतिसे शिक्षा दी जाती थी और कई स्थानोंपर शरद ऋतुमें किसानोंको थोड़े समयके लिये, नये तरीकोंके सम्बन्धमें कुछ सिखाया जाता था। फिर ग्रीष्मऋतुमें वे ही अध्यापक उनके गांवोंमें जाकर किसानों को हर तरहकी सलाह देते थे। नये तरीकोंके प्रचार करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया। फल यह हुआ कि देशकी उपज बहुत बढ़ गई और जर्मनी अपनी औद्योगिक उन्नतिके साथ ही साथ अपने देश-में अपनी आवश्यकताके अनुसार अनाज पैदा करनेमें समर्थ हो गया और उसको अब अनाजके लिये पहलेकी भाँति दूसरे देशोंका मुँह नहीं ताकना पड़ता।

जापानके खेतोंकी चकबन्दी और ग्रामीण संगठन

जापानमें भी खेत छोटे छोटे टुकड़ोंमें दूर-दूरपर बँटे हुए थे। खेतोंकी चकबन्दी करनेका कानून १८९९ में बनाया गया था। उसके अनुसार एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसको चकबन्दी करनेका अधिकार दिया गया था। परन्तु यह कमीशन किसी भी गाँवमें अपना कार्य तबतक नहीं आरम्भ कर सकता था जबतक कि उस गाँवके आधेसे अधिक किसान, जोकि उस गाँवके दो तिहाईसे अधिक जमीनके मालिक हों, चकबन्दीके लिये राजी न हो जावें। कमीशनके प्रयत्नोंसे कई गांवोंमें चकबन्दी की जा चुकी है। इससे बहुतसे किसानोंको लाभ हुआ है। जापानमें किसानोंका बहुत अच्छा संगठन हुआ है। प्रायः

प्रत्येक गांवमें एक कृषि-सभा है। उसके बाद प्रत्येक जिलेमें एक जिला सभा है और उन सबोंका नियंत्रण जापानके सम्पूर्ण किसानोंकी एक राष्ट्रीय महासभा करती है। इन सभासदोंको जापानी सरकारसे तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओंसे आर्थिक मदद भी मिलती है। इन सभाओंकी संख्या करीब ११००० है*। भारतमें भी हम ऐसा संगठन किसान सभाओंके रूपमें करके लाभ उठा सकते हैं।

इङ्गलैण्डकी कृषि-उन्नतिकी प्रबल इच्छा

सन् १९१४-१८ के महायुद्धके समयसे इङ्गलैण्ड सरीखे औद्योगिक देशकी भी आँखें खुल गई हैं। वहांके लोग भी कृषिके महत्वको समझने लग गये हैं और आजकल वहाँकी सरकार हर प्रकारसे किसानोंको अपनी उपज बढ़ानेमें सहायता देनेके लिए तैयार रहती है। इङ्गलैण्डके किसान गेहूँ तथा अन्य अनाज अधिक परिमाणमें लगातार कई वर्षोंतक बोनेके लिए इसलिए आगा पीछा करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि इनकी कीमत एक दो वर्षमें गिर जावे और उनको नुकसान उठाना पड़े। इस हानिसे उनकी रक्षा करनेके लिए सरकारने सन् १९१७ से १९२३ तक ६ वर्षोंकी गेहूँ और ओट्सकी कीमत निर्धारित कर दी और किसानोंको यह गारण्टी दे दी कि गेहूँकी कीमत यदि निर्धारित कीमतसे कम हुई तो उस कमीके कारण जो नुकसान होगा वह सरकार द्वारा पूरा कर दिया जावेगा। इससे इङ्गलैण्ड में अधिक क्षेत्रफलमें अनाज बोया जाने लगा है।

*See Reconstructing India by Sir M. Visvesvarya (1920) Pages 180-81,

रूसमें सामूहिक खेतीकी योजना

रूस एक कृषि प्रधान देश है। लगभग ७५ प्रतिशत लोगोंके जीवन-निर्वाहका एक मात्र सहारा खेती ही है और ८० प्रतिशतके लगभग लोग गाँवोंमें ही जीवन व्यतीत करते हैं। आज कल देशने बहुत कुछ औद्योगिक उन्नति कर ली है—परन्तु फिर भी कृषि ही मुख्य धन्धा है। यहाँके कृषकोंने भी कई प्रकारसे उन्नति प्राप्त की है। यहाँ-की सामूहिक खेतीकी योजना (Scheme of Collective Farm-ing) अत्यन्त ही सराहनीय है। लगभग दो लाख चालीस हजार सामूहिक खेत (Collective Farms) हैं। इन खेतोंका क्षेत्रफल हजारों एकड़ होता है। इन्हीं खेतोंपर किसान लोग एक ही साथ रहते, खाते, पहिनते और काम करते हैं। उनके बच्चोंका एक समान पालन-पोषण किया जाता है। सारी आमदनी मेहनत और पूँजीके अनुसार सामान्य रूपसे बाँट दी जाती है। मजदूरोंको खेतीके लिये हल आदि तथा अन्य कलोंकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती। उसको जो रुपया मिलता है, वह स्वतंत्र रूपसे अपने खाने पहिरनेपर खर्च करता है। उसको किसी महाजन या साहूकार या जमीं-दारका भय नहीं सताता है जैसा कि हम अपने देशमें पाते हैं। उसको बीजके लिये या किसी अन्य आवश्यक वस्तुके लिए नहीं भटकना पड़ता। ये सब वस्तुएँ उनको समितियों (comm-unes) की तरफसे मिलती हैं। ये समितियाँ रूस भरमें हजारोंकी संख्यामें फैली हुई हैं—इन समितियोंको पिछले वर्षोंमें बहुत ही उन्नति प्राप्त हुई है। सीटल (seattle) नामकी एक

समितिने साल्सकी (salski) जिलेमें बहुत कार्य्य किया है। लेनिन के समयमें इसकी स्थापना हुई थी। अब इस समितिने अपने खुदके मकान, कुएँ, बगीचे, खलिहान, स्कूल तथा चिकित्सालय स्थापित कर लिये हैं। लकड़ीके कारखाने (Woodworking shops) तथा बड़ी बड़ी ईंटोंकी चिमनियाँ (Brick Kilns) खुली हुई हैं। इन सब (Communes) में नई-नई ईजाद की हुई कलोंका प्रयोग होता है।

इस प्रकारकी खेतीके सम्बन्धमें जो बहुत बड़ा फायदा है वह यह है कि खेत बड़े हैं और उनपर कल-मशीनोंसे बहुत जल्द और विस्तृत क्षेत्रपर तथा बड़े पैमानेपर खेती होती है। मशीनोंका तथा वैज्ञानिक ढंगकी खादोंका बहुत ही सरलता तथा किफायतसे प्रयोग होता है। इससे फसल अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है।

इतना ही नहीं। किसान-उपयोगी अन्य कार्य भी हो रहे हैं। अनेकानेक समितियाँ तथा मण्डल स्थापित हैं। इनके मुख्य उद्देश्य यही हैं कि वे कृषिकी तथा कृषकोंकी दशामें सुधार करें। अखिल रूसी सहयोगी कृषक संघ (All Russian Union of Agricultural Co operatives) इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। इसको (selskosoyug) कहते हैं। इस अखिल संघके अन्तर्गत बहुत-सी कृषक सहयोगी समितियाँ हैं, जिनका कार्य्य संयुक्त-रूपसे होता है। उनके मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(१) कृषिके नये तरीकोंका सिखाना।

(२) संयुक्त-रूपसे खेती करनेके लिये जनताको उत्साह दिलाना।

(३) कृषिके अच्छेसे अच्छे और नयेसे नये औजारोंका प्रयोग कराना।

(४) वैज्ञानिक ढङ्गकी खाद आदिके प्रयोगके लिये कृषकोंको प्रोत्साहन देना।

(५) अपने सदस्योंके लिए बीज आदिकी कठिनाइयोंको दूर करना।

(६) अपने सदस्यों द्वारा उत्पन्न की हुई चीजोंको अच्छीसे अच्छी कीमतपर बिकवाना।

ये समितियाँ केवल इतना ही नहीं करतीं, बल्कि वे उत्पादनका कार्य्य अब स्वयं भी करने लगी हैं। इन उत्पादन कार्योंमें हजारोंकी संख्यामें जनताको काम करनेका मौका मिलता है और करोड़ों रुपयों की कीमतका माल तैयार किया जाता है। इन समितियोंके अतिरिक्त किसान-भवनें (Houses of the Peasants) भी स्थापित हैं। ये भवन तहसील और जिलोंके मुख्य-मुख्य स्थानोंमें स्थापित हैं—इन भवनोंमें कृषि-विशेषज्ञ और सलाहकार रहते हैं जो किसानोंको हर प्रकारकी बातों—जैसे खाद सम्बन्धी, बीज सम्बन्धी, फसलोंके बोने आदिके समय सम्बन्धी सब बातोंमें सलाह दिया करते हैं। इसी प्रकार डाक्टर और कानूनके विशेषज्ञ भी रहते हैं, जो पशु चिकित्सापर तथा कानूनी बातोंपर बहुत ही माकूल परामर्श देते हैं। मास्कोका किसान भवन बहुत ही बड़ा है। यही भवन सर्वश्रेष्ठ तथा केन्द्रीय भी है।

इतना होते हुए भी वहाँ गाँव-गाँवमें लोक भवनों (Peoples Houses) की भी स्थापना है। ये अपने पुस्तकालय तथा वाचनालय

रखते हैं जहाँ कृषकोंको कृषि सम्बन्धी बातोंको पढ़ने तथा समझनेका मौका मिलता है।

रूसमें सरकारकी ओरसे भी आदर्श कृषि फार्म भी हैं। कुछ सरकारी स्कूल भी खुले हैं जहाँ किसानोंके बच्चोंको कृषि शिक्षा दी जाती है। जिलेमें एक कृषि अफसर भी होता है। वह प्रति दिन स्कूलोंमें जाता है। इसी प्रकार जिलेका पैमाइश अफसर भी कार्य करता है।

बड़ौदा राज्यकी आर्थिक दशा सुधारक-कमिटीकी कृषि-सम्बन्धी सिफारिशें

पाठक देख चुके होंगे कि संसारमें प्रायः सभी मुख्य देशोंने कृषि-सुधारके लिए कैसे प्रयत्न किये और अब वे इस सम्बन्धमें क्या कर रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ७२ फी सैकड़ा मनुष्योंकी जीविका खेतीपर ही अवलम्बित होने पर भी और उनकी दशा दिन पर दिन खराब होती जानेपर भी कृषि सुधारकी तरफ सरकार और शिक्षित जनता दोनोंकी उदासीनता दूर नहीं होती। क्या हमारी गाढ़ निद्रा अब भी न खुलेगी? यदि हम चाहें तो बड़ौदा राज्यसे ही इस सम्बन्धमें कुछ सीख सकते हैं। बड़ौदा राज्यके किसानोंकी दशा ब्रिटिश भारतके किसानोंसे कुछ अच्छी होने पर भी वहाँके प्रजाहितैषी महाराजको उनकी दशा सुधारनेकी हमेशा चिन्ता रहती है। इसी कारण सन् १९१८ में उन्होंने एक कमिटी नियुक्त की और उसको बड़ौदा राज्यके निवासियोंकी आर्थिक दशा सुधारनेके तरीकोंपर विचार करने

का कार्य सौंपा गया। उस कमिटीने खूब सोच-विचार कर एक रिपोर्ट* प्रकाशित की है जिससे ब्रिटिश भारतकी सरकार और शिक्षित जनता बहुत लाभ उठा सकती है। कमिटीकी कृषि सम्बन्धी मुख्य-मुख्य सिफारिशोंका सारांश नीचे दिया जाता है:

(१) कृषि-विभागका यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह लाभदायक नये तरीकोंका पता लगाता रहे और उनका जनतामें प्रचार करे। इस कार्यको अच्छी तरह चलानेके लिए काफी संख्यामें शिक्षित (Trained) कर्मचारी नियुक्त किये जायँ।

(२) इस विभागको अपना कार्य चलानेके लिए १ लाख रुपये वार्षिक दिये जायँ। (बड़ौदा राज्यकी वार्षिक आय दो करोड़ रुपयेके लगभग है और शिक्षाप्रचारके लिए प्रति वर्ष करीब २० लाख रुपया खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त करीब ५५ हजार रुपया कृषि-विभागपर खर्च किया जाता है। कमिटीकी रायमें इस विभागपर एक लाख रुपया खर्च किया जाना चाहिये।)

(३) कृषि विभागके मेकेनिकल इञ्जीनियरको किसानोंमें लाभदायक मशीनोंका प्रचार करना चाहिए।

(४) बैलोंकी नस्ल सुधारनेके लिये सरकारी फार्मोंसे साँड़ मुफ्तमें दिये जायँ। चरी बोनेकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

(५) खेतोंकी चकबन्दीका प्रबन्ध शीघ्र किया जाना चाहिये।

* See Report of the Baroda Economic Development Committee 1918-19 Times Press, Bombay.

(इस सम्बन्धमें सन् १९१७ में एक कमिटी नियुक्त की गई थी। उसकी सिफारिशोंके अनुसार एक कानून भी वहाँपर बनाया गया है, जिससे चकबन्दी करनेके सम्बन्धमें कई सहूलियतें दी गई हैं।)

(६) नये तरीकोंका प्रचार करनेका हर तरहसे प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(७) किसानोंके ऋण सम्बन्धी दीवानी मामलोंमें न्यायाधीशको यह जाननेका प्रयत्न करना चाहिये कि असलमें साहूकारने किसानको कितना कर्ज दिया था। साहूकारको अत्यधिक ब्याज नहीं दिलाना चाहिए।

(८) कृषि-सम्बन्धी एक बड़ा बैंक खोला जाना चाहिए जो बड़े-बड़े किसानोंको अधिक परिमाणमें कर्ज दे सके।

(९) किसानोंको नये तरीकोंका उपयोग करनेमें सहायता देनेके लिए बड़ोदेकी सरकार २५ लाख रुपये तकावी देनेके निमित्त अलग रख दे और ये रुपये किसानोंको ३) सैकड़े ब्याज की दरसे उधार दिये जायँ। रुपये वसूल करनेमें सख्ती न की जानी चाहिए।

(१०) सहयोग-विभागमें और योग्य मनुष्य नियुक्त किये जायँ। ग्रामीण अफसरों और अध्यापकोंको सहयोग-सम्बन्धी काम सिखाया जाना चाहिये।

(११) अमरेली तालुकामें जो मालगुजारीकी कई किश्तें वसूल नहीं की जा सकी हैं वे माफ कर दी जायँ। सहयोगसमितियों द्वारा किसानोंके पुराने कर्ज चुकाये जानेका प्रबन्ध होना चाहिए।

(१२) किसानोंकी दशा अच्छी तरहसे जाननेके लिये स्टेटिस्टिकल

विभाग द्वारा चुने हुए गाँवोंकी जाँच की जाय और फिर इनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाय।

(१३) प्रत्येक तालुकेसे पाँच छः ग्रामोंको चुनकर प्रतिवर्ष सरकारी खर्चसे निम्नलिखित विषयोंपर लेक्चर दिये जानेका प्रबन्ध किया जाना चाहिए:—

स्थानीय स्वराज्य, सहयोग, कृषि सिद्धान्त, सफाई, ग्रामीण लायब्रेरी, सामाजिक दशा सुधारक कानून इत्यादि।

(१४) ग्रामीण लड़कियोंको ऐसी शिक्षा देनेके लिए, जो कि उनको भविष्यमें काम आवे, स्त्री शिक्षिकाएँ नियुक्त की जायँ।

(१५) मादक पदार्थोंका बेचा जाना जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र बन्द कर दिया जाय।

(१६) गुजरातकी नदियोंमें बाँध बाँधकर जाँचकी जानी चाहिए कि वे आबपाशीके लिए कहाँतक उपयोगमें लाई जा सकती हैं। अधिक संख्यामें कुएँ खोदे जानेके लिए सरकारसे अधिक समयके लिए कर्ज दिया जाना चाहिए। इस कर्जके लिए बड़ौदा सरकार १० लाख रुपये अलग रख दे।

(१७) गोचर (चरागाह) भूमि गाँवके रकबेके ५ फी सैकड़े से कम न होने देनी चाहिए।

(१८) नई सड़कें बनवानेका शीघ्र प्रबन्ध होना चाहिए।

(१९) बाजारोंकी ठीक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसान अपना माल बेचनेमें ठगे न जावें।

(२०) गांवोंमें चरखा, करघा और अन्य ऐसे छोटे छोटे उद्योगों-

का जोरोंसे प्रचार किया जाना चाहिए जिससे किसान लोग अपने फालतू समयमें थोड़ा बहुत काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

कमिटीकी सिफारिशोंके अनुसार बड़ौदा सरकारने कार्य किये और उनसे जनताको बहुत लाभ हुए। क्या हम आशा कर सकते हैं कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें भी किसानोंके प्रति अपना कर्तव्य पालन करनेका दत्तचित्त होकर प्रयत्न करेंगी?

परिशिष्ट (४)

कृषि-संबंधी उपयोगी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओंकी सूची

इस पुस्तकके लिखनेमें निम्नलिखित हिन्दी और अंग्रेजी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओंसे सहायता ली गई है। जो महाशय कृषिशास्त्र अथवा कृषि सुधारके सम्बन्धमें अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहें वे इनको पढ़कर लाभ उठा सकते हैं :—

हिन्दी

कृषि शास्त्र—(लेखक, पं० तेजशंकर कोचक, कानपुर)

कृषिसार—(लेखक, अखौरी जगेश्वरप्रसाद सिंह)

किसानो उठो—(लेखक, पं० गौरीशंकर मिश्र)

किसानोंपर अत्याचार—(लेखक, पं० प्राणनाथ विद्यालंकार)

खाद—(लेखक, श्री मुख्तार सिंह, वकील)

खादका उपयोग—(लेखक, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह)

गोवंश रक्षा या वायसरायको मेमोरियलका हिंदी अनुवाद

ग्राम सुधार—श्री गंगाप्रसाद और श्री रमेशचन्द्र पांडेय

ग्रामीण अर्थशास्त्र—श्री व्रजगोपाल भटनागर हिन्दुस्तानी एकडेमी, प्रयाग)

ग्रामोंका पुनरुद्धार—श्री ब्योहार राजेन्द्रसिंह (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग)

ग्राम्य-अर्थशास्त्र—श्री दयाशंकर दुबे और श्री शंकर सहाय सक्सेना

भारतका दुःखी अंग—(लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी)

भारतकी सांपत्तिक अवस्था—(लेखक, प्रो० राधाकृष्ण झा)

भारत दर्शन—(लेखक, श्री सुखसंपत्ति राय भंडारी)

भारतमें दुर्भिक्ष—(लेखक, पं० गणेशदत्तजी शर्म्मा)

भारतीय किसान—(लेखक, पं प्राणनाथ विद्यालंकार)

भारतीय गोधन—(लेखक, झाबरमल शर्म्मा)

वर्तमान रूस—(लेखक, श्री देवव्रत शास्त्री)

पत्र-पत्रिकाएँ—

सरस्वती (मासिक पत्र)

प्रभा* ,,

माधुरी ,,

श्रीशारदा* ,,

मर्यादा* ,,

वीणा ,,

विशाल भारत ,,

स्वार्थ* ,,

विश्वमित्र ,,

---

* अब बन्द हो गये ।

साहित्य* (मासिक पत्र)
हळ ,,
देशदूत (साप्ताहिक)

अँग्रेजी पुस्तकें

I. Commission Report:—
Famine Commission Report (1901)
Irrigation Commission Report (1902)
Report of Canal Colonies Committee (1905)
Report of the Committee on Co operation in India (1915)
Industrial Commission Report (1918 19)
Report on Indian Constitutional Reforms (1919)
Report of the Baroda Economic Development Committee (1918-19)
Village Education in india (Report of the Committee appointed by Missionaries)
Cotton Committee Report (1919)
Sugar Committee Report (1920)
Report of the Indian Fiscal Commission (1921 22)
Report of the Royal Commission on Indian Agriculture (1928)

* अब बन्द हो गया।

Report of the U. P. Banking Enquiry Committee.

II. Government of India Publications—

Census of India 1911, 1921 and 1931 Volumes I & II.

Statistics of British India Volumes III & IV (Annual)

Imperial Gazeteer Vol. III & IV.

Agricultural Statistics of India Volumes I & II. (Annual)

Estimates of Area and Yield of Principal Crops in India (Annual)

Irrigation in India (Annual Review)

Statements Showing Progress of Co opera-tive Movement in India (Annual)

Proceedings of the Board of Agriculture

Proceedings of the Conference of Registrars of Co operative Societies.

Land Revenue Policy of the Govt. of India (1902)

Crop Reports & Agricultural Statistics

The Indian Journal of Veterinary Seience & Animal Husbandary.

III. Local Government Publications—

Administration Reports Annual (of all provinces)

Annual Report on the Working of Co operative Societies (of all provinces)

Annual Report on the work of Agricultural Department (of all provinces)

Report cn Land Revenne Administration (of all provinces)

Settlement Reports.

Public Information (U. P.)

IV. *Other books*—

Ataullah : The co-operative Movement in the Punjab.

Baden Powell :—Land system in British India, Three Volumes.

Baden Powell—Land Revenue Administration.

Batchelor E. :—Silewani Ghat Hydro Electric Power Project.

Beri and gathar :—Indian Economics Vol. I

Bhatnagar B. G. :—Paper on Ideal System of Land Tenure (Indian Journal of Economics No. 12)

Calvert H:—Laws and Principles of Co-operation.

Chatterton A.:—Industrial Evolution in India.

Ctosthwaite H. R. : - Co-operation Comparative Study and C. P. System

Dadabhai Naoroji :—Poverty and Unbritish Rule in India.

Digby :—Prosperous British India—A reveal-lation.

Dubey, Daya Shankar :—The Way to Agricultural Progress.

Gangaram R. B. :—The Agricultural Problems of India.

General Education Board (Account of its activities 1902-14, 61 Broadway, New York)

Gilling H. T. Fodder in India.

Gokhale G. K. :—Speeches of Honourable Mr. Gokhale.

Higginbottom S. :—How to save Cattle.

Higginbottom S. :—Trenching.

Irvine H. D. :—The Making of Rural Europe.

Jack J. C.:— Economic Life of a Bengal Distrtct

Jain Budhi Prakash:—Agricultural Holdings in the U. P.

Jevons H. S.:—Consolidation of Agricultural Holdings in U. P. (Bulletin No. 9)

Jevons H. S.:- Economics of Tenancy Law & Estate Management.

Jevons H. S.:—Paper on Capitalistic Development of Agriculture (From Report of Industrial Conference (1916).

Kaji:—Co-operation in India.

Kale V. G.:—Introduction to Indian Economics (4th edition)

Do Indian Administration.

Do Gokhale & Economic Reforms.

Keatinge G. :—Rural Economy in Bombay Deccan.

Keatinge G. :—Agricultural Progress in Western India.

Lucas Dr. :—Economic Life of a Punjab Village.

Leake H. M. :—Bases of Agricultural Practice & Economics in U. P.

Mackenna James :—Agriculture in India.

Mann. Dr. Harold :—Land & Labour in a Deccan Village study Nos. I & 2.

Moreland W H :—Agriculture in U. P.

Moreland W. H :—Revenue Administration of U. P.

Mukerjee B. B.:—Agricultural Marketing in India.

Mukerjee N. G. :—Handbook of Indian Agriculture.

Mukerjee P. :—Co-operative Movement in India.

Nigam B. S. :—A Text Book of Agriculture.

Patel A. D. :—Indian Agricultural Economics.

Ray:—Agricultural Indebtedness.

Ray:—Land Revenue Administration.

Slater G. :—Some South Indian Villages.

Straightoff :—The Standard of Living.

Tomkinson C. W. :—State Help for Agriculture.

Visvesuarya Sir M. :—Reconstructing India.

Wattal P. K. :—The Population Problem in India.

Weld:—Marketing of Farm Products.

V. Journals & Periodicals—

Indian Co-operative Review (Madras)

Indian Journal of Economics issued by the Allahabad University

Indian Year Book.

Journal of the Indian Economics society (Bombay)

Mysore Economic Journal (Bangalore)

Agricultural Journal of India.

The Wealth of India (Madras)

The Indian Review (monthly from Madras)

The Modern Review (monthly from Calcutta)

Capital (weekly from Calcutta)

———

परिशिष्ट [५]

अंग्रेजी शब्दोंका कोष Glossary

A

Advisory board	परामर्शदाता बोर्ड
Agricultural Bank	कृषि बैंक
,, Credit Bank	कृषि साख बैंक
,, Indebtedness	कृषकों की कर्जदारी
,, Marketing	कृषि सम्बन्धी विक्रय
Agriculture	कृषि
Agriculturists Benifit Department	कृषक-हितैषी विभाग
Arable Land	कृषि योग्य भूमि
Average	औसत
Average Expectation of life	जीवन मात्रकी औसत अवधि

B

Bank	बैंक
Barley	जव
Barren Land	उसर जमीन

Board	बोर्ड
Bribery	घूसखोरी
	C
Canal	नहर
Census	मनुष्य-गणना, मर्दुम शुमारी
Cereal	खाद्यान्न
Consolidation of Debt	ऋण एकत्रीकरण
" of holdings	खेतों की चकबन्दी
Co-operation	सहकारिता
Co-operative Bank	सहकारी बैंक
" Credit	सहकारी साख
" Credit Society	सहकारी साख समिति
" Society	सहकारी समिति
Cottage Industry	घरेलू उद्योग धन्धा
Credit	साख
" Bank	साख वाला बैंक
Cultivated Land	जोती हुई जमीन
Cultivation	खेती
Cultivator	किसान
Culturable Waste	बोने लायक पड़ती
	D
Debt	कर्ज

Debt Redemption officer	ऋण मुक्त करनेवाला अफसर
Demand	माँग
	E
Economics	अर्थशास्त्र
Ejectment	बेदखली
Expectation of life	जीवन आशा
Experimental farm	प्रयोगात्मक कृषि शाला
Export	निर्यात
Extensive agriculture	विस्तृत खेती
	F
Fallow Land	पड़ती जमीन
Famine code	अकाल नियमावली
Fertile Land	उपजाऊ भूमि
Fodder crop	खरी
Fragmentation of Holdings	छोटे खेतों का दूर दूर होना
	H
Holdings of Land	खेत
Holdings, Consolidation of	खेतों की चकबन्दी
	I
Indebtedness	कर्जदारी

Industrial Commission	औद्योगिक कमीशन
Inheritance	दाय, उत्तराधिकार सम्पति
Intensive agriculture	गहरी खेती
" Cultivation	गहरी खेती
Interest	सूद
Internal trade	देशी व्यापार
Irrigation	आबपाशी
" Project	" की योजना
	K
Key Industries	आधार भूत उद्योग धन्धा
	L
Labour	श्रम
Land	भूमि
" alienation Act	भूमिहस्तान्तर कानून
" arable	कृषि योग्य भूमि
" Barren	ऊसर भूमि
" Cultivated	जोती हुई भूमि
" fertile	उपजाऊ भूमि
" irrigated	सींची हुई भूमि
Landlord	जमींदार
Land Revenue	मालगुजारी
" Tenure	जमीनकी मिल्कियत

Land Uncultivated	बेजोत जमीन
” Waste	बीरान भूमि
Litigation	मुकदमेबाजी
Loan	कर्ज
Low standard of living	रहन सहनका नीचा दर्जा
Machinery	मशीन
Manure	खाद
Market	बाजार
Middleman	दलाल
Mortality	मृत्यु
Mortgage	रेहन, गिरवी, बन्धक
” Banks	बन्धक बैंक
	O
Occupancy Right	मौरूसी हक
” tenant	” काश्तकार
” tenant absolute	विशेष मौरूसी काश्तकार
	P
Peasant Proprietorship	खुद काश्त जमींदार
Permanent Settlement	स्थायी बन्दोबस्त
Population	जनसंख्या
Productive Canals	उत्पादक नहरे
Proportion	अनुपात

Protective Canals	रक्षक नहरें
	R
Rate	दर, भाव
Ratio	अनुपात
Ravine Land	नालेवाली जमीन
Rectangular	चतुर्भुज
Rent	लगान
Rental	जमाबन्दी
Rent free	बेलगान
Reserve Bank	रिजर्व बैंक
Revenue	आय
Rotation o fcrops	फसलों का हेर फेर
Rural	ग्राम्य
,, Bank	,, बैंक
,, Credit	,, साख
,, Economics	,, अर्थशास्त्र
,, Reconstruction	,, पुनर्संगठन
,, Socity	,, समिति
	S
Salary	वेतन
Silo	खाद कूप
Soil	भूमि, मिट्टी

Statistics	अङ्क शास्त्र
Sublease	पट्टा दर पट्टा
Sub-tenant	शिकमी दर शिकमी
Supply	पूर्ति
	T
Table	कोष्ठक
Tenancy Act	लगान कानून
Tenant	काश्तकार
,, at-will	गैर मौरूसी काश्तकार
,, farmer	शिकमी काश्तकार
,, For life	आजीवन कारश्तकार
,, Right	काश्तकारी हक
Thrift	मितव्ययता
Trade	व्यापार
Trench	खाई
	V
Veterinary Department	पशु चिकित्सा विभाग
Veterinary Science	पशु चिकित्सा विज्ञान
Village Survey	ग्राम्यकी पैमाइश
	W
Wage	वेतन

Water falls	जल प्रपात
	Y
Yield	उपज
	Z
Zamindari System	जमींदारी प्रथा